# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 6th

# LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र
Fourth Session ]

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

*Price* : Four Rupees

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 1 मार्च, 1978/10 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 8, Wednesday, March 1, 1978/Phalguna 10, 1899 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS : | |
| तारांकित प्रश्न 122 से 126 | Starred Question Nos. 122 to 126 . | 1-18 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 142 | Starred Questions Nos. 127 to 142 . | 18–30 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 1130 से 1150, 1152 से 1259, 1261 से 1314 और 1316 से 1329 | Unstarred Questions Nos. 1130 to 1150, 1152 to 1259, 1261 to 1314 and 1316 to 1329 . . . . | 30–132 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table . . . | 132–136 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- | Calling Attention to matter of Urgent Public Importance . . . | 136–139 |
| मिजोरम में भंयकर अकाल की स्थिति— | Severe famine conditions in Mizoram— | 136 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | Shri Jyotirmoy Bosu . . | 136 |
| श्री सुरजीत सिंह बरनाला | Shri Surjit Singh Barnala | 136 |
| श्री ओम प्रकाश त्यागी | Shri Om Prakash Tyagi | 138 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-- बारहवां प्रतिवेदन | Committee on Private Member's Bills and Resolutions Twelfth Report presented . . . | 139 |
| विशेषाधिकार समिति-- | Committee of Privileges . | 139 |
| दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत | Second Report presented | 139 |
| समिति के लिये निर्वाचन— | Election to Committee | 139 |
| राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड | National Shipping Board . . | 39 |


किसी नाम पर अंकित † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में | Re. Admissibility of Questions . | 140 |
| नियम 377 के अन्तर्गत मामले— | Matters under Rule 377— | 141 |
| (एक) पटना-चुनार वाणिज्यिक स्टीमर सेवा के बन्द हो जाने की आशंका | (i) Impending closure of Patna-Chunar Commercial Steamer Service . . . . | 141 |
| (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अहाते में हुई दुर्घटना का समाचार | (ii) Reported Accident within the Complex of Bharat Heavy Electricals Ltd. . . . | 141 |
| (तीन) किसानों को दिया गया प्याज का अलाभकर मूल्य | (iii) Unremunerative Price of Onion paid to Cultivators . . | 142 |
| (चार) दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की कथित छंटनी | (iv) Reported Retrenchment of Casual Workers in South-Eastern Railway . . . | 142 |
| राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव | Motion of Thanks on the President's Address . . . . . | 143—154 |
| श्री नाथू राम मिर्धा | Shri Nathu Ram Mirdha . | 143 |
| श्री नाथू सिंह | Shri Nathu Singh . . . | 144 |
| श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा | Shri Padmacharan Samantasinhar . | 145 |
| श्री के० राममूर्ति | Shri K. Ramamurthy . . . | 146 |
| श्री जार्ज मैथ्यू | Shri George Mathew . | 147 |
| डा० विजय मण्डल | Dr. Bijoy Mondal . . | 148 |
| श्री धीरेन्द्रनाथ बसु | Shri Dhirendranath Basu | 149 |
| चौधरी ब्रह्मप्रकाश | Chaudhury Brahm Parkash . | 151 |
| श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा | Shri R.L.P. Verma . | 152 |
| श्री आर० वेंकटरमन | Shri R. Venkataraman . . . | 152 |
| डा० बी० एन० सिंह | Dr. B. N. Singh . . . . | 154 |
| कार्य मंत्रणा समिति— | Business Advisory Committee— | |
| बारहवां प्रतिवेदन | Twelfth Report presented . . | 154 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

बुधवार, 1 मार्च, 1978/10 फाल्गुन 1899 (शक)

*Wednesday, March* 1, 1978/*Phalguna* 10, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या 122 श्री कल्याणसुन्दरम।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** श्रीमानजी, प्रश्न पूछने से पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** The point of order cannot be raised during question hour.

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों तथा उत्तरों का सम्बन्ध केवल उन्ही सदस्यों से नहीं होता जोकि प्रश्न पूछते हैं,। मैं चाहता हूं कि वक्तव्य को सदन में पढ़ा जाना चाहिये। जो उत्तर हमें वितरित किया गया है, उसमें मंत्री महोदय ने कहा है कि "एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।" विवरण तथा उत्तर में कुछ अन्तर होना चाहिये। उत्तर ही अपने आप विवरण नहीं बन जाने चाहिये। विवरण का तात्पर्य तो उत्तर में दिये गये तथ्यों को प्रमाणित करना होता है। यद्यपि यह उत्तर कुछ लम्बा ही है तो भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह विवरण को पढ़ कर सुना दें ताकि अन्य सदस्यों को भी उससे लाभ हो सके।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रक्रिया को बदलना आपके अपने अधिकार में है परन्तु जब तक प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक तो वर्तमान परम्परा चलती रहेगी।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** मैं तो केवल निवेदन ही कर रहा हूं। यह ठीक है कि ऐसा करने के लिए प्रक्रिया से कुछ हटना पड़ेगा।

### पोजोलाना में पोर्टलैण्ड सीमेंट मिलाना

*122. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट निर्माताओं को पोजोलाना में पोर्टलैण्ड सीमेंट मिश्रित करके उसे अधिक मूल्य पर बेचने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1978 के साप्ताहिक पत्रिका "न्यू एज" में "रूपीज 93 करोड़स बोनन्जा फार सीमेंट टाइकून्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) से (ग) :—सरकार ने 5 फरवरी, 1978 के "न्यू एज" साप्ताहिक में प्रकाशित "रूपीज 93 करोरस बोन्जा फार सीमेंट टाइकून्स" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट देखी है । रिपोर्ट में दो आरोप लगाये गये हैं—यथा—

सरकार ने सीमेंट निर्माताओं को पोजलाना सीमेंट के साथ पोर्टलैण्ड सीमेंट मिलाने की अनुमति दी है तथा सीमेंट उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए सीमेंट के मूल्य में 17 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि कर दी है । यह रिपोर्ट सही नहीं है तथा बेबुनियाद है । इन दोनों मामलों में सही स्थिति नीचे स्पष्ट की गई है :—

(1) **पोर्टलैण्ड पोजलाना सीमेंट, पोर्टलैण्ड**

पोजलाना सीमेन्ट अन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार की गई सीमेंट की एक किस्म है और देश में 1965 से इसका उत्पादन किया जा रहा है । इसका उत्पादन पोजलानिक सामग्री को पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के साथ पीस कर न कि पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट को पोजलानिक सामग्री के साथ मिलाकर जैसा कि कहा गया है किया जाता है । भारतीय मानक संस्था ने साधारण किस्म की पोर्टलैण्ड सीमेन्ट और पोर्टलैन्ड पोजलाना सीमेन्ट के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित किया है । पोर्टलैण्ड पोज़लानां सीमेन्ट अपनी सल्फट प्रतिरोधकता के कारण खास तौर से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त रहती है । पोजलाना सीमेंट के लिए अलग मूल्य के प्रश्न पर प्रशुल्क आयोग द्वारा विचार किया गया था पर इसके लिए सिफारिश नहीं की गई थी ।

(2) सीमेन्ट के मूल्य में वृद्धि सीमेन्ट की पूर्ति में कमी सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के साथ-साथ कृषि उद्योग और मकान बनाने में सीमेन्ट का इस्तेमाल करने से मांग अधिक बढ़ जाने के कारण हो गई थी । आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समुद्री तूफान के कारण हुए विध्वंसों की मरम्मत के लिए भी सीमेन्ट की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता थी । अतः सरकार ने सीमेन्ट की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए 10 लाख मी० टन सीमेन्ट का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया था । चूंकि आयातित सीमेन्ट की तटागत लागत देशी सीमेन्ट की लागत के मुकाबिले अधिक है अतः सरकार ने 7 जनवरी, 1978 से सीमेन्ट के गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त मूल्य में 17 रु० प्रति मी० टन की वृद्धि करने और मूल्य का पूल बनाने का निर्णय किया है । इस वृद्धि से सीमेन्ट उत्पादकों को कोई लाभ नहीं है क्योंकि सीमेन्ट के कारखाने से निकलते समय अथवा साधारण मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मंत्री महोदय से विवरण पढ़ने के लिए कहें ।

**अध्यक्ष महोदय** : उसमें काफी समय लगेगा । विवरण आपको उपलब्ध करवा दिया गया है ।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : मेरे पास तो विवरण है, परन्तु दूसरे सदस्यों का क्या होगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : जो भी सदस्य विवरण लेना चाहते थे, उन्हें विवरण उपलब्ध करवा दिया गया है । आप अपने पूरक प्रश्न पूछिये ।

**श्री एम कल्याणसुन्दरम** : विवरण में जो उत्तर दिया गया है वह भ्रामक है । प्रश्न यह था कि क्या सीमेंट उत्पादकों को सीमेंट में कुछ मिलाने की अनुमति दी गई है । आप इसे कोई भी संज्ञा दे सकते हैं, आप इसे मिलाना कह सकते है या और कुछ । परन्तु वह एक घटिया किस्म की वस्तु जिसका नाम 'पोजोलाना' है, पोर्टलैण्ड सीमेंट में मिला रही है, जिसके फलस्वरूप सीमेंट की किस्म घटिया होती जा रही है । परन्तु इन्होने मूल्यों में वृद्धि के लिए एक अन्य प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत कर दी है । सीमेंट का उत्पादन करते समय ही पोर्टलैण्ड सीमेंट में पोजोलाना सीमेंट मिला देने से उसकी किस्म घटिया हो जाती है । उत्पादकों को यह सुविधा क्यों दी जाती है ? मैंने प्रथम प्रश्न के पहले भाग में यह पूछा है कि क्या सीमेंट निर्माताओं ने सीमेंट की किस्म में यह परिवर्तन करने के लिए सरकार से पूछा था ? क्या सरकार ने इस प्रकार की मिलावट करने की अनुमति देने से पूर्व इन सभी पेचीदगियों का अध्ययन किया था ? बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही हैं । वास्तव में सीमेंट की कमी नहीं है परन्तु इसकी चोर-बाज़ारी बहुत है । यहां तक कि दिल्ली जैसे शहर में भी लोगों की यह शिकायत है कि उन्हें अच्छी किस्म का सीमेंट नहीं मिल रहा है । मिलावट वाला सीमेंट मिल रहा है और वह भी चोर-बाज़ारी में बेचा जा रहा है । ऐसी परिस्थितियों में तथाकथित मिलावट की अनुमति देने का सरकार के पास क्या औचित्य है ?

**श्री जार्ज फर्नांडिज** : वास्तव में प्रश्न यह था कि क्या सरकार का ध्यान "न्यू ऐज" पत्रिका में छपी समाचार की ओर दिलाया गया है । 'न्यू ऐज' भारतीय साम्यवादी दल की साप्ताहिक पत्रिका है जिसके श्री कल्याणसुन्दरम भी सदस्य हैं ।

मुझे एक लम्बा वक्तव्य सभा पटल पर रखना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट बहुत लम्बी है । सदस्य महोदय ने 'न्यू एज' में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर सभी प्रश्न पूछे हैं । लेकिन समूचे उद्योग और पोजोलाना सीमेंट के बारे में सारी रिपोर्ट भ्रमित है और मूल्य के बारे में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा ही है । रिपोर्ट का शीर्षक ही ऐसा है "'सीमेंट के बड़े व्यापारियों को 93 करोड़ रु० का मुनाफा" और सीमेंट उद्योग के इन बड़े व्यापारियों की प्रसन्नता के लिए यह समाजवादी मंत्री जार्ज फर्नान्डिज द्वारा किया गया है । जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है सीमेंट के कारखाना पूर्व मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है । देश के सीमेंट निर्माताओं को एक पैसा अधिक मिला है । खुदरा मूल्यों में प्रति टन 17 रुपये बढ़े हैं जिससे सुविधा के लिए 1 रुपया प्रति थैला वृद्धि की गई है । ऐसा करने का कारण सीमेंट का आयात है जिसकी लागत देशी सीमेंट से दुगुनी है । खुदरा दुकानों पर वही बेचा जा रहा है । या तो वह राशि सरकार वहन करे सीमेंट के कुल मूल्य में थोड़ी वृद्धि ही की जा सकती थी । ऐसा ही हमने किया है । लेकिन यह पैसा सीमेंट विनियमन निधि में जाता है जिससे कि सीमेंट के आयात पर होने वाले व्यय और भाड़े को पूरा किया जा सके ।

पोजोलाना सीमेंट के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करने वालों को कुछ पता नहीं । यह हमने देश में नया फार्मूला तैयार किया है । ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट और स्लेग सीमेंट के साथ यह तीसरी प्रकार का सीमेंट है । देश में उत्पादित 200 लाख टन सीमेंट से हमने पिछले वर्ष 10 लाख टन पोजोलाना सीमेंट तैयार किया । 1976 में इसका उत्पादन 751,000 टन था । अतः यह कोई नई चीज नहीं है जिसे नये उद्योग मंत्री ने शुरू किया हो । हम फ्लाई एश को एक विशेष अनुपात में ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिला कर पीसते हैं जिस से यह पोजोलाना सीमेंट तैयार होता है । और भारतीय मानक स्थान विशिष्टता के साथ बेचा जाता है । जैसे आम सीमेंट भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित विशिष्टता के साथ

बेचा जाता है इसी तरह ग्रेपोर्टलैंड सीमेंट भी बेचा जाता है। किसी भी सीमेंट निर्माता ने अपने उत्पादन के लिए हम से विशेष रूप से विचार के लिए नहीं कहा क्योंकि कोई भी निर्माता पोजोलाना या दूसरा सीमेंट बना सकता है। वास्तव में वर्षों से इस देश में स्लेग सीमेंट बर्बाद किया जा रहा है विशेष रूप से इस्पात संयंत्रों में ऐसा हो रहा है। हम सीमेंट कारखाने इस्पात कारखानों के साथ ही जोड़ने के प्रयास में हैं ताकि स्लेग सीमेंट का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जा सके।

इसकी गुणवत्ता की देख-रेख भारतीय मानक संस्थान करता है और पोजोलाना सीमेंट के बारे में ऐसी कोई समस्या नहीं।

परन्तु दिल्ली और उसके बाहर सीमेंट काले बाजार में बेचा जाता है। इस समय सीमेंट की कमी जरूर है क्यों कि पिछले दिनों में उचित योजनानुसार कार्य नहीं किया गया। इस समय 15 लाख से 20 लाख टन सीमेंट कम पड़ता है और आयात द्वारा उसे पूरा किया जाता है। यदि सरकारी स्तर पर काला बाजार होता है तो हम यथासम्भव उपाय कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने सभी राजनीतिक दलों को भी पत्र लिखे थे जब काला बाजार खूब गर्म था। देश में सीमेंट की 24000 दुकानें हैं। मैंने राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे सतर्कता समितियां बना कर उन पर नजर रखें। मैंने राज्य सरकारों और जिला मजिस्ट्रेट स्तर तक भी अपील की है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया दूसरा प्रश्न पूछें।

**श्री एम कल्याणसुन्दरम** : विवरण में माना गया है कि पोजोलाना सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट से घटिया है तो दोनों का मूल्य एक ही क्यों रखा गया है। आयात किये जाने की लागत की बात आप छोड़िये। क्या सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि सीमेंट की क्वालिटी के अनुसार ही उसका मूल्य रखा जाये।

दूसरे सीमेंट का सर्वाधिक उपयोग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन करते है। अतः क्या सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु सीमेंट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : मैंने कभी नहीं कहा कि पोजोलाना सीमेंट घटिया है। हर प्रकार के सीमेंट में अपने गुण हैं। मुख्य रूप से सीमेंट तीन प्रकार का है और उनके अपने गुण हैं।

कीमत का जहां तक प्रश्न है, कुछ वर्ष पूर्व टैरिफ आयोग ने इस पर विचार किया था और कारखानों को कुछ सीमेंट रखने का मूल्य मिलता है। कुछ कारखाने तो इसका लाभ भी नहीं उठा पाते। विभिन्न कारणों से कुछ कारखाने रुग्ण सूची में हैं। जो नये कारखाने हम लगा रहे हैं उनकी लागत अधिक आ रही है। वास्तव में भविष्य के लिए मूल्य सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार की जरूरत है। अतः यह कहना कि जहां पलाई एश या स्लैग (धातुमैल) उपलब्ध है वहां किसी विशेष एकक को एक विशेष प्रतिशत में सोजोलाना सीमेंट तैयार करने देना खास रियायत देना है सही नहीं है। मूल्य का निर्धारण तो टैरिफ आयोग ने किया है और देश के सभी सीमेंट एककों के लिए प्रतिधारण मूल्य भी है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में सीमेंट के उपयोग का प्रश्न है ऐसा बहुत समय से हो रहा है। आज कोई नई बात नहीं हो रही। सीमेंट एककों का राष्ट्रीयकरण की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है।

**श्री विनोदभाई बी० शेठ** : महोदय, पिछले वर्ष हमने सीमेंट का निर्यात किया लेकिन इस वर्ष आयात कर रहे हैं। देश को इस निर्यात-आयात की नीति से औसत कितनी हानि हुई।

आयात किस बन्दरगाह पर होता है ? मेरी जानकारी से आयात के लिए बम्बई को चुना गया है। क्या आप और स्थानों को भी लेंगे ताकि देश की सभी मुख्य बन्दरगाहों पर सीमेंट का समान वितरण हो सके ?

**श्री जार्ज फर्नांनडिो** : पिछले और उससे पिछले वर्ष हमने कुछ सीमेंट निर्यात किया था लेकिन सारी स्थिति को देखते हुए इसे बंद किया गया है । चूंकि सीमेंट की कमी है इसलिए आयात किया जा रहा है और जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ा लेते तब तक यह आयात जारी रहेगा।

जहां तक पत्तनों का सम्बन्ध है, केवल बम्बई में ही नहीं बल्कि कोचीन, मद्रास तथा विशाखा-पतनम् के पत्तनों पर भी सीमेंट आयात किया जा रहा है और हमने अनुदेश जारी कर दिए हैं कि पोतों को देश के सभी पत्तनों की ओर से लाया जाना चाहिए ताकि आयातित सीमेंट समूचे देश में समान रूप से वितरित किया जा सके।

**श्री के० लकप्पा** : मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नांनडिस ने यह स्वीकार कर लिया है कि सीमेंट की काला बाजारी में बृद्धि हुई है । यह भी पता चला है कि सीमेंट के साथ पोजोलाना सीमेंट मिलाया जा रहा है और इस प्रकार निम्न कोटि का सीमेंट बेचा जा रहा है जो कि भवन निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है।

मंत्री जी ने यह भी बताया है कि समूचे देश में सीमेंट के हजारों डीलर हैं और उनका डीलरों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि काला बाजारी बन्द हो जाये, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सीमेंट का उत्पादन करने वालों से इसकी वितरण प्रणाली को अपने अधिकार में ले लेगी। देश में न केवल समुचित वितरण ही होना चाहिए बल्कि अच्छी कोटि का सीमेंट वितरित किया जाना चाहिए।

**श्री जार्ज फर्नांनडिस** : जहां तक सीमेंट की कोटि का सम्बन्ध है, यह सब भ्रामक सा लगता है। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि पोजोलानिक निम्न कोटि की सीमेंट नहीं है । यह सीमेंटों की भांति अच्छा है और इसका प्रयोग विशेष क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में किया जाता है । यह सीमेंट की एक विशेष किस्म है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह सीमेंट की किस्म के बारे में गलत धारणा को त्याग दें ।

जहां तक वितरण सम्बन्धी पहलू का सम्बन्ध है, सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह 24000 फुटकर डीलरों पर निगरानी रख सके। इस समय एक समान वितरण प्रणाली चल रही है । अतः वितरण की कोई समस्या नहीं है । किन्तु इसकी कमी जरूर है और कुछ बेईमान व्यापारियों द्वारा इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है ।

**श्री के० लकप्पा** : मैं अपना प्रश्न स्पष्ट करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है और उन्होंने उसे समझ लिया है ।

**श्री के० लकप्पा** : मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अपना प्रश्न स्पष्ट करने दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं देता । उन्होंने आपका प्रश्न समझ लिया है ।

**श्री के० लकप्पा** : वह मेरे प्रश्न का उत्तर देने लगे हैं। क्या आप उन्हें वितरण प्रणाली को अपने अधिकार में लेने के बारे में उत्तर देना जारी रखेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन्हें वितरण के बारे में कुछ और कहना है तो वह बोल सकते हैं।

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : मैं कह रहा था कि हमारी वितरण प्रणाली पर्याप्त रूप से समुचित है। जहां तक भौगोलिक क्षेत्रों का सम्बंध है वहां समान वितरण होता है। किन्तु बेईमान व्यापारी इस कमी का फायदा उठा रहे हैं और हम इस ओर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं।

**Shri Ram Murti** : I want to know from the Hon. Minister whether it has come to his notice that Pindole is being fixed with cement in large quantity in the whole country and since the colour of pindole is similar to that of Cement and therefore, one cannot find that it is mixed with Cement Pindole is soil of black Colour. By mixing pindole with Cement the Strength of cement goes down and as a result great damage is caused to linters and walls. What steps are being taken to check it ?

**Shri George Fernandes** : We have not received any complaint about it so far, but as I have stated cement is used throughout the country and if every one at every level is alert then it can easily be checked.

**श्री आर० वेंकटरमन** : श्रीमान हम इसे पोजोलानिक सामग्री कह रहे हैं। किन्तु पोजोलानिक सामग्री वास्तव में वोलकैनिक ऐश होता है जिसमें सिलिका, ऐल्युमिना, चूना आदि होता है जो कि ज्वालामूखी के लावा में पाया जाता है। जो पदार्थ भारत में पोजोलानिक सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसमें इनमें से कोई वस्तु नहीं होती न तो इसमें ऐल्यूमिना होता है और न ही उसमें सिलिका होता है, किन्तु इसमें केवल फ्लाई ऐश होता है जो कि इन्नोर तथा अन्य विद्युत केन्द्रों से आता है। यह एक प्रकार की राख है, जिसका प्रयोग किया जाता है।

मेरा कहना यह है कि पोजोलानिक सीमेंट को लगने में अधिक समय लगता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनमें कोई अंतर नहीं होता। यह एक विशेषज्ञ की राय है कि पोजोलानिक सीमेंट अन्य सीमेंटों की तुलना में चिपकने में अधिक समय लेती है। और इसीलिए कुछ हद तक इसे निम्न कोटि की सीमेंट समझा जाता है। कम लागत को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इस सीमेंट फुटकर के मूल्य में कमी करने पर विचार करेंगे ?

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : आज सीमेंट का मूल्य विभिन्न तथ्यों पर आधारित है। सफेद पोर्ट लैंड सीमेंट का मूल्य निर्धारित करने के लिए पोजोलानिक सीमेंट और स्लैग सीमेंट के लिए साधनों की लागत को ध्यान में रखा जाता है। प्रशुल्क आयोग ने एक विशेष मूल्य ढांचा तैयार किया है। मैं नहीं चलाहता कि उसमें कोई फेर-बदल किया जाये क्योंकि यदि किसी किस्म के सीमेंट की उत्पादन लागत में कमी होती है तो निश्चय ही अन्य किस्म के सीमेंट की उत्पादन लागत बढ़ जायेगी। इन सब बातों का ध्यान रखा गया है और मैं नहीं समझता कि मूल्य ढांचे में अब किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाये।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अपनाये जा रहे भ्रष्ट तरीकों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

*123. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अपनाई जा रही अनियमितताओं अथवा भ्रष्ट तरीकों की रिपोर्टों की जांच की है अथवा उनकी इस समय जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच का ब्यौरा और स्वरूप क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस)** : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

जुलाई, 1977 में यह सूचना प्राप्त होने पर कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) के कुछ अधिकारियों ने लीबिया और मल्येसिया से मिले निर्यात क्रयादेशों में स्थानीय एजेंटों के कमीशन में से हिस्सा लेने तथा आर्थिक लाभ कमाने के संबंध में, अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है, सी० बी० आई० ने प्रारंभिक जांच की थी । फिर भी, स्पष्टीकरण तथा जानकारी प्राप्त होने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि इन आरोपों की आगे जांच न की जाए ।

2. श्री आर० के० स्वामी, विज्ञापन एजेंट की एक फर्म को बी० एच० ई० एल० द्वारा दिये गये ठेकों तथा क्रयादेशों में कथित अनियमितताओं और गोल-माल करने के बारे में लगाये गये दूसरे आरोप की सी० बी० आई० द्वारा इस समय जांच की जा रही है ।

3. बी० एच० ई० एल० का यह भी कथन है कि उसके कुछ अधिकारियों के विरुद्ध दस अन्य मामलों में सी० बी० आई० द्वारा जांच की जा रही है । इन मामलों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

| क्रम संख्या | केस संख्या | सारांश |
|---|---|---|
| 1. | आर०सी०नं० 16/76-जेबीआर | श्री जी० पी० वर्मा, सम्पदा निरीक्षक द्वारा बी० एच० ई० एल० बस्ती में खुला प्लाट अलाट करने में घूस लेना। |
| 2. | पी०ई० नं० 30/77-डीएलआई | ओखला, दिल्ली में केन्द्रीय गोदाम में फैंसिंग सिस्टम लगाने का कार्य जारी रखने के लिए मैसर्स वीरेन्द्र इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रति सर्वश्री पी० के० विश्वास, क्रय अधिकारी तथा वी० एम० पाणिकर, सहायक ग्रेड-II द्वारा पक्षपात बरतना। |
| 3. | पी०ई०नं० 31/77-डीएलआई | सर्वश्री पी० के० विश्वास, क्रय अधिकारी तथा वी० एम० पाणिकर, सहायक ग्रेड-II द्वारा ओखला के गोदाम में अंदरूनी ढांचे में परिवर्तन के लिये मैं० ए० के० शर्मा को ठेका देने में पक्षपात बरतना। |
| 4. | पी०ई०नं० 35/77-डीएलआई | सर्वश्री पी० के० विश्वास, क्रय अधिकारी तथा वी० एम० पाणिकर सहायक ग्रेड-II द्वारा मैं० वी० के० इन्टरप्राइज व वंदना इन्टरप्राइज से ऊंचे दामों पर लेखन सामग्री खरीदना । |
| 5. | पी०ई०नं० 5/77-एचवाईडी | श्री पी० सुमुकेश्वर राव, डिजाइन इंजीनियर द्वारा मैं० लोटस इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रति मान्य डिजाइन से हटकर पक्षपात बरतना । |

| क्रम संख्या | केस संख्या | सारांश |
|---|---|---|
| 6. | आर०सी०नं० 39/77-एचवाईडी | बी० एच० ई० एल० को विशेष सामग्री सप्लाई करने के मामले में श्री के० एस० मूर्ति, वरिष्ठ क्रय अधिकारी द्वारा टेंडर दस्तावेजों में उलटफेर किया जाने का आरोप। |
| 7. | आर० सी० नं० 42/77-एचवाईडी | श्री वरदराजन, प्रबंधक (व्यावसायिक) के विरुद्ध मै० रौयल पैकेजेज को अपूर्ण कार्य के लिये भुगतान तथा सुपुर्दगी की अवधि बढ़ाने में पक्षपात बरतना। |
| 8. | आर०सी०नं० 6/77-देहरादून | निम्न स्तर के बोल्ट सप्लाई करने के बारे में श्री बी० सी० पंत व चार अन्यों के विरुद्ध। |
| 9. | पी०ई०नं० 1/78-जेबीआर | श्री आर० के० गर्ग, योजना इंजीनियर के विरुद्ध उनकी पत्नी द्वारा इन्श्योरेंस एजेंसी चलाने का मामला। |
| 10. | आर०सी०नं० 21/75-जेबीआर | जाली व्यक्तियों के एल० टी० सी० आवेदन पर गलत व्यक्तियों को भुगतान किये जाने के मामले में श्री बी० डी० गेहानी, वरिष्ठ सहायक केशियर तथा चार अन्यों के विरुद्ध। |

4. उपर्युक्त मामले बी० एच० ई० एल० के अधिकारियों द्वारा अपने निजी स्तर पर कथित अनियमितताएं करने तथा पक्षपात बरतने से संबद्ध हैं।

**डॉ० सुब्रमण्यम स्वामी :** श्रीमान् मैंने वास्तव में यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा था किन्तु इसे उद्योग मंत्रालय को भेज दिया गया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु लोकसभा सचिवालय को मुझे इस बारे में सूचित करना चाहिए था।

मैंने यह प्रश्न गृह मंत्रालय के लिए इसलिए दिया था कि श्री फर्नांडिस ने पहले ही यह कह दिया कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। उन्होंने राज्य सभा तथा यहां जो वक्तय दिया था और जो दिनांक 5 सितम्बर को 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ था उसका उदाहरण देता हूं। उसमें कहा गया :

> "जहां तक मैं जानता हूं जब डा० सुब्रहमण्यम स्वामी ने मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा रिश्वत में लिए गए पैसे का भुगतान करने के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं की गई है।"
>
> "कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरु कर दी है, तो श्री फर्नांडिस ने कहा। ऐसा लगता है कि मंत्रालय में क्या हो रहा है, इस बारे में डा० स्वामी मुझसे अधिक जानते हैं।"

मेरा ख्याल है कि मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस समय निश्चय ही मैं मंत्रालय के बारे में उनसे ज्यादा जानता था और गलती सुधारने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मैं रिश्वत में लिए गए पैसे के प्रश्न पर अधिक दबाव नहीं डालूंगा, किन्तु मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं.....

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : रिश्वत में कौन सा राष्ट्रीय हित निहित है। देश····· रिश्वत में विश्वास नहीं करता ।

**डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : यह आप अपनी बारी आने पर पूछियेगा। मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने शुक्रवार 13 जनवरी, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित वक्तव्य को देखा है, जिसमें कहा गया है :—

> "भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उप महाप्रबंधक, श्री वी०सी० टंडन ने इन्कार किया है कि कल के समाचार पत्रों में प्रकाशित यह खबर सही नहीं है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के विभिन्न एककों में व्याप्त भ्रष्टाचार की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जा रही है।"

वह कहते हैं कि समाचार पत्र में जो समाचार छपा है, वह सही नहीं है।

अब मंत्री जी कहते हैं कि वास्तव में कुछ समय पहले से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करेंगे और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने इस तरह से लोगों को गलत जानकारी दी है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

**श्री के० लकप्पा** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता।

**श्री के० लकप्पा** : कृपया मुझे कम से कम एक निवेदन करने दीजिए क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से है और उद्योग मंत्री इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? इसका उत्तर गृह मंत्री को देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी मंत्री प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

**श्री के० लकप्पा** : आपका क्या विनिर्णय है?

**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दे सकते हैं।

**श्री के० लकप्पा** : कैसे? और किस नियम के अन्तर्गत? आप गलत निर्णय दे रहे हैं।

**श्री जार्ज फर्नांडीस** गत कुछ महीनों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में काफी चर्चा हुई। इसी तरह तथा कथित केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। प्रेस में श्री स्वामी का एक वक्तव्य छपा है जो कि उन्होंने लखनऊ में दिया है, जिसके आधार पर मुझसे पूछा गया है कि क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के किसी अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है? जहां तक मेरी जानकारी है किसी के विरुद्ध भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। मैंने जो यह वक्तव्य दिया है, वह सही है।

तब से यह प्रश्न दिसम्बर में राज्य सभा में भी पूछा गया, जहां मैंने इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर दिया।

अब वक्तव्य में मैंने बताया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है। ऐसे 10 अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच भी की जा रही है। इस जांच का सम्बन्ध उन अधिकारियों के दुराचरण और भ्रष्टाचार से है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रायः सभी उपक्रमों में हुआ करती है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कोई विशेष बात नहीं है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध ठेके देने के फलस्वरूप होने वाले लाभ में से कुछ पैसा खा जाने के बारे में भी जांच हुई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन आरोपों पर आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हैं। यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है किन्तु उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अतः किसी का यह सुझाव देना कि वहां धन था, उसका क्या हुआ, व्यर्थ है क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और अब आगे इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए जाने चाहिएं।

एक और जांच की जा रही है। उसमें एक विज्ञापन एजेंन्सी अन्तर्ग्रस्त है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो वह जांच कर रहा है और जब उनकी रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी तो फिर हम इस मामले पर आगे चर्चा कर सकते हैं।

**डा० सुब्रहमण्यम स्वामी:** मैंने रिश्वत में लिए गए धन का प्रश्न नहीं उठाया है। मैं तो यह कह रहा हूं कि श्री फर्नानडिस प्रधानमंत्री के पास गए और रिश्वत में लिए गए धन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच किए जाने की बात वापस ले ली और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचा..... **(व्यवधान)**

**प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं यह बता दूं कि यह गलत वक्तव्य हैं।

**डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : यदि जांच कार्य को वापस ले लिया गया था तो फिर मैं इस विषय पर आगे नहीं बढ़ता।

मैं मंत्री जी का ध्यान "ब्लिट्ज" में छपे समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें जनता पार्टी के भूतपूर्व महासचिव, श्री राजेन्द्रपुरी ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा मंत्री जी के विरुद्ध कई आरोप लगाए। "सूर्य" नामक पत्रिका में भी इस संबंध में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने इन आरोपों को देख लिया है और क्या सरकार अपने विरुद्ध ऐसे समाचार छापने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी?

**श्री जार्ज फर्नानडीस** : मैंने "सूर्य" को नहीं देखा है, यद्यपि मैं जानता हूं कि यह एक पत्रिका है।

**रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते)** : यह देखने योग्य भी नहीं है।

**श्री जार्ज फर्नानडिस** : इसका सम्पादन भूतपूर्व तानाशाह की बहू द्वारा किया जाता है। मैं इसे पढ़ता भी नहीं हूं और देखता भी नहीं हूं।

जहां तक ब्लिट्ज का सम्बन्ध है, मैंने गैस टरबाइन्स खरीदने के बारे में एक कहानी पढ़ी थी। उसमें कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। मंत्रालय इन बातों की जांच कर रहा है और जहां तक मेरा संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि कई आरोपों में कोई औचित्य नहीं है, जो कि "बिल्टज" में बताए गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गोपाल।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : मेरा एक निवेदन है।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई निवेदन नहीं। श्री गोपाल।

**श्री के० गोपालन** : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स देश का गौरव है.....

**श्री के० लकप्पा** : यदि आप हमें सभा में इस तरह से बोलने नहीं देंगे तो फिर हम सभा में कैसे कार्यवाही कर सकते हैं। कुछ वक्तव्य दिए गए हैं और प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह गलत वक्तव्य है किन्तु लगता है कि आपका इससे कोई संबंध नहीं है और आप हमें इसे स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम सभा में किस तरह से कार्यवाही कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम*** :

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें। प्रत्येक मामले सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह वक्तव्य गलत है और श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसे स्वीकार कर लिया है।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम*** :

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस मामले को अभी न उठायें। आपको इस बारे में लिखित नोटिस देना चाहिये।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम*** :

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न करें।

**श्री के० गोपाल** : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर हमारे राष्ट्र को गर्व है। विशेषकर विदेशों में, मध्य पूर्व के देशों और मलेशिया में इसे विश्व से प्राप्त टेंडरों के विरुद्ध ठेके मिले हैं। कुछ विदेशी फर्में इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और ईर्ष्या के कारण देश में इसके विरुद्ध प्रचार कर रही है। क्या यह सच है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या हैं?

**श्री जार्ज फर्नांडीज** : इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि कुछ फर्में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के विरुद्ध प्रचार कर रही हैं? यह सच है कि देश में और देश से बाहर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के प्रति ईर्ष्या है। मैं यह बात स्वयं महसूस कर रहा हूं।

मैं यह कह सकता हूं कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स इसका मुकाबला कर सकेगा और यह सरकार इसका समर्थन करेगी।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने केन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा की जा रही जांच के बारे में एक वक्तव्य दिया था। मंत्री ने भी उसके बाद और सितम्बर के महीने में एक वक्तव्य दिया था।

मंत्री को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या इससे हमारे लिए विचित्र स्थिति पैदा नहीं होती कि मंत्री को उसके अपने विभाग में हो रही जांच के बारे में जानकारी न हो। उस समय उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि इस प्रकार की कोई जांच

*कार्यवाही को वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
*Not recorded

की जा रही है । बाद में, जब मंत्री से प्रश्न पूछा गया तो मंत्री ने उस पर विचार किया और सभा में उसका उत्तर दिया । इससे यह संदेह होता है कि मंत्री को बाद में इसका पता चला और उन्हें इस बारे में पहले कुछ जानकारी नहीं थी । मेरा प्रश्न यह है : मंत्री महोदय को इस बात का पता क्यों नहीं था जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उस समय जांच की जा रही थी जब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था ?

**श्री जार्ज फर्नांनडीज** : लोक सभा सचिवालय ने मंत्रालय को प्रश्न भेजा है । प्रश्न का उत्तर नियमित रूप से दिया गया है । इस बात का उत्तर देते का उत्तरदायित्व लोक सभा सचिवालय का है न कि मंत्री का ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी ने सितम्बर में अपने एक प्रेस सम्मेलन में लखनऊ में एक वक्तव्य दिया था और यह 4 सितम्बर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मुझसे संवाददाता ने यह प्रश्न पूछा कि क्या उनका ध्यान डा० स्वामी के कतिपय वक्तव्यों की ओर गया है । मुझे यह कहना पड़ा कि जहां तक मैं जानता हूं अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है । अब यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर रहा है तो मेरे विचार में यह ठीक नहीं कि मंत्रियों को इन सभी जांचों के प्रति जानकारी होनी चाहिए । केन्द्रीय जांच ब्यरो गृह मंत्रालय का विभाग है । गृह मंत्रालय का कार्य करने का अपना तरीका है और गृह मंत्रालय संबंधित मंत्रालय या व्यक्ति विशेष की जानकारी के बिना जांच कराता है । गृह मंत्रालय या केन्द्रीय जांच व्यूरो के कार्यकरण के बारे में जानकारी रखने की मुझसे आशा नहीं होनी चाहिए ।

अतः 4 सितम्बर को मैंने जो वक्तव्य दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सही है । उसके बाद मैंने इस बारे में जानकारी हासिल कर ली कि क्या हो रहा है । अतः मैं उत्तर देने के लिये यहां पर खड़ा हूं ।

## Power Crisis in States

** 124. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minisgter of Energy be pleased to state :

(a) whether many States in the country are facing serious Power crisis at present ;

(b) whether power position of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh is very acute these days ; and

(c) if so, the steps taken by the Central and various State Governments to overcome this power crisis ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) उत्तर प्रदेश राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों तथा गोवा और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत को अधिसूचित कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । तथापि, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में ऊर्जा की अत्यन्त कमी है जबकि पश्चिम बंगाल में व्यस्ततम काल में बिजली की कमी है । कुछ अन्य राज्यों में भी जब कभी ताप विद्युत युनिटों के जबरन बन्द हो जाने के फलस्वरूप उत्पादन में कमी हो जाती है तब अस्थायी प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश में, फरवरी, 1978 में, ऊर्जा की आवश्यकता में लगभग 10.9% की और व्यस्ततमकालीन मांग की आवश्यकता में 22.9% की कमी अनुभव की गई है जबकि उत्तर प्रदेश ऊर्जा की आवश्यकताओं में लगभग 31.4% की और व्यस्ततमकालीन मांग की आवश्यकताओं में लगभग 38.4% की कमी महसूस कर रहा है।

(ग) विद्युत की कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। किए गए अल्पावधि उपायों में सम्मिलित हैं क्षेत्रीय ग्रिडों का एकीकृत प्रचालन, जिन विद्युत केन्द्रों का उत्पादन कम है उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और समयबद्ध सुधार तथा नवीकरण कार्यक्रम लागू करना फालतू पुर्जों और घटकों का समय पर वितरण करना; उत्तम स्तर का प्रचालन और रख-रखाव की पद्धति आरम्भ करना; सुनियोजित और जबरन बन्दियों की अवधि को कम करने के लिए कदम उठाना। चालू की गयी नयी यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के विविध शाखाविज्ञ दल गठित किए गए हैं जिनमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राज्य बिजली बोर्ड तथा व्यवसायिक परामर्शदाता सम्मिलित हैं। 1974 से पहले चालू किए आयातित संयंत्रों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) भी बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए उनकी सूक्ष्मता से मानिटरिंग की जाती हैं। राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्धक संवर्गों में व्यावसायीकरण और विशेषीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। विद्युत केन्द्रों को उपलब्ध कोयले के स्तर में सुधार लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

यह माना गया है कि दीर्घकाल में विद्युत की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन केवल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके ही लाया जा सकता है और इस दृष्टि से केन्द्रीय क्षेत्र में अनेक सुपर ताप-विद्युत केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है। ये केन्द्र राज्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित की जाने वाली स्वीकृत क्षमताओं के अलावा हैं।

**Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** In his statement the Hon. Minister has stated that in the long run it is recognised that only the augmentation to the installed generating capacity will bring about the desired change in the power situation. May I know how the generating capacity is proposed to be augmented ? Will you please state the names of areas and places where new plants are proposed to be set up for generating additional power indicating the capacity thereof and the time by which they are likely to be completed ?

**श्री पी० रामचन्द्रन :** मैंने पहले भी सदन में बताया है कि हम देश में प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। हमने 17000 मैगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन हेतु विभिन्न राज्यों में बहुत सी योजनाओं की स्वीकृति दी है जो निर्माण के विभिन्न स्तरों में चल रही हैं। और अधिक योजनाएं सी० ई० ए० के विचाराधीन हैं। वे अगले कुछ महीनों में आने वाली हैं। हम पन और तापीय विद्युत केन्द्रों दोनों के कार्यकरण को सुचारू बनाकर विद्युत उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। इस उद्देश्य हेतु हमने विभिन्न बिजली घरों में बहु-अनुशासनीय दल वहां पर व्याप्त त्रुटियों का पता लगाने के लिए भेजे हैं क्योंकि हम उन कमियों को अगले कुछ महीनों में दूर करना चाहते हैं।

**Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Sir, I have not received reply to my question. I have asked the names of areas where you propose to set up plants indicating the type and capacity thereof in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. I should get reply to my previous question before I put another.

**श्री पी० रामचन्द्रन :** मैं विभिन्न राज्यों में निर्माण के विभिन्न स्तरों में चल रही सभी योजनाओं की सूची दे सकता हूँ। मध्य प्रदेश के बार में हमारे पास अमरकंठ विस्तार योजना है जो सितम्बर, 1977 में चालू की गई थी। अमरकंठ चरण II के अधीन दूसरे यूनिट के मार्च, 1978 में चालू होने की

आशा है, उत्तर प्रदेश में हमारे पास 200 मैगावाट की क्षमता वाला ओबरा विस्तार II है, 60 मेगावाट की क्षमता वाला हरदुआगंज 'सी' यूनिट II है जो अगस्त, 1977 में चालू किया गया था। सभी राज्यों में चालू की जाने वाली और स्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं की सूची मैं पढ़कर सुना सकता हूं । यह काफी लम्बी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभा पटल पर रख दें।

**Dr. Laxmi Narayan Pandeya** : May I know whether it is a fact that at present power shortage to the extent of 30 per cent, 30 to 35 per cent, 40 per cent and 10 to 20 per cent is being felt in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka respectively where longterm measures have been taken and you lack in measures to meet this shortage as a result of which agricultural production is being adversely affected ? The farmers are being supplied power at night and that too at higher rates whereas power is being supplied to industries at cheap rate. May I know whether keeping in view all these facts you have got some immediate measures to remove these shortcomings so that the farmers can get power easily and at cheap rates. So far as I know in next five years you will require 22,000 megawatts of power ? I want to know whether you will be able to generate ony 1000 to 1200 megawatts of power by the longterm measures suggested by you ? Still there will be shortage of power. What measures are proposed to taken by you to generate power to meet the requirement so that farmers and industries are able to get rquired quantum of power ?

**श्री पी० रामचन्द्रन** : मैंने पहले ही बताया है कि बिजली घरों के मामले में निर्माण अवधि काफी लम्बी होती है । विगत में पूर्व-आयोजना न बनाने के कारण देश में बिजली की वर्तमान में कमी पैदा हो गई है और चाहे हम कितनी जल्दी योजनाएं स्वीकृत करें उनके पूरा होने में समय तो लगेगा । हम इसी महीने 1000 मेगावाट का एक और प्लांट चालू करने वाले हैं । 1978-79 में 3,400 मेगावाट का हमारा कार्यक्रम है । हमने इस बजट में विद्युत के लिए अधिक आबंटन किया है । इसके अलावा पीछे जो कमियां सामने आईं हम उन्हें दूर करना चाहते हैं । हमारे पास ऐसा करने के दो या तीन तरीके हैं। प्रतिष्ठापित क्षमता में तेजी से वृद्धि करना उनमें से एक है । दूसरा है : इन विद्युत केन्द्रों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करना । इसके लिये भी हमने केन्द्रों में निरीक्षण के लिये कुछ दल नियुक्त किये हैं और कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों पर, जो अब वसूल की जा रही हैं, विचार करना राज्य सरकारों का काम है । यह देखना उन का काम है कि किसानों को ठोक तथा सस्ती दर पर बिजली मिले। सरकार की यही नीति है । आने वाले कुछ सप्ताहों में हम एक छोटी समिति नियुक्त कर रहे हैं जो टैरिफ के मामले में जांच करेगी और उसके बाद हम सभा को स्पष्ट स्थिति बता सकेंगे।

**Shri Mrityunjay Prasad Verma** : Sir, Nothing has been stated about Bihar. I want to know only one thing that is whether power is being spplied in Bihar to meet its entire requirement and there isno power shortage and whether there was complete failure of power last month and Patna was plunged into complete darkness ? Kindly tell something about Bihar also. It appears from the reply that he has no information with him about Bihar. Bihar is being neglected.

**श्री पी० रामचन्द्रन**: बिहार की उपेक्षा नहीं की गई है और बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कोई उल्लेखनीय कटौती नहीं की गई है। बिहार में 740 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता है और बिहार को कुछ बिजली डी० वी० सी० से भी सप्लाई की जाती है । उल्लेखनीय कटौती ध्यान में नहीं आई है। परन्तु मैं मानता हूँ कि बिहार में बिजली की कमी है । इसी कारण हम बिहार में नई योजनाएं स्वीकृत करके वहां प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं । वास्तव में हमने एक योजना स्वीकृत की है जिसमें पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाना शेष है । अन्य योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है और बिहार को आने वाले कुछ वर्षों में विद्युत विकास में पूरा भाग मिलेगा।

**श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह लगातार कमी त्रुटिपूर्ण आयोजना या त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन या वर्तमान क्षमता का उपयोग न करने के कारण है ?

**श्री पी० रामचन्द्रन** : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के तीनों भागों का मेरा उत्तर स्वीकारात्मक है । पूर्व-आयोजना नहीं की गई है । पहले लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि देश में प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़ाई जाये । इसी कारण आज हम कमी महसूस कर रहे हैं । प्रतिष्ठापित क्षमता है परन्तु रख-रखाव ठीक न होने के कारण और विभिन्न बिजलीघरों में यांत्रिक गड़बड़ी के कारण हम प्रतिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं । हम प्रतिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने और त्रुटियों को दूर करने का काम शीघ्र हाथ में ले रहे हैं।

**डा० बी० एन० सिंह** : क्या यह सच है कि बिहार में बिजली उत्पादन केवल 30% है। बिजली उत्पादन में सुधार करने के लिये सरकार क्या कर रही है ताकि बिजली की लगातार कमी और कटौती को दूर किया जा सके ?

**श्री पी० रामचन्द्रन** : क्या यह सच है कि बिहार में 740 मोगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता के होते हुए भी बिजली उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिये। परन्तु बिजली प्राधिकरण राज्य की सहायता करने का प्रयास कर रहा है और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स वाले भी वहां जा रहे हैं और वे इन त्रुटियों को दूर करने में बिहार बिजली बोर्ड की सहायता करेंगे और यह देखेंगे कि वे इसका वेहतर उपयोग करेंगे।

## Production in Ordnance Factories

*125. **Shri Sukhdev Prasad Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that production in Ordnance Factories during the year 1977 have gone up substantially in comparison to the year of 1976;

(b) if so, how does the increased cost and value of production of 1977 compare with that of 1976;

(c) whether the Ordnance organisation is contemplating to give up certain areas of activities to private sector; and

(d) if so, what are the items and the reasons therefor ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) लागत मूल्य :

| | |
|---|---|
| 1975-76 | 381.23 करोड़ रुपए (कुल) |
| 1976-77 | 475.30 करोड़ रुपए (कुल) |

आयुध कारखानों में उत्पादनों की लागत तथा मूल्य एक ही होता है क्योंकि आयुध कारखानों से सेनाओं को उत्पादन लागत मूल्य पर जारी किए जाते है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Shri Sukhdeo Prasad Verma** : Is it a fact that hard labour of the workers, officers and employees of the ordinance factories was the reason for increase in production.

**Prof. Sher Singh** : Increase was 24.66 per cent. I am giving details of increase. There was 15.39 per cent physical increase in production and increase of 9.30 per cent was due to increase in the raw material, wages and capital investment.

**Shri Sukhdeo Prasad Verma** : I had asked whether hard labour of the workers and employees was the only reason for increase in production of these factories.

**Prof. Sher Singh** : It is due to contribution of the workers and increase in the investment. There are other reasons also for increase in the production.

**Shri R. L. P. Verma** : The imported firearms are cheap whereas they are four or fivetimes costlies in our country. What is the reason.

**Prof. Sher Singh** : The cost of our articles produced here are not higher than those of other countries. In some cases prices are less.

**परामणु विद्युत संयंत्रों में स्पैन्ट फ्यूल राड्स (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने में कठिनाइयां**

*126. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पूल में अधिक "स्पैन्ट फ्यूल राड्स" (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने की कठिनाइयों के कारण वर्ष 1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान तारापुर परमाणु संयंत्र में उत्पादन निर्धारित क्षमता से घटकर 70 प्रतिशत रह गया;

(ख) क्या स्पैन्ट फ्यूल राड्स (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने के स्थान की कमी होने के कारण राजस्थान संयंत्र का दूसरा यूनिट चालू नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार 'स्पैन्ट फ्यूल राड्स' (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने की समस्या हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है क्योंकि, ये बहुत अधिक रडियोधर्मी हैं?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां। उक्त कारण से वर्ष 1977-78 के अन्तिम छः महीनों में उत्पादन को घटाना आवश्यक हो गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री के० रामामूर्ति** : मैंने इस प्रश्न को तीन भागों में पूछा है : (क) क्या वर्तमान पूल में अधिक "स्पेंट फ्यूल राड्ज" (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने की कठिनाइयों के कारण वर्ष 1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान तारापुर परमाणु संयंत्र में उत्पादन निर्धारित क्षमता से घटकर 70 प्रतिशत रह गया। इसके उत्तर में, मुझे खुशी है, प्रधान मंत्री ने हां कहा है जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि रखने की सुविधायें न होने के कारण उत्पादन घटकर 70 प्रतिशत रह गया।

भाग (ख) यह है :--"क्या स्पेंट फ्यूल राड्ज (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने के स्थान की कमी होने के कारण राजस्थान संयंत्र का दूसरा यूनिट चालू नहीं किया जा सका"। इसके उत्तर में उन्होंने नहीं कहा है। भाग (ग) में पूछा गया है कि क्या सरकार का विचार 'स्पेंट फ्यूल राड्ज' (ईंधन की प्रयुक्त छड़ें) रखने की समस्या हल करने के लिए कार्यवाही करने का है क्योंकि ये बहुत अधिक रडयोधर्मी हैं। इसके उत्तर में कहा गया है कि प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री ने पहले भाग में स्वीकार किया है कि उत्पादन का घटकर 70 प्रतिशत हो जाना आवश्यक था क्योंकि स्पेंट फ्यूल राड्ज को रखने के लिए सुविधायें नहीं थीं। लेकिन मेरी समझ में यह

नहीं आया कि 'प्रश्न ही नहीं उठता' जैसा नौकरशाही वाला उत्तर कैसे दिया गया है । मैंने स्पष्टरूप से पूछा है कि इस कठिनाई पर काबू पाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है । मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इस बारे क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ।

**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे खेद है कि भाग (ग) का उत्तर कुछ गुमराह करने वाला सा है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ यह स्पेंट फ्यूल रखने के स्थान की कमी हो गयी है और इसीलिये ऐसा हुआ है । हमें देखना है कि उत्पादन भी उसी के अनुसार हो । इसे प्रयोग करने सम्बन्धी समाधान संयुक्त राज्य अमरीका के साथ करार द्वारा ही हो सकता है और हम इस बारे बातचीत कर रहे हैं । लेकिन उनके दृष्टिकोण को देखते हुये हमें सावधान रहना है । हमें देखना है कि हम इसे कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। हम इसके लिये उपाय ढूंढ़ रहे हैं ताकि हम इस कठिनाई को हल कर सकें। लेकिन इस समय हमें कुछ अधिक मिल रहा है और हम सम्भवतः इसका समाधान उस ढंग से कर सके । यदि न कर सकें तो हमें और रास्ता अपनाना पड़ेगा ।

**श्री के० रामामूर्ति** : देश में बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए इन अणु ऊर्जा संयंत्रों से यह आशा रखनी चाहिये कि वे पूरी क्षमता से काम करेंगे। मैं प्रधान मंत्री के उत्तर से समझता हूँ कि यह सब संयुक्त राज्य अमरीका से हुई वार्ता के कारण हुआ है । मैं जानना चाहता हूँ कि वार्ता में कितना समय लगेगा और अमरीका के साथ इन मामलों को निपटाने के लिये क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ताकि हम बिजली की इस कमी को पूरा कर सकें ।

**श्री मोरारजी देसाई** : यह दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है और मैं इसमें जबर्दस्ती नहीं कर सकता । इसके बारे में मैं कोई समय सीमा नहीं बता सकता ।

**श्री चित्त बसु** : मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या स्पैंट फ्यूल राड को रखने का प्रश्न भारत और अमरीका के बीच हुये करार का भाग था और यदि हां, तो क्या रखने की समस्या अमरीका द्वारा करार के उल्लंघन के कारण पैदा हुई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका द्वारा करार के उल्लंघन से संयंत्र को बचाने के लिये भारत सरकार कौनसे वैकल्पिक उपाय करने जा रही है । ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम संयंत्र को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में समाचार-पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुये हैं और कुछ उच्चाधिकारियों ने कहा है कि हम तो अपना दो वर्ष के करीब का समय व्यतीत कर रहे हैं। जिसके बाद तारापरा संयंत्र हमेशा के लिये बंद हो जायेगा।

**श्री मोरारजी देसाई** : अमरीका द्वारा करार के उल्लंघन करने सम्बन्धी अपने माननीय मित्र की चिंता को मैं अनुभव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि उल्लंघन हुआ है । लेकिन इस बारे में हम क्या कर सकते हैं ? क्या हम न्यायालय में जा सकते हैं ? क्या कोई न्यायालय इसका निर्णय कर सकता है ? यह सम्भव नहीं है और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते । अतः हमें कुछ वैकल्पिक उपाय करने हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो इसे जारी रखकर मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ सकता।

**Dr. Baldev Prakash** : The Prime Minister said just now that production came down in the Tarapur Atomic Plant due to storage difficulty. I want to know, besides this, whether there are some other reasons and whether U.S.A. is not supplying uranium which is one of the reasons ?

**Shri Morarji Desai** : It is only for this reason that despite fuel, production had to be decreased so that we are not placed in difficulty in case storage capacity exceeds. It has, therefore, to be adjusted.

**श्री समर गुह** : प्रधान मंत्री के उत्तर के बाद मैं असमंजस में पड़ गया हूँ। प्रश्न स्पैंट फ्यूल को रखने की जगह के सम्बन्ध में है । प्रश्न संयुक्त राज्य अमरीका से यूरेनियम की सप्लाई का नहीं है । सभी प्रश्नों के उत्तर इस ढंग से दिये गये हैं जैसे कि प्रश्न अमरीका द्वारा यूरेनियम की सप्लाई के बारे

पूछा गया हो। प्रश्न यह है कि क्या अणु ऊर्जा आयोग उन उपयुक्त स्पैंट यूरेनियम राड्ज़ जो रेडियोधर्मी हो गयी है, को रखने के लिये स्थान उपलब्ध करने में सफल हुआ है? उपयोग करने के बाद इन्हें हर कहीं फैंका नहीं जा सकता। इसे कहीं न कहीं सुरक्षित रखना पड़ता है। यह संयुक्त राज्य अमरीका पर कैसे निर्भर करता है? यह काम तो हमारा ही है। हमारे अणु ऊर्जा आयोग को इस काम को करना पड़ेगा। उन्हें पहले समझ लेना चाहिये था कि कुछ समय के बाद यूरेनियम राड्स रेडियोधर्मी हो जायेगी और उन्हें लीड चेम्बर पानी अथवा समुद्र के अंदर कहीं न कहीं पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करनी चाहिये थी। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भिन्न ढंग से दिया गया है। हमारा अणु ऊर्जा अयोग लीड चेम्बर, पानी व समुद्र के अंदर स्पैंट रेडियोधर्मी राड्ज़ के लिये स्थान बनाने में क्यों असफल हुआ है?

**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे माननीय मित्र मेरे उत्तर के कारण असमंजस में पड़ गये हैं, अपने उत्तर के कारण नहीं ...

**श्री समर गुह** : यह मेरा विषय है।

**श्री मोरारजी देसाई**: यदि इनका विषय है तो इन्हें जानना चाहिये कि स्पैंट फ्यूल कहीं फैंका नहीं जा सकता क्योंकि इससे और समस्यायें पैदा हो जाएगी। ये अनुभव नहीं करते कि...

**श्री समर गुह**: मैंने अनुभव किया है और इसीलिये मैंने प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के बारे में ऐसा न कहें कि मैं अनुभव नहीं करता।

**अध्यक्ष महोदय**: प्रधान मंत्री बोल रहे हैं।

**श्री मोरारजी देसाई** : अणु ऊर्जा आयोग स्पैंट फ्यूल को उपयोग में लाने तथा कहीं फैंकने के लिये कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया है। हमें अमरीका की सहायता से ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने इसे देने का वचन दिया था लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर रहे।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गुह, यह प्रश्नकाल है।

**श्री मोरारजी देसाई** : मैं मानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र मेरे से अधिक जानते हैं। मुझे मानना चाहिये कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ लेकिन ये हैं।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### कलपक्कम में न्यूक्लीयर विद्युत परियोजना

*127. **श्री रागावलू मोहनरंगम** :]

**श्री एस०डी० सोमसुन्दरम** :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम में परियोजना पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना विलम्ब हुआ है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना के शेष चरणों को पूरा करने की क्या निश्चित योजनायें हैं और इस सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना, कलपक्कम का कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गया है।

(ख) विलम्ब के प्रमुख कारण हैं :--(1) भारत में बने न्यूक्लीय और परम्परागत किस्म के उपस्करों का विलम्ब से मिलना, (2) कुछ देशों द्वारा न्यूक्लीय विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपस्करों/सामग्री के निर्यात पर लगाई गई पाबन्दी के परिणामस्वरूप कुछ उपस्करों के मिलने में विलम्ब होना, तथा (3) हड़तालों, निर्माण सामग्री की कमी, आदि जैसे अन्य कारण।

(ग) अधिकांश उपस्कर, जिनमें ऐसे उपस्कर भी शामिल हैं जो निर्यात संबंधी पाबन्दी से प्रभावित थे, अब प्राप्त हो चुके हैं। उपस्कर लगाने के काम में, जहां भी संभव है वहां, तेजी लाई गई हैं। साथ ही साथ, लगाए गये उपस्करों की संचालन-पूर्व जांच भी की जा रही है, ताकि उपस्करों के पूरी तरह से लग जाने के बाद बिजलीघर के चालू होने और पूरी क्षमता से काम करने में जो समय लगता है उसमें कमी की जा सके। परियोजना के पहले यूनिट के दिसम्बर, 1979 तक तथा दूसरे यूनिट के सन् 1981 के मध्य में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने की संभावना है। आशा है कि दोनों यूनिट क्रांतिकता प्राप्त करने के कुछ महीने बाद पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे।

**Implementation of Development Schemes for Employment in States**

*128. **Shri Y.P. Shastri** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has selected certain Districts and Development Blocks in the country to undertake this year the implementation of development schemes for providing full employment to the residents there ;

(b) if so, the State-wise names of these Districts and Development Blocks and the criteria of their selection; and

(c) whether only those Districts and Development Blocks have been selected under the Area Development plans where per capita average income is less than the national per capita income ?

**Prime Minister (Shri Morarji Desai)** : (a) Not yet. A Working Group has been constituted to draw up guidelines for Block level Planning.

(b) and (c) Do not arise.

**परमाणु सुरक्षा उपायों के बारे में भारत का रुख**

*129. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु सुरक्षा उपायों के बारे में भारत के रुख में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) क्या सरकार अब परमाणु हथियारों वाले सभी देशों द्वारा परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने पर जोर नहीं दे रही है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार अपने इस मत पर कायम है कि परमाणु उपस्करों के सभी परीक्षणों पर पाबन्दी लगा दी जानी चाहिए।

**सेवाओं में भर्ती में पिछड़े वर्गों का आरक्षण**

*130. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :**
**श्री ईश्वर चौधरी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने राज्य की सेवाओं में सीधे भर्ती के मामले में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा आरक्षित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों द्वारा निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :** (क) तथा (ख) राज्य सेवाओं में आरक्षण, एक ऐसा मामला है जो संबंधित राज्य सरकारों के सामर्थ्य तथा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार इस बात से अवगत है कि कई राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था की है। फिर भी, इस सम्बन्ध में पूर्ण तथा अद्यतन सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**राजस्थान में कृषि उपभोक्ताओं और छोटे उद्योगपतियों को सुविधा देने के लिए केन्द्र द्वारा सुझाव**

*131. **श्री एस०एस० सोमानी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को कोई सुझाव दिए गये हैं कि राज्य में कृषि उपभोक्ताओं और छोटे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं और इस बारे में राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड का निर्णय क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण समिति की सिफारिशें सितम्बर 1974 में राजस्थान समेत अन्य राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को भेज दी गई थी। इसके अलावा केन्द्रीय प्राधिकारी ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के साथ समय-समय पर सम्पर्क करते रहे हैं। इससे अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा छोटे औद्योगिक यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्राम विद्युतीकरण समिति का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था और बिजली सप्लाई के मामले में ग्रामीण उपभोक्ताओं को कठिनाइयों की जांच इस समिति ने की थी। अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता के संबंध में भी केन्द्रीय प्राधिकारी राज्यों को सलाह देते रहे हैं ताकि विद्युत उत्पादन में हुई प्रगति से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सके।

राजस्थान के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) उच्च वोल्टता विस्तार, सम्बद्ध उपकेन्द्र और सर्विस लाइन को छोड़कर, मुख्य वितरण लाइन को लागत संभावी लघु और मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं से नहीं मांगी जानी है/नहीं ली जानी है।

(2) उच्च वोल्टता लाइन और ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की लागत ऐसे संभावी कृषि उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जानी है जो अग्रिम जमा योजना के अन्तर्गत बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं।

(3) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर क्षमता देने की लागत उन लघु और मध्यम श्रेणी को औद्योगिक सेवाओं वाले उपभोक्ताओं से नहीं मांगी जानी है/नहीं ली जानी है जो अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करते हैं।

बिजली की सप्लाई के लिए वर्ष 1976 में जारी किए गए हमारे टैरिफ के अनुसार लघु औद्योगिक सेवाओं और मध्यम-श्रेणी का औद्योगिक सेवाओं के लिए यथा निर्धारित प्रयोज्यता निम्न प्रकार है :--

(क) लघु औद्योगिक सेवाएं (सारणी एस०पी०/एल०टी०-5)--यह टैरिफ लघु औद्योगिक उपभोग्ताओं, कुटीर उद्योगो जैसे (इन्क्यूबेटर्ज) जरी बनाने, चांदी और सोने के तार खींचने, कुक्कुट पालन, रत्न पत्थर पालिश करने इत्यादि और सार्वजनिक जल-सप्लाई के लिए 25 अ०श० तक के कुल सम्बद्ध भार वाले जल कार्यों पर लागू होगा।

(ख) मध्यम श्रेणी की औद्योगिक सेवाएं (सारणी एम०पी०/एल०टी०-5)—यह टैरिफ औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं और सार्वजनिक जल-सप्लाई के लिए 25 अ०श० से अधिक कुल सम्बद्ध भार वाले जल कार्यों पर लागू होगा।

(4) कृषि सेवा-टैरिफ सारणी ए०जी०/एल०टी०-4 के लिए निर्धारित प्रयोज्यता के अनुसार अगर बिजली का कोई कनेक्शन एक कलेण्डर वर्ष में 16 फरवरी और 30 सितम्बर के बीच प्राप्त किया/दिया जाता है तो प्रचालन के केवल प्रथम वर्ष में ही उक्त अवधि के लिए कोई न्यूनतम प्रभार नहीं लगाए। उपभोग की गई ऊर्जा के लिए, 16 फरवरी से 30 सितम्बर तक की अवधि में से जिन महीनों के बिल बनाए जाने हों वे बिल उन महीनों के लिए निर्धारित दर पर ही बनाए जाएंगे। उदाहरणार्थ निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रभारों के यथानुपातिक आधार पर 6 मास की अवधि के लिए अर्थात् वर्ष के 1 अक्तूबर से आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक लिए न्यूनतम प्रभार ही वसूल किए जाएंगे।

(5) कतिपय निर्धारित/उपचित राशि की अदायगी न करने पर अगर किसी कृषि उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया हो तो उस उपभोक्ता को यह सुविधा दी गई है कि निर्धारित फार्म में इस आशय का वचन देकर वह अपनी सेवी फिर कनेक्ट करा सकता है। पुनः ले सकता है कि 15 मई तक अथवा इस प्रकार की सूचना दिए जाने के 30 दिनों के भीतर हो, जो भी बाद में हो, वह उक्त राशि अदा कर देगा। ऐसा इस दृष्टि से किया जाता है कि रबी की फसल को नुकसान न पहुंचे।

(6) पहले केवल उतने ही कुओं को ऊर्जित किया जा सकता था जितने कुओं की संख्या का उल्लेख ग्राम विद्युतीकरण निगम स्कीम की परियोजना रिपोर्ट में किया हुआ होता था परन्तु अब ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में से प्रत्येक गांव से प्राप्त मांगों के गुण-दोषों के आधार पर अधिक संख्या में कुएं ऊर्जित करने की अनुमति दी जा रही है, चाहे इस के लिए 11 के०वी० की अतिरिक्त लाइन बिछानी पड़े और उपकेन्द्र स्थापित करना पड़े।

**संकट ग्रस्त कपड़ा मिलें**

*132. **श्री के० मायातेवर** :क्या **उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) कपड़ा उद्योग में संकटग्रस्त मिलों की संख्या क्या है, उनके सामान्य उत्पादन का औसत मूल्य क्या है, रोजगार पर लगे श्रमिकों की संख्या क्या है और उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) संकटग्रस्तता के अनुसार इन मिलों का वर्गीकरण क्या है और उत्तम प्रबन्ध तथा अधिक पूंजी लगाने पर वे आर्थिक गतिविधि में कितना सहयोग दे सकती हैं; और

(ग) इन मिलों को व्यवहार्य बनाने के लिए यदि कोई चरणबद्ध कार्यक्रम है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस)** : (क) से (ग) रुग्ण मिल की कोई ठीक-ठीक भाषा नहीं है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर स्थिति आंकी जाती है। कपड़ा उद्योग का एक बड़ा भाग कच्चे माल की स्थिति, उद्योग में आधुनिकीकरण करने की निरन्तर उपेक्षा, दोषपूर्ण प्रबन्ध और अन्ततः विश्लेषित मन्दी की स्थितियों के कारण मांग में होने वाली कमी जसे अनेक कारणों के फलस्वरूप पैदा होने वाली कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है।

इन कारणों से निपटने के लिए अनेक उपचारात्मक अभ्युपाय किए गए हैं। किए गये प्रमुख अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

1. कच्चे माल की पूर्ति को बढ़ाना।
2. कपास की उपलब्ध पूर्ति का समान वितरण करना और इसके मूल्यों में नियमानुशीलन।
3. कपड़ा मिलों के पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए उदार ऋणों की व्यवस्था करना।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कार्यकरण**

*133. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

**श्री जी०एम० बनतवाला** :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के गत तीन वर्षों के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि इस निगम को, जो पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा एकक है, प्रति मास 80 लाख रुपये की हानि हो रही है ;

(घ) क्या इस निगम के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है; यदि हां, तो कब से, और

(ङ) इस निगम के कार्य को सुधारने और इसे बेहतर बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडीस)** : (क) से (ङ) समझा जाता है कि प्रश्न राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिम बंगाल आसाम, बिहार और उड़ीसा) की सहायक शाखा के सम्दर्भ में है। इसमें सन्देह नहीं कि

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अन्य सहायक शाखाओं की भांति यह सहायक शाखा भी हानि उठा रही है। लेकिन यह सहायक शाखा पूर्वी अंचल के स्थानगत सामान्य प्रतिकूल स्थितियों की वजह से भी नुकसान उठा रही है ।

इस सहायक शाखा द्वारा चालू वर्ष में उठाई गई मासिक हानि निम्न प्रकार है :

| महीना | कुल हानि (रुपये लाखों में) |
|---|---|
| अप्रैल, 1977 | 50.36 |
| मई, 1977 | 56.22 |
| जून, 1977 | 69.41 |
| जुलाई, 1977 | 58.81 |
| अगस्त, 1977 | 59.28 |
| सितम्बर, 1977 | 69.11 |
| अक्तूबर, 1977 | 84.21 |
| नवम्बर, 1977 | 89.65 |
| दिसम्बर, 1977 | 78.86 |
| जनवरी, 1978 | 71.68 |

इस सहायक शाखा के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कम्पनी) की सलाह से विचार किया जा रहा है। वर्ष 1974-75 के लेखों का अंकेक्षण हो गया है तथा उन्हें स्वीकार कर लिया गया है । वर्ष 1975-76 के लेखों का अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इस समय उनका अंकेक्षण किया जा रहा है।

निगम के कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिए 9.22 करोड़ रुपये की मशीनों के आधुनिकीकरण जैसे कुछ कदम उठा लिए गये हैं। इस सहायक शाखा के प्रबन्ध में मजबूती लाने का कार्य भी चल रहा है ।

## सीमेंट का आयात

*134. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **उद्योग मंत्री** एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) क्या सीमेंट की अधिक मांग और उसके उत्पादन में कमी के कारण इसका आयात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक कारखाने लगाने के लिए नए आशय-पत्र जारी किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन पार्टियों को आशय-पत्र दिए जा रहे हैं तथा प्रस्तावित कारखाने कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस)** : (क) 1977 की अवधि में 19.10 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक उत्पादन था। फिर भी सरकारी कार्यों, कृषि, उद्योग तथा मकानों में इस्तेमाल के लिए सीमेंट की अधिक मांग विगत समय में आगे की अच्छी योजना के अभाव में

अपर्याप्त क्षमता के कारण सीमेंट की सप्लाई में कमी हुई थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आए तूफान के विध्वंस से मरम्मत के लिए भी काफी मात्रा में सीमेंट की जरूरत पड़ी है। अतएव सरकार ने इन अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का आयात करने का निश्चय किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) तीन विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 1653/78]

**Small Scale Industries in Backward and Rural Areas**

*135. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Industry** be pleased to lay a statement showing :

(a) the time by which work will be started for setting up of small scale industries in the rural areas as announced by him in Lok Sabh on the 23rd December, 1977; and

(b) the number and names of the districts declared as backward districts by the Central Government where the Central and the State Governments will start setting up industries immediately and whether Tikamgarh and Chhattarpur districts in Madhya Pradesh have been declared as backward districts ?

**The Minister of Industry (Shri George Fernandes)** : (a) The work of setting up of small scale industries in rural areas is already in progress. The honourable Member is probably referring to the scheme of setting up District Industries Centres which was announced on 23-12-1977. The setting up of District Industries Centres would be taken up in a phased manner and it is proposed to cover 260 districts during 1978-79.

(b) 247 districts are declared backward and the list of these districts is placed on the Table of the House. Tikamgarh and Chhattarpur districts in Madhya Pradesh have been declared as backward districts. It is proposed to cover Chatterpur under the District Industries Centres Scheme in 1978-79 and Tikamgarh in the next phase.

**STATEMENT**

List of Industrially Backward Districts selected to qualify for Concessional finance from the financial Institutions (as on March, 1, 1977) (247 districts).

| | |
|---|---|
| Andhra Pradesh . | . Anantapur, Chittoor, Cuddapah, Karimnagar, Khammam, Kurnool, Mehbubnagar, Medak, Nalgonda, Nellore, Nizamabad, Ongole, Srikakulam and Warrangal. |
| Assam | . Cachar, Goalpara, Kamrup, Mikir Hills, North Cachar Hill, Nowgong and new Lakhimpur distt. |
| Bihar | . Bhagalpur, Champaran*, Darbhanga*, Muzaffarpur*, Palamau, Purnea, Saharsa, Santhal Parganas Saran*, and new districts of Nalanda Aurangabad Nawadah, Gaya, Bhojpur, Begusarai and Monghyr. |
| Gujarat | Amreli, Banaskantha, Bhavnagar, Broach, Junagad Kutch, Mehsana, Panchamhal, Sabarkantha and Surendernagar. |
| Haryana . . | . Bhiwani, Hissar**, Jind and Mohindergarh**. |
| Himachal Pradesh | . Chamba, Kangra*, Kinnaur, Kulu, Lahaul and spiti, Solan and Sirmur |

| | |
|---|---|
| Jammu & Kashmir . . . | Anantnag, Baramula, Doda, Jammu, Kathua, Ladakh, Poonch, Rajori, Srinagar and Udhampur. |
| Kerala . . . . . | Alleppey, Cannanore, Malapuram, Trichur and Trivandrum. |
| Madhya Pradesh . . | Balaghat, Bastar, Betul, Bilashpur, Bhind, Chhatarpur, Chindwara, Damoh, Datia, Dhar, Dewas, Guna, Hoshangabad, Jhabua, Khargone, Mandla, Mandsaur, Morena, Narsimhapur, Panna, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon, Rajgarh, Raisen, Ratlam, Rewa, Sagar, Seoni, Shajapur, Shivpuri, Sidhi, Surguja, Tikamgarh, Vidisha and new Sehore district. |
| Karnataka . . . . | Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwar, Gulbarga, Hasan, Mysore, North Kanara, Raichur, South Kanara and Tumkur. |
| Maharashtra . . | Aurangabad, Bhandara, Bhir, Buldhana Chandrapur, Colaba, Dhulia, Jalagaon Nanded, Osmanabad Parbhani, Ratnagiri and Yeotmal. |
| Manipur . . . | All the 5 districts. |
| Meghalaya . . . | Garo Hills and United Khasi & Jaintia* Hills. |
| Nagaland, . . . | Kohima, Mokokechung and Tuensang. |
| Orissa . . . | Balasore, Bolangir, Dhenkanal, Kalahandi, Keonjhar, Koraput, Myurbhanj and Phulbani. |
| Punjab . | Bhatinda*, Gurdaspur, Hoshiarpur, Ferozpur*, and Sangrur. |
| Rajasthan . . . | Alwar, Banswara, Barmer, Bhilwara, Churu Dungarpur, Jaisalmer, Jalore, Jhunjhunu, Jhalawar, Jodhpur, Nagaur, Sikar, Sarohi, Tonk and Udaipur |
| Sikkim . | All the 4 districts of Gangtok, Mangan, Gyalshing and Namchi. |
| Tamil Nadu . | Dharmapuri, Kanyakumari, Madurai, North Arcot, Ramanathapuram, South Arcot, Thanjavur Tiruchirapalli and new Pudukkottai district. |
| Tripura . . . | All the 3 districts. |
| Uttar Pradesh . . | Almora, Azamgarh, Badaun, Bahraich, Ballia, Banda, Barabanki, Basti, Bulandshar Chamoli Deoria, Etah, Etawah, Faijabad, Farrukhabad, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi*, Kanpur Dehat Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Pithoragarh, Pratapgarh. Rai Bareli, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri Garhwal, Unnao Rampur and Uttar Kashi. |
| West Ben gal . . . | Bankura, Birbhum, Burdwan, Cooch-Bihar, Darjeeling, Hooghly, Jalpaiguri, Malda, Midnapur, Murshidabad, Nadia, Purulia, West Dinajpur. |
| **Union Territories** | |
| Andaman & Nicobar . . . | Entire Area. |
| Arunachal Pradesh . . . | Entire Area. |
| Dadra & Nagar Haveli . . . | Entire Area. |
| Goa, Daman & Diu . . . | Entire Area. |
| Lakshadweep . . . . | Entire Area. |
| Mizoram . . . . . | Entire Area. |
| Pondicherry . . . . | Entire Area. |

*District as it existed prior to its recent re-organisation.
**District as re-organised recently.

**दक्षिण में बिजली की कमी**

*136. **श्री आर०बी० स्वामीनाथन :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर के राज्यों की अपेक्षा दक्षिण के राज्यों में अभी भी बिजली की कमी है;

(ख) क्या उत्तर में फरवरी, 1978 के बाद से बिजली की कोई कमी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दक्षिण के राज्यों में स्थिति के सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) 1978 में जनवरी मास के दौरान उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी की अपेक्षा अधिक रही थी। जनवरी, 1978 में जबकि दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी 7.05 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी जोकि आवश्यकता के 9.75% के बराबर है, उत्तरी क्षेत्र में यह कमी 16.89 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी जोकि 20.10% के बराबर है। फरवरी मास के दौरान ऊर्जा की प्रत्याशित कमी दक्षिणी क्षेत्र में मांग की 11.03% तथा उत्तरी क्षेत्र में मांग की 13.97% होने की आशा है। तथापि 1978 में अप्रैल से जून तक दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की प्रत्याशित कमी उत्तरी क्षेत्र की कमी की अपेक्षा अधिक होने की आशा है। उत्तरी क्षेत्र में अप्रैल के दौरान ऊर्जा की कमी लगभग 2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन होने की आशा है जो कि आवश्यकता का लगभग 2% है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में यह कमी लगभग 10 मिलियन यूनिट प्रतिदिन होने की आशा है जो लगभग 14.3% के बराबर है।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर राज्यों में बिजली की कमी जारी है और यह कमी कुछ समय तक और बनी रहने की संभावना है।

(ग) अप्रैल और उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी अपेक्षतया कम मात्रा में होने के मुख्य कारण ये हैं—देहर और पोंग में नई लगाई गई/लगाई जाने वाली यूनिटों से अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई के लिए अधिक पानी छोड़े जाने तथा बर्फ के पिघलने इत्यादि के कारण नदी में अधिक पानी आ जाने के फलस्वरूप भाखड़ा प्रणाली से अधिक विद्युत् उत्पादन।

(घ) दक्षिणी क्षेत्र में अनेक अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन यूनिटों का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि जनवरी—जून, 1978 की अवधि के दौरान 445 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि होगी। इसमें से 110 मेगावाट की अभिवृद्धि ताप विद्युत् उत्पादन क्षमता में तथा 335 मेगावाट की अभिवृद्धि जल-विद्युत् प्रणाली में होगी। अधिशेष ऊर्जा का विभाजन और आपातकाल में पड़ौसी प्रणालियों से सहायता सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड प्रणाली का समेकित प्रचालन किया जाने लगा है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में कोठागुडम और तमिनाडु में एन्नोर स्थित वर्तमान ताप विद्युत् केन्द्रों से विद्युत् उत्पादन में सुधार लाने के लिए परियोजना नवीकरण दलों का आरम्भ पहले ही किया जा चुका है।

बेहतर किस्म का कोयला, पर्याप्त मात्रा में फुटकर पुर्जे तथा प्रचालन व अनुरक्षण इंजीनियरों के लिए उन्नत किस्म के प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अनुरक्षण

के प्रबंध कार्य में सुधार लाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। 1979-80 तक कर्नाटक में काली नदी में विद्युत् उत्पादन यूनिटों के क्रम-क्रम से चालू हो जाने पर कर्नाटक में स्थिति में काफी सुधार हो जाने की आशा है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू करने की दृष्टि से उनकी मानीटरिंग बहुत ही सम्यक रूप से की जा रही है। प्रतिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई विद्युत् स्कीमों की स्वीकृति दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में राज्य क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए स्वीकृत की गई क्षमताओं के अलावा इसमें आंध्र प्रदेश में रामागुंडम में एक वृहत् ताप विद्युत् केन्द्र और नेवेली में 630 मेगावाट के एक नए ताप-विद्युत केन्द्र का निर्माण भी शामिल है।

**उस विमान दुर्घटना की जांच जिसमें प्रधान मंत्री यात्रा कर रहे थे**

*137. **श्री समर गुह :**

**श्री पी०जी० मावलंकर :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विमान दुर्घटना के कारणों की जांच पूरी कर ली गई है जिसमें प्रधान मंत्री आसाम जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त विमान के उन कर्मचारियों को जिन्होंने प्रधान मंत्री के प्राण बचाने के प्रयत्न में अपना जीवन दे दिया, कोई मरणोपरान्त पुरस्कार अथवा/और पुरस्कार तथा उन परिवारों को मुआवजा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) जांच अदालत के निष्कर्षों की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) उन कर्मचारियों को मरणोपरान्त कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है जिनकी मृत्यु उस विमान दुर्घटना में हुई थी जो प्रधान मंत्री को जोरहाट ले जा रहा था। फिर भी, विशेष मामले के रूप में उनके लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। इस दुर्घटना में मरने वाले प्रत्येक कर्मचारी के मामले में सामान्य पेंशन संबंधी सुविधाओं के अलावा 42,000 रु० प्रति व्यक्ति अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की सामान्य दर के बजाए उन्हें विशेष मामले के रूप में एक लाख रुपए दिए गए हैं।

**सौराष्ट्र में बिजली घर**

*138. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र के तट पर स्थापित किए जाने वाले लगभग 1000 मेगावाट के बिजलीघर के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या यह बिजलीघर परमाणु बिजलीघर होगा अथवा क्या इसे बम्बई हाई की एसोसिएटेड गैसों से चलाया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Physical Verification of Equipments of Photo Division**

*139. **Shri Madan Tiwary.** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the value of cameras, flash guns, enlargers and other machines, separately, of the Photo Division of the Ministry ;

(b) whether Government have ever conducted any physical verification of these equipments; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) :** (a) Statement is laid on the Table of the House.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

**STATEMENT**

(A) Photographic equipments transferred from various Media Units to Integrated Photo Unit (now Photo Division) on amalgamation in October, 1959.

| | DPD | PIB | DAVP | Total | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cameras | 13 | 28 | 2 | 43 | Vaul of all the equipment transferred at the time of formation of the Integrated Photo Unit (now Photo Division) not available. |
| 2. Flash Guns (bulb type) | 11 | 24 | 1 | 36 | |
| 3. Flash Guns (Electronics) | 2 | 4 | .. | 6 | |
| 4. Dyers & Glazing machines | 3 | 3 | .. | 6 | |
| 5. Enlargers | 7 | 9 | 2 | 18 | |
| 6. Printing machines | 3 | 1 | .. | 4 | |
| 7. Accessories to Enlargers Lenses | 6 | 22 | 3 | 31 | |
| 8. Accessories to camera lenses | 8 | 39 | 1 | 48 | |
| 9. Camera stand/tripods | 11 | 9 | 4 | 24 | |
| 10. Masking boards | 6 | 11 | 3 | 20 | |
| 11. Exposure Meters | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 12. Trimming /Cutting machines | 12 | 5 | 2 | 19 | |

(B) Equipment procured by the Photo Division since 1960 todate end its value.

| | | Rs. |
|---|---|---|
| 1. Camera | 108 | 11,04,216.34 |
| 2. Enlargers | 35 | 3,36,516.20 |
| 3. Flash Guns | 106 | 2,54,034.85 |
| 4. Processing machinery | 22 | 9,96,947.14 |
| 5. Air conditioners/Refrigerators | 15 | 58,813.00 |
| 6. Tripods & Accessory | .. | 22,492.00 |
| 7. Slide Projectors | 7 | 22,958.50 |
| 8. Sound Equipments | 8 | 27,455.00 |
| 9. Miscellaneous Darkroom Accessories | .. | 1,84,398.12 |
| 10. Exposure Meters | 16 | 6,500.00 |
| Total | | 30,14,331.15 |

NOTE:—The details of equipment mentioned above also include the equipment with a value of Rs. 46,960.00 issued to Film & TV Institute of India in November, 1977.

**सुन्दरवन क्षेत्र का विकास**

*140. **श्री चित्त बसु :**

**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'रोलिंग प्लान' के प्रथम वर्ष के लिए सुन्दरवन क्षेत्र का विकास करने के लिए किसी परियोजना को शामिल किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

सरकार ने लोक सभा के पिछले सत्र (नवम्बर-दिसम्बर) में प्रधान मंत्री द्वारा सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पश्चिम बंगाल की 1978-79 की वार्षिक योजना में, विशेष रूप से सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए 150 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह परिव्यय राज्य योजना में स्वीकृत परव्ययों में से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा, सड़कें और अन्य स्कीमों के लिए किए गए किन्हीं परिव्ययों के अतिरिक्त होगा।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) सुन्दरवन क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था के रूप में 1977-78 में जो 70 लाख रुपए की धनराशि रखी गई थी, वह बढ़ा कर 1978-79 में 150 लाख रुपए कर दी गई है।

**राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, कोटा में हड़ताल**

*141. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकों द्वारा केन्द्रीय श्रम मंत्री की सिफारिशें क्रियान्वित करने से इंकार किए जाने के कारण राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, रावत भाटा, कोटा में हड़ताल अधिक दिन चली थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री की सिफारिशों के बारे में स्थानीय प्रबन्धकों को समय पर सूचित कर दिया गया था ;

(ग) क्या ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना में तीन महीने से अधिक समय तक हड़ताल चलने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) हड़ताल की पूरी स्थिति की जानकारी सरकार को उपलब्ध थी, तथा

(घ) इसलिए जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**सशस्त्र सेनाओं के सेनाध्यक्षों का पूर्ववर्तिताक्रम**

*142. **श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिविल सेवाओं की तुलना में दर्जे और पूर्ववर्तिता क्रम में सशस्त्र सेनाओं को निन्दा सहन करनी पड़ी ;

(ख) क्या सेनाध्यक्ष जो 1947-48 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष थे, गोआ की मुक्ति के पश्चात् 1951 में मंत्रिमंडल के सचिव से नीचे कर दिये गये और फिर 1965 में भारत पाक युद्ध के पश्चात भारत के महान्यायवादी से नीचे कर दिए गये ;

(ग) क्या अब राज्य के मुख्य सचिव का पद सेना कमांडर से ऊंचा है ;

(घ) पूर्ववर्तिता के क्रम में यह परिवर्तन किस आधार पर किए गए हैं और क्या जिस समिति ने ये सिफारिशें की थीं उसमें सशस्त्र सेवाओं के प्रतिनिधि थे और उनसें परामर्श लिया गया था ;

(ङ) क्या सशस्त्र सेनाओं का दर्जा इस प्रकार घटाये जाने से नये भर्ती होने वालों की किस्म गिर रही है ; और

(च) क्या सरकार पूर्ववर्तिता-क्रम पर पुनः विचार करने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए सशस्त्र तथा सिविल सेवाओं की एक समिति गठित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल)** : (क) से (च) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

**महाराष्ट्र को सीमेंट की सप्लाई**

130. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार को गत छः महीनों से भी अधिक समय से सीमेंट का पर्याप्त कोटा मिल रहा है ;

(ख) महाराष्ट्र के लिए सीमेंट का आवश्यक कोटा कितना है ; और

(ग) उसे पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र का सीमेंट का सामान्य कोटा 4.24 लाख मी० टन प्रति तिमाही है। वास्तविक आवश्यकता तथा उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर अतिरिक्त तदर्थ आबंटनों को स्वीकृति भी दी जाती है। विगत तीन तिमाहियों के दौरान महाराष्ट्र को दी गई सीमेंट की मात्रा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| जुलाई—सितम्बर, 1977 | 5,27,400 मी० टन |
| अक्तूबर—दिसम्बर, 1977 | 5,14,250 मी० टन |
| जनवरी—मार्च, 1978 | 5,75,000 मी० टन |

जनवरी—मार्च, 1978 तिमाही के लिए स्वीकृत की गई मात्रा के लिए आबंटन विभिन्न कारखानों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

**State Lotteries**

1131. **Dr. Ramji Singh :**

**Shri Daya Ram Shakya :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether lottery system should be treated as a form of gambling and a moral and social crime;

(b) if so, whether Government are thinking of doing away with the lottery system for the moral upliftment; and

(c) if so, how and by what time concrete steps would be undertaken ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs ((Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a) Government are aware that like many forms of gambling, lotteries are based on chance rather than skill.

(b) The question of banning lotteries has been considered. The Government feel that because of legal and constitutional difficulties involved, no particular advantage would be gained by such a step. In their view, a suitable legislation to regulate the conduct of lotteries by States would be a better alternative.

(c) The Government are already working on such a legislation.

**Increase in the Prices of Fine and Coarse Cloth**

1132. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the extent of increase in the prices of fine and coarse cloth so far since 1971 and the ratio of such increase in the prices of cotton fabrics and synthetic fabrics;

(b) the quantity of synthetic fibre imported and the name of the bulk importing company ;

(c) whether the increase in the prices of cloth has been proportionate to the increase in the prices of cotton and the ratio between the prices of cotton prevailing at the time of its procurement from the producer and after 3 months of its arrival in the hands of dealers during the period from 1971 to date ;

(d) whether the prices of cloth registered an immediate spurt during the elections in 1971-72 or just after the elections; and

(e) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry(Shrimati Abha Maiti)**: (a) Information in respect of price movements for specific varieties of cloth in terms of "Fine and Coarse" are not available. However, the wholesale price index in respect of cotton mill cloth moved from 110.5 in 1971 to 180.1 in January, 1978 while corresponding figures for synthetic fabrics were 100.6 and 114.7 respectively.

(b) Since the advent of free licensing of import of synthetic fibres of actual user basis from Nov. 1976 to 20-2-78, 109,621 tonnes of synthetic fibres have been imported. Since import is permitted on actual user basis, the question of any bulk import does not arise.

(c) During the period from 1977-78, while the wholesale cotton prices index rose by 67.7%, scalation in case of cotton cloth is by 62.9%. Since cotton moves from the farmer to the trade and subsequently to the mills, by and large, through private trade, information about the gap between prices at procurement level and the price at trade or mill level is not ascertainable.

(d) The whole-sale price index for mill cotton cloth in April 1971 was 108.0 and in April, 1972, 108.9 showing only a negligible rise.

(e) Does not arise.

**कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन "वाशरिया"**

1133. **श्री उग्र सेन** : **क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन चल रही "वाशरिया" अधिष्ठापित क्षमता से कम कार्य कर रही हैं और प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं से घिरी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला वाशरियो की क्षमता का उपयोग क्रमश: बढ़ रहा है। वर्ष 1973-74 में 51.3% क्षमता के उपयोग की तुलना में इस समय 73.3 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। यहां प्रबंध संबंधी कोई समस्या नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Production and Demand of Cement**

1134. **Shri Raghvji** :

**Shri M. Ram Gopal Reddy** :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the production and demand of cement in tonnes, during the past three years, year-wise;

(b) whether a shortage in the supply of cement was being experienced in the recent past and in so, the causes thereof; and

(c) the steps taken to augment cement production and also future plans therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)**: (a) The production and estimated demand of cement during the last three years was as under :—

| Year | Production (in million tonnes) | Approximate estimated demand (in Million tonnes) |
|---|---|---|
| 1975 . . . . . | 16.27 | 18.00 |
| 1976 . . . . . | 18.61 | 20.00 |
| 1977 . . . . . | 19.10 | 22.00 |

(b) Shortage in the supply of cement had developed on account of higher demand for consumption for Public Works as well as for Agriculture, Industry and Housing. Substantial quantities of cement were also required to repair ravages caused by the cyclones in Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

(c) Government are implementing several measures aimed at increasing production by the existing units, installing additional capacity and for the conservation and better utilisation of cement. The more important steps include the installation of precalcinators and greater use of slag, fly ash and other pozzolanic material; setting up of new cement

plants at the location of steel plants to utilise local slag and limestone, establishment of mini cement plants to utilise smaller limestone deposits and also expediting the construction schedules of new and expansions. Government have also arranged to import about one million tonnes of cement to augment the availability of cement in the domestic market.

**Setting up of Industries in Rural Areas**

1135. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up industries in rural areas; and

(b) if so, from which date such industries are proposed to be set up and the names thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** (a) & (b) Government has not decided to directly set up small indusries in rural areas. But it is the policy of the Government that all types of industries which have scope for development in rural areas based on the industrial potentiality surveys would been couraged by Government to be set up in rural areas.

**Proposal to Amend Indian Penal Code**

1136. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend some sections of the Indian Penal Code keeping in view the law and order situation in the country ;

(b) if so, the outlines thereof ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil)** (a) & (b) : The Joint Committee of both the Houses of Parliament has considered the provisions of the Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1972, introduced in the Rajya Sabha in December, 1972. The report of the Joint Committee and the Bill, as reported, are under consideration of the Government for the purpose of introducing amendments to the Indian Penal Code.

**लघु उद्योग फर्मों द्वारा आयात**

1137. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को देश में कितनी लघु उद्योग फर्में विदेशों को अपने उत्पादों का निर्यात कर रही थीं ;

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशक में उद्योगों का पंजीकरण करने की क्या प्रक्रिया तथा मापदंड है और 1 जनवरी, 1978 को तकनीकी विकास महानिदेशक के पास कितने औद्योगिक एकक पंजीकृत थे ; और

(ग) 1 जनवरी, 1978 को तकनीकी विकास महानिदेशक के कितने एकक विदेशों को अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनकी संख्या कितनी थी ?

**उद्योग मंत्रालय में उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति)** (क) चूंकि विदेशों को उत्पाद निर्यात करने के कार्य में लगी लघु उद्योग क्षेत्र की फर्मों के लिए अनिवार्य पंजीकरण कराने की कोई प्रणाली नहीं है अत: यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में उद्योगों के पंजीकरण कराने की पद्धति एवम् कसौटी भारत सरकार के उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी की गई

"गाइडलाइन्स फार इन्डस्ट्रीज 1976-77" के परिशिष्ट 4 तथा 5 में दी गई है । तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 1 जनवरी, 1978 को 3456 औद्योगिक एकक पंजीयित थे ।

(ग) चूंकि तकनीकी विकास का महानिदेशालय निर्यात करने वाले एककों की नियमित सांख्यिकी नहीं रखता है अतः यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है ।

**राज्यों में नौवहन निगम**

1138. **श्री सी०एन० विश्वनाथन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां नौवहन निगमों की स्थापना की गयी है;

(ख) इन में से प्रत्येक निगम के पास कितने जहाज हैं तथा उनके कितने-कितने जहाज चल रहे हैं और वे किन मार्गों पर चल रहे हैं; और

(ग) इस देश में नौवहन संबंधी सामग्री नीति से इन निगमों का क्या संबंध है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) तीन, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारें ।

(ख) केरल सरकार द्वारा स्थापित निगम के पास अपना एक जहाज है । अन्य दो निगमों के पास दो-दो जहाज हैं । तमिलनाडू निगम का जहाज तटवर्ती और उसके साथ लगे व्यापार पर लगा है जबकि अन्य दो के जहाज भारत के समुद्रपारीय सूखे माल का व्यापार ढोते हैं ।

(ग) कोई विशेष संबंध नहीं है। वे किसी थी अन्य नौवहन कंपनी के जहाज की तरह लते हैं ।

**साइलेंसर के बिना वाहनों को चलाना**

1139. **श्री सरदीश राय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महज दिल्लगी के लिए साइलेंसर हटाने के बाद, जो मोटर वाहन अधिनियम के विरुद्ध है, मोटर साइकिलों, स्कूटरों और कारों के चलाये जाने की जानकारी है, ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि मोटर साइकिलों, स्कूटरों तथा कारों को बिना साइलेंसर के चलाना मोटर गाड़ी अधिनियमों के अन्तर्गत अपराध है । अतः यातायात पुलिस उन व्यक्तियों का चालान करती है जो सार्वजनिक सड़कों पर बिना साइलेंसरों के मोटर गाड़ी चलाते हैं ।

**छोटे तथा कुटीर उद्योगों का विकास**

1140. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छोटे तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहती है और यदि हां, तो इन उद्योगों की स्थापना कब की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 में तथा तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितने छोटे तथा कुटीर उद्योग खोले गए तथा उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया ; और

(ग) छोटे तथा कुटीर उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और उसमें में राज्यवार छोटे तथा कुटीर उद्योगों की संख्या कितनी है तथा उनमें कितना पूंजी निवेश हुआ है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) : चूंकि मांगी गई सूचना काफी विशद है, इसलिए इसे एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। इसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**Teaching Workshops of Official Languages Department**

1141. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred annually by the Official Languages Department on the teaching workshops; and

(b) whether inexperienced people are engaged in the work of teaching in the workshops and whether a sum of Rs. 20 or Rs. 25 per lecture is spent ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)**:(a) The expenditure incurred on their workshops is borne by the concerned Ministries and Departments. The Deptt. of Official Language is not concerned with it.

(b) No, Sir The Deptt. of Official Language have issued guidelines in this regard. According to these guidelines, services of only such employees who are competent in the use of Hindi in official work which included retired employees also should be utilised in these workshops. For this work an honorarium of Rs. 15.00 is allowed to serving official for delivering lecture on a day subject to the condition that the Total honorarium given to official does not exceed 1/10th of his monthly pay. Remuneration @Rs. 20.00 per day is given to retired employees subject to the condition that the total remuneration paid to a person does not exceed Rs. 1,000.00 for the whole year.

**पटसन उद्योग के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से अध्ययन करना**

1142. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटसन उद्योग के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से अध्ययन करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) तथा (ख) जूट उगाने वालों द्वारा दी गई जूट के लिए उचित मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित करने तथा विचौलियों के शोषण से बचाने की दृष्टि से और साथ ही जूट उद्योग की जीव्यता तथा इसके श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घावधि नीति तैयार की जा रही है। इस संदर्भ में भारतीय जूट निगम की भूमिका पर भी विचार किया जा रहा है।

**राज्यों में प्रति व्यक्ति दैनिक मजरी**

1143. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग देश में प्रति व्यक्ति दैनिक मजूरी के आकड़े तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति न्यूनतम मजूरी क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

केन्द्र और राज्यों के क्षेत्र में सबसे कम दिहाड़ी पाने वाले अकुशल पुरुष मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों की सीमा की 31 दिसम्बर, 1975 की स्थिति।

| केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र | अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उन रोजगारों की कुल संख्या जिनके लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित/संशोधित की गई हैं। | प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की दरों की सीमा (रु०) | |
|---|---|---|---|
| | | न्यूनतम | अधिकतम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. केन्द्रीय सरकार** | | | |
| **II. राज्य** | | | |
| | 19 | 3.50 | 6.96 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 28 | 2.50 | 6.00 |
| 2. असम | 14 | 1.54 | 6.00 |
| 3. बिहार | 26 | 1.19 | 6.00 |
| 4. गुजरात | 23 | 3.60 | 7.12 |
| 5. हरियाणा | 38 | 2.00 | 7.00 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 17 | 2.00 | 5.00 |
| 7. कर्नाटक | 21 | 2.00 | 5.60 |
| 8. केरल | 30 | 1.50 | 13.28 |
| 9. मध्य प्रदेश | 20 | 1.25 | 4.00 |
| 10. महाराष्ट्र | 38 | 0.97 | 8.50 |
| 11. मणिपुर | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 12. मेघालय | 3 | 5.00 | 6.00 |
| 13. उड़ीसा | 13 | 2.25 | 5.00 |
| 14. पंजाब | 31 | 3.15 | 7.70 |
| 15. राजस्थान | 27 | 4.25 | 6.00 |
| 16. तमिलनाडु | 28 | 0.62 | 7.50 |
| 17. त्रिपुरा | 5 | 1.12 | 4.00 |
| 18. उत्तर प्रदेश | 38 | 2.31 | 6.86 |
| 19. पश्चिम बंगाल | 16 | 1,13 | 7.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **'III. संघ शासित क्षेत्र :** | | | |
| 20. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2 | 4.92 | 4.92 |
| 21. चण्डीगढ़ . . | 22 | 6.25 | 7.50 |
| 22. दादरा और नगर हवेली . . | 1 | 5.50 | 5.50 |
| 23. दिल्ली . . . | 19 | 4.50 | 6.75 |
| 24. गोआ, दमन और दीव . . . | 1 | 4.00 | 5.00 |
| 25. पांडिचेरी . . . . . | 1 | 3.50 | 8.00 |

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कार्यकरण**

1144. **श्री समर मुखर्जी :**
**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति में और भूतपूर्व शासन के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार उक्त संगठन में पहले से व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) :** (क), (ख), (ग) तथा (घ) सरकार इस बात से अवगत है कि शाह आयोग द्वारा की जा रही जांच के दौरान द्वितीय आपात स्थिति की अवधि में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कुछ अधिकारियों के कथित कुकृत्यों के कुछ उदाहरण सामने आये हैं। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समुचित कार्यवाई की जाएगी।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे संगठनों की पद्धतियों एवम् कार्यप्रणालियों में और आगे सुधार लाए जाने के प्रयत्न एक निरन्तर प्रक्रिया है। इसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से हाल ही में बहुत से अतिरिक्त पद मंजूर किए गए थे। इसके पुनर्गठन तथा, इसके पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त कार्मिकों का चयन करके और इसके साधनों में और अधिक वृद्धि तथा उनका पुनर्विस्तार करके, समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपाय किये जाते रहेंगे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए एक कारगर साधन के रूप में कार्य करता है और वह अपनी सेवाओं की बढ़ती हुई मांग तथा कार्य के दबाव से निपटने में समर्थ है।

**नेताजी के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाना**

1145. **श्री जगतराम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 23 जनवरी को जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन है, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल)** : (क), (ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय छुट्टी के सम्बन्ध में गैर-सदस्य (श्री समर गुह, संसद सदस्य) के विधेयक पर 24 फरवरी, 1978 को लोकसभा में हुए वाद-विवाद की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके दौरान आश्वासन दिया गया था कि मामले पर फिर से विचार किया जाएगा।

**Revenue earned by A.I.R. from Advertisements**

1146. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2122 on 30th November, 1977 and state :

(a) whether there has been a target for increasing the income of All India Radio by advertisements and if so, the extent to which the income is proposed to be increased in 1977-78 as compared to the income in 1976-77; and

(b) value of the advertisements proposed to be given by D.A.V.P. during 1977-78 ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani)**: (a)While no specifi target for increasing te income of All India Radio through commercial broadcasts has been prescribed, it is always the endeavour to utilise to the maximum, the time allocated for commercial broadcast by booking as many advertisements as possible. The comparative figures of gross revenue from Commercial service in 1976-77; 1977-78 and estimated figures of anticipated revenue for 1978-79 are as under :—

| | |
|---|---|
| 1976-77 | 680 lakhs* |
| 1977-78 (Upto January, 1978) | 645 lakhs* |
| Revised Estimates | 700 lakhs |
| Budget Estimates | 750 lakhs |

*Provisional.

(b) The estimated value of advertisements proposed to be given by D.A.V.P. during 1977-78 is Rs. 39 lakhs.

**अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में परिवहन सुविधाएं**

1147. **श्री रोबिन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में श्यामनगर और राधा नगर के निवासियों को परिवहन और संचार सुविधाओं के अभाव में अपने कृषि उत्पादों को मंडियों तक ले जाने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, हां।

(ख) इस समय, बसें केवल डिगलीपुर से लक्ष्मीपुर तक चल रही हैं क्योंकि लक्ष्मीपुर से आगे की सड़क अभी बन रही है। डिगलीपुर से श्यामनगर तक एक ग्रामीण सड़क का तीन चरणों में निर्माण

करने का प्रस्ताव है, अर्थात (i) डिगलीपुर से मिलनेग्राम (10,84 कि०मी०) (ii) मिलनेग्राम से स्वराजग्राम (5 किलो०मी०) (iii) स्वराजग्राम से श्यामनगर (13 कि०मी०) राधानगर, स्वराजग्राम तथा श्यामनगर के बीच पड़ता है। इस सड़क के कार्य में वित्तीय वर्ष के दौरान तेजी लाई गयी है। पहले चरण के कार्य की वर्तमान कार्य मौसम के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है। उसके बाद चरण दो तथा चरण तीन का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इन दो चरणों पर कार्य पहले शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि चरण एक को पूरा किए बिना मिलनेग्राम को सामान नहीं ले जाया जा सकता।

**एम्यूनिशन फैक्टरी, किरकी द्वारा सप्लाई**

1148. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** एम्यूनिशन फैक्टरी, किरकी के महाप्रबन्धक द्वारा मैसर्स नेशनल फायर आर्म्स कम्पनी और फ्रन्टीयर आर्म्स कम्पनी को शस्त्रों और गोलाबारूद की बिक्री के बारे में 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9908 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्यूनिशन फैक्टरी, किरकी द्वारा रसीदी प्राप्य धन आदेशों की नकली रसीदों पर दी गई सप्लाई के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या उपरोक्त सप्लाई का मूल्य इस बीच वसूल कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक (कारखाना) के कार्यालय के एक बहुत ही छोटे स्तर के कर्मचारी द्वारा इन सौदों का पता लगाया गया था ; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों और पता लगे मामलों का ब्यौरा क्या है, ऐसे ही अन्य कितने मामलों का पता लगा है और ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों को उनके उत्तम कर्त्तव्य पालन के लिए यदि कोई पुरस्कार दिया गया हो तो वह क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) अभी नहीं श्रीमान। सीनियर सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस, जालन्धर द्वारा इस मामले में अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) रक्षा लेखा नियन्त्रक के लेखा कर्मचारियों द्वारा अपनी सामान्य ड्यूटी के दौरान इन सौदों का पता लगाया गया था और किसी भी कर्मचारी को कोई इनाम नहीं दिया गया है।

**पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी**

1149. **श्री मोहम्मद हयात अली** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों ने केन्द्रीय सरकार से अपील की है कि वह राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बंद की गई राज्य पेंशन के मामले में हस्तक्षेप करें और उसे पुनः दिलवाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**टेलीविजन ग्लास शेल के निर्माण हेतु एक पश्चिम जर्मनी की फर्म के साथ इक्विटी भागीदारी**

1150. **श्री शरद यादव**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने योजना आयोग से भारत में टेलीविजन के लिये दो-रंगे ग्लास शेल के निर्माण हेतु पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ इक्विटी साझेदारी करने के गैर सरकारी क्षेत्र की फर्म के प्रस्ताव को अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलीविजन के रंगीन ग्लास का निर्माण करने के मामले में सरकारी एकक बी० एच० ई० एल० के मामले की उपेक्षा की गई है क्योंकि हाल ही में पश्चिम जर्मन जाने वाले हमारे एक सरकारी दल ने कोई वायदा कर लिया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) भारत जैसा देश मूल्यवान रंगीन टी० वी० यूनिटों का खर्च कैसे सहन कर सकता है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बी० एच० ई० एल० ने रंगीन टी० वी० ग्लास शेल्स के उत्पादन के लाइसेन्स की स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया है और न ही पश्चिम जर्मनी का दौरा करने वाले किसी दल ने इस वस्तु के संबंध में कोई वचनबद्धता की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि रंगीन टी० वी० ग्लास शेल्स का उत्पादन विचाराधीन नहीं है।

**जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग की नियुक्ति**

1152. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह मंत्री** 22 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत इस बीच नियुक्त जांच आयोगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1977 के दौरान नियुक्त विभिन्न आयोगों ने किन-किन तिथियों तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ;

(ग) उन्होंने अभी तक यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने विभिन्न आयोगों पर अब तक कितना व्यय किया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटिल)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**(ख) से (घ)** 22-6-1977 को प्रश्न संख्या 148 के उत्तर में उल्लिखित छ: आयोगों के बारे में विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1654/78]

**Number of Shipping Accidents in the Country**

1153. **Shri Amersingh V. Rathawa** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of shipping accidents which coccurred in the country from March 1977 todate ;

(b) the number of persons killed and injured ;

(c) the amount of compensation paid to the families of those killed and injured ;

(d) the causes of accidents ; and

(e) the measures taken by Government to check such accidents ?

**Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram)**: (a) Thirty seven sea-going Indian Ships were involved in shipping accidents.

(b) Four lives were lost and 69 were reported missing.

(c) The amount of compensation payable in each case varies according to the position held by the seamen and the length of service put in by him. Compensation is payable by the shipping companies directly to the seamen or his next of kin. A statement giving the information in respect of 69 persons is enclosed. Information relating to four persons is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

[Placed in Library See No. LT. 1655/78]

(d) Grounding, collision, fire.

(e) Preliminary enquiries and formal investigations are conducted into accidents, as considered necessary. On the basis of the conclusions reached after the inquiry, notices are issued wherever necessary for the benefits of seafarers to avoid casualties of similar nature.

**बड़े सीमेंट कारखानों के निर्माण के लिए चैकोस्लोवाकिया द्वारा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाना**

1154. **श्री माधव सिन्धिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्वोवाकिया सरकार इस देश में बड़े सीमेंट कारखानों के निर्माण के लिये तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)**: (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची (एच० ई० सी०), की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में चैकोस्लोवाकिया के धातु और भारी इंजीनियरी मंत्री के साथ दिल्ली में हुई बातचीत में इस बात पर सहमति हुई है कि चैकोस्लोवाकिया एच० ई० सी० से रोलिंग मिल तथा कोक ओवन उपकरण आयात करेगा और अधिक क्षमता के सीमेंट संयत्रों के निर्माण में एच० ई० सी० को सहायता देगा ।

**Procurement of Newsprint by Newspapers**

1155. **Shri Natwarlal B. Parmar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the press reports highlighting demands that the newspapers should be allowed to procure newsprint through the agencies other than State Trading Corporation so as to save three per cent of the commission being realised by this Corporation ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani)** : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

**STATEMENT**

The feasibility of permitting nespapers to procure newsprint from sources other than State Trading Corporation was taken into account while finalising the Newsprint Policy for 1977-78. It was found that canalisation of imported newsprint through State Trading Corporation is beneficial and should be continued. Canalisation of newsprint through State Trading Corporation has the following advantages :—

(i) Only a centralised organisation with vast resources would be in a position to enter into bulk long-term contract from various foreign suppliers at competitive and cheap prices.

(ii) Excepting for big newspapers, it would be beyond the means and capacity of small newspapers to enter into advance contracts with foreign suppliers and that too for small quantities.

(iii) Procurement and distribution through State Trading Corporation saves the small and medium newspapers from procedural and financial inconveniences which they may have otherwise to go through.

**Assistance by Czechoslovakia for Manufacture of Cement Producing Plants**

1156. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government of Czechoslovakia have agreed to extend assistance to the Heavy Engineering Corporation, Ranchi in the manufacture of cement producing plants ;

(b) if so, the extent by which cement production is likely to go up as a result of this; and

(c) the main terms of this agreement ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)**: (a) to (c) In order to promote utilisation of capacities of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, it has been agreed in recent discussions which took place at Delhi with the Czechoslovak Minister of Metallurgy and Heavy Engineering, that Czechoslovakia will import rolling mill and coke-oven equipment from the Heavy Engineering Corporation and provide assistance to HEC for the manufacture of large capacity cement plants. These large capacity cement plants are required to augment cement production. The extent to which the production will be augmented by machinery supplied by H.E.C. will depend on the orders placed on HEC by the cement industry.

**Substitute for Energy**

1147. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether prohibitive oil prices have resulted in heavy cost of energy and increased difficulties ;

(b) whether it has become necessary to find a substitute for energy when we are unable to import more oil ;

(c) whether energy problems in other developing countries has been solved by generating more power; and

(d) if so, whether Government propose to take concrete steps to solve the present power crisis in the country and if so, when ?

**The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran)**: (a) The steep increase in the price of oil in the International Market since late 1973 has resulted in increase in the price of petroleum products in the country.

(b) The Government's policy is that use of oil should be substituted, wherever technologically and economically feasible, by other forms of energy.

(c) The Government is not aware of other developing countries solving their energy problems by generating more power.

(d) A number of steps have been and/are being taken to improve the power availability in the country. In the short term, efforts are being concentrated on maximising generation from available capacity, transfer of power from surplus to deficit areas wherever possible, ensuring distribution of energy according to national priorities and expediting commissioning of projects in advanced stages of construction. In the long term perspective, the trust is on accelerating the tempo of power development to enable large capacity additions required to meet the demands. Projects which will yield benefits within the next 5 to 7 years have been identified and many of them have been cleared for implementation. The objective of Government's strategy is to achieve self-sufficiency in power in a time frame of about 7 years.

**58 वर्ष की आयु के बाद प्रोड्यूसरों की सेवा अवधि बढ़ाया जाना**

1158. **श्री नवाबसिंह चौहान**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे चीफ प्रोड्यूसरों, डिप्टी चीफ प्रोड्यूसरों, प्रोड्यूसरों की संख्या क्या है जिनकी सेवा-निवृति के लिए निर्धारित सामान्य 58 वर्ष की आयु हो चुकी है;

(ख) उपरोक्त श्रेणियों के ऐसे सदस्यों की संख्या क्या है जो 58 वर्ष की आयु के बाद भी कार्य कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में उनकी सेवाअवधि बढ़ाई गई है तथा जारी रखी गई है; और

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों के 58 वर्ष की आयु के बाद ठेके की अवधि बढ़ाने के बारे में सरकार की सामान्य नीति क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी)**: (क), (ख) और (ग) आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों को अनुबन्ध के आधार पर लम्बे अरसे के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, इन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाता है बशर्ते कि 58 वर्ष की आयु में पुनरीक्षा की जाए। आकाशवाणी में 60 वर्ष की आयु से ऊपर का एक ही निर्माता कार्य कर रहा है। असाधारण कार्य निष्पादन के कारण इनका सेवाकाल बढ़ाया गया था।

**नाथनगर, भागलपुर के बुनकरों की लम्बे समय से चली आ रही गंभीर समस्याएं**

1159 **श्री ए० के० राय**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें नाथनगर, भागलपुर, के निर्धन बुनकरों की लम्बे समय से चली आ रही गम्भीर समस्याओं के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभाभाईति)**: (क) जी हां।

(ख) नाथनगर, भागलपुर के बुनकरों की मुख्य समस्या धागे के मूल्यों में खासकर स्टेपिल यार्न के मूल्यों में घटा-बढ़ी तथा तैयार माल के क्रय-विक्रय की है। राज्य सरकार ने भागलपुर में एक निर्यात परियोजना आरम्भ

की है। बिहार राज्य हथकरघा विकास निगम ने बुनकरों को धागा सप्लाई करने के लिए भागलपुर में एक धागा डिपो खोल दिया है। इसके द्वारा बुनकरों की समस्यायें कुछ हद तक आसान हो जायेंगी। बताया गया है कि इसकी पट्टेदार कम्पनी सोना जुली टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की इसकी मशीनें पुरानी हो जाने और इसके फलस्वरूप आने वाली अधिक उत्पादन लागत के कारण इसे चलाने में अब बिल्कुल रुचि नहीं है।

जहां तक नैहाटी जूट मिल्स का सम्बन्ध है, इसके प्रबन्धक साहूकार से मियादी ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहें है ताकि वे इसे फिर से चालू कर सकें।

जहां तक किनीसन जूट मिल का सम्बन्ध है, उन्होंने पुर्ननवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर प्राप्त करने हेतु भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सम्पर्क किया है ताकि वे मिल को पुनः खोल सकें। उद्योग मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गई है ताकि कम्पनी के अनुरोध पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके।

जहां तक नश्कारापरा जूट मिल का सम्बन्ध है, ऐसा समझा जाता है कि मिल के प्रबन्धक अपनी श्रमिक और वित्तीय समस्याओं पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत कर रहें हैं और समझा जाता है कि उनके बीच अभी बातचीत चल रही है।

किसी भी जूट मिल के "आंशिक रूप से बन्द" होने की सूचना सरकार को नहीं है।

**Jute Mills remained closed during 1976-77**

1160. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of jute mills which remained closed during 1976-77 and the loss incurred as a result; and

(b) whether Government propose to improve the situation by reopening the closed Mills and if so, from what date ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)**: (a) Seven jute mills remained closed at the end of the Jute-Year 1976-77 resulting in loss of 48.59 lakh man-days and about 60,000 tonnes of production.

(b) Four of these mills have already resumed production. Of the remaining, one is not considered to be capable of being reopened because of its out moded machinery and unbalanced product-mix and in respect of the other two mills, Government of India is in correspondence with the State Governments concerned.

**तारापुर बिजली संयंत्र के लिए संवर्धित यूरोनियम और भारी जल की आवश्यकता**

1161. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

**श्री यशवन्त बोरोले :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर बिजली संयत्र के पूरी क्षमता पर कार्यकरण के लिए कुल कितने संवर्धित यूरेनियम और भारी जल की आवश्यकता है ;

(ख) अमरीका तथा किसी अन्य देश से कितना आणविक ईंधन मिलने की सम्भावना है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार भारी जल तथा विशिष्ट आणविक ईंधन भारत में बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए प्रतिवर्ष लगभग 17 से 21 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है । इस बिजलीघर के प्रचालन के लिए भारी पानी की जरूरत नहीं है ।

(ख) फिलहाल हमें संयुक्त राज्य अमरीका से 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग के बारे में तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है । भारी पानी का विकल्प खोजने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि हमें तारापुर परमाणु बिजलीघर को चलाने के लिए भारी पानी की जरूरत ही नहीं है।

**Promotion of Class III Employees in J.C.B. Department of the Ministry**

1162. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether meeting of Departmental Promotion Committee has not been held since 1970 to consider the promotion cases of various categories of class II employees in Joint Cypher Bureau Department of the Ministry with the result that the promotions of these employees are held up ;

(b) if so, the reasons for not convening the meeting of Departmental Promotion Committee;

(c) whether it is a fact that non-gazetted Class II employees have been promoted on ad hoc basis without convening the meeting of Departmental Promotion Committee; and

(d) if so, the number of such officers and the reasons for such discrimination ?

**The Minister of Defence (Shi Jagjivan Ram)** : (a) and (b) Meetings of the Departmental Promotion Committee have been held after 1970 to consider the promotion cases of various categories of Group 'C' employees as and when regular vacancies to be filled by promotion became available.

(c) Yes, Sir.

(d) Nine officers have been promoted. The Recruitment Rules for higher Group 'B' (Gazetted) posts are under revision. Pending finalisation of the matter and in order to maintain the functional efficiency of Joint Cipher Bureau, non-gazetted Group 'B'employees have been promoted on *ad-hoc* basis under the existing rules.

**राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त धन**

1163. **श्री सरत कार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त धन देने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की आवश्यकता की तुलना में कितना धन स्वीकृत किया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम)** : **(क) और (ख)** राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (मल ) कार्य के आवंटन को 270 लाख रु० से बढ़ाकर 322.57 लाख रु० करने के लिए

कहा । उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत और सभी राज्यों में सब राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों की समस्त आवश्यकताओं और आवश्यक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा के लिए मूल आवंटन को बढ़ाकर अब 300 लाख रु० कर दिया गया है।

जहां तक अनुरक्षण तथा मरम्मत् का प्रश्न है राज्य सरकार की मांग 144.00 लाख रु० है परन्तु सभी राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के संसाधनों तथा अनुमानित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा के लिए 94.01 लाख रु० की राशि दी गयी है।

**Allocation for Welfare of Adivasis in Bastar District**

1164. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of money given by Central Government during the last year for projects to be undertaken for the welfare of Adivasis in Bastar district in Madhya Pradesh;

(b) Whether Government are aware that this amount has not been utilised properly; and

(c) if not, whether Government will conduct an inquiry in this regard and ensure the proper utilisation of funds ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal):** (a) An amount of Rs. 10.97 crores was released to the Madhya Pradesh State in 1976-77 for the tribal sub-plan, including the Integrated Tribal Development Projects in Bastar district. In addition Rs. 20 lakhs and Rs. 27.49 lakhs were released for the Dantewada and Konta Tribal Development Agencies in Bastar.

(b) and (c) No complaints have been received in this regard.

**प्रति व्यक्ति आय**

1165. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 जनवरी, 1978 के दिल्ली से प्रकाशित "स्टेट्समैन" में 'फाल इन पर केपिटा इनकम' (प्रति व्यक्ति आय में गिरावट) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पुनः ठीक हो जाये ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : **(क)** जी हां।

**(ख)** 1976-77 में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का मुख्य कारण है कृषि उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग आधा भाग के रूप में है। वर्ष 1977-78 में 1976-77 की इस स्थिति से कुछ सुधार होने की आशा है । इन स्थितियों में, वार्षिक आधार पर विचार करने की बजाय दीर्घकालिक दृष्टि से विचार करना अधिक अच्छा होगा।

**शाह आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें**

1166. **श्री बयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाह आयोग को ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं जो उनके निदेश पदों से बाहर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किन कारणों से ऐसी शिकायतों को लेती है और सरकारी कर्मचारियों को परेशान करती है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख)** शाह जांच आयोग को 7301 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो उसके निदेश पदों से बाहर हैं। ये शिकायतें सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की गयी थी बल्कि आयोग द्वारा समाचार पत्रों में उनके द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त की गयी थी। आयोग ने इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, अतः सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

**महाराष्ट्र के रोज़गार गारंटी योजना संबंधी कानून तथा पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पर केन्द्रीय स्वीकृति**

1167. **श्री बसन्त साठे :**
**श्री पी० के० कोडियन :**
**श्री सोमनाथ चटर्जी :**

क्या गृह **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्वीकृत रोजगार गारन्टी योजना कानून तथा पश्चिम बंगाल विधान मंडल द्वारा स्वीकृत भूमिसुधार (संशोधन), विधेयक, 1977 पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) इन विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या भरकार अन्य राज्य सरकारों को समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने हेतु ऐसे ही रोजगार गारन्टी कानून बनाने के लिए निदेश देगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1977 को 31-1-78 को स्वीकृति दी गई थी। महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी विधेयक, 1977 को स्वीकृति नहीं दी गई है ;

(ख),(ग) तथा (घ) महाराष्ट्र रोजगार गारंटी विधेयक, 1977 में महत्वपूर्ण नीति संबंधी प्रश्न अन्तर्गस्त हैं और इस पर पूर्ण तथा सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

**कोयले की कमी के कारण रासायनिक एवं कपड़ा एककों का बन्द होना**

1168. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का उत्पादन बहुत कम हो गया है और उसके कारण बहुत से रासायनिक एवं कपड़ा एककों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन एककों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिससे कि ये बन्द न हों ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) और (ख) चालू वर्ष में कोयले के उत्पादन में थोड़ी कमी हुई है जिसके कारण कोयला खानों को बिजली की पूर्ति में रुकावटें, गोमिया के विस्फोटक पदार्थ

कारखाने में हड़ताल और असाधारण रूप से भारी वर्षा है । परन्तु चालू वर्ष में (अप्रैल से दिसम्बर, 1977 तक) उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि में भेजी गई मात्रा की तुलना में 4 मिलियन टन अधिक रही है । रसायन और कपड़ा यूनिटों को वर्ष 1977-78 (जनवरी तक) के दौरान औसत मासिक प्रेषण, 2.40 लाख टन रहा जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह प्रेषण 2.28 लाख टन रहा था ।

जब कमी के बारे में कोई रिपोर्ट मिली तो इन यूनिटों को कोयला भेजने के लिए विशेष प्रबंध किए गए ।

**दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में खराबी**

1169. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में कितनी बार खराबी हुई और प्रत्येक बार राजधानी में कितनी अवधि के लिए बिजली की सप्लाई बन्द रही;

(ख) इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में बार-बार खराबी होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और क्या इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र के पूरे मामले की जांच करने हेतु कोई समिति गठित करने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) से (ग) इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में 8 बार बड़ी-बड़ी ट्रिपिंग/खराबियां हुईं जबकि प्रायः सभी यूनिटें बन्द हो गई थीं । गत तीन वर्षों के दौरान हुई इस प्रकार की खराबियों/ट्रिपिंग का विवरण उपाबन्ध के रूप में संलग्न है जिसमें ट्रिपिंग की तारीखें तथा समय, विभिन्न यूनिटों को पुनः चालू करने में लगा समय और इस प्रकार की खराबियों के कारण दिए गए हैं । राजधानी के कुछ भागों में बिजली की सप्लाई पर केवल चार अवसरों पर थोड़े-थोड़े समय के लिए बुरा प्रभाव पड़ा था क्योंकि पड़ोसी विद्युत प्रणालियों से सहायता लेकर राजधानी में बिजली की सप्लाई पुनः स्थापित करना संभव हो गया था ।

इनमें से बहुत से मामलों में ट्रिपिंग या तो बाह्य प्रणाली को विघ्न-बाधाओं के कारण हुई थीं या इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र के आउटडोर स्विचयार्ड में खराबियों के परिणामस्वरूप हुईं ।

आउटडोर स्विचयार्ड में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा चुके हैं । उत्तर-क्षेत्रीय ग्रिड प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए भी उत्तर-क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा संघटक राज्यों के साथ परामर्श करके, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच करने के लिए कोई समिति आवश्यक नहीं समझी गई ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1656/78]

**Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad**

1170. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3874 on the 14th December, 1977 and state:

(a) whether investigations into the complaints received by Government against the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad have since been completed; and

(b) if so, the results thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) :** (a) Yes, Sir.

(b) After investigation, the complaint was not found correct.

**पूंजी निवेश में धीमेपन के कारण उद्योग में अनिश्चितता**

1171. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूंजी निवेश में और आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए उद्योगों के विकास में धीमेपन के कारण उद्योग के क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है ;

(ख) निष्ठावान, समर्पण की भावना वाले तथा सामाजिक भावना से प्रेरित उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देकर उद्देश्यपूर्ण औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कितने विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :** (क), (ख) और (ग) उद्योग के क्षेत्र में अनिश्चितता के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है । सरकार विदेशी निवेश हेतु नीति औद्योगिक विकास के अभ्युपाय तथा औद्योगिक नीति को 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के सामने रखी गई औद्योगिक नीति के विवरण में दिया गया है ।

**लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

1172. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों की संख्या में वृद्धि करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है तथा इस नीति से जिन एककों को लाभ होगा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य बोर्डों को कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने को कहा है ताकि नये प्रबन्धकीय संवर्ग का विकास किया जा सके ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** (क) तथा (ख) : लघु उद्योग मंत्री द्वारा केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित 504 वस्तुओं की सूची सभापटल पर रखी गई थी । लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची की निरन्तर समीक्षा की जानी है ताकि अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने का काम पिछड़ न जाए । यह सुनिश्चित करने के लिये कि लघु उद्योग के लिए किया गया आरक्षण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है तथा लघु क्षेत्र तैयार किये जा सकने वाले नये उत्पादों तथा नयी पद्धतियों का भी लगातार विस्तार हो रहा है, आरक्षित उद्योगों की वार्षिक समीक्षा की जायेगी । केवल लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण कर देने से लघु क्षेत्र के एकक अपनी क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने, नई वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने तथा इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नये एककों को बढ़ावा देने की स्थिति में हो सकेंगे ।

(ग) जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधायें देने का विचार है जिससे नये प्रबन्धक वर्ग का विकास किया जा सके ।

**कम विकसित क्षेत्रों को कर्नाटक के टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की सेवाएं उपलब्ध कराना**

1173. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छः वर्षीय संस्थान (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कर्नाटक) ने, जिसे डैनिश सहायता प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, कम विकसित क्षेत्रों में अपनी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में अपने उपकेन्द्रों की स्थापना के बारे में इस संस्थान की योजना का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** (क) : जी, हां ।

(ख) कर्नाटक में हुबली, मंगलोर तथा बेलगाम कम विकसित क्षेत्र हैं । प्रस्तावित उप-केन्द्र इन क्षेत्रों में इन्जीनियरी उद्योगों के विकास के लिये प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेंगे । टूल रूम उप-केन्द्र इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी अवस्थापना प्रदान करेंगे जिनकी अत्यधिक आवश्यकता थी और अल्पविकसित क्षेत्रों में उद्यमियों को सूक्ष्म औजारों की आवश्यकता वाले उत्पादों/उपकरणों का उत्पादन शुरू करने के लिये प्रोत्साहन देकर औद्योगिक विकास में अपना योग देंगे ।

**देश में असन्तोष तथा हिंसा की घटनाएं**

1174. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में असंतोष तथा हिंसा की अशोभनीय घटनायें हो रही हैं ।

(ख) यदि हां, तो ऐसी हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या यह सच है कि हिंसा की ये घटनायें विदेशी समाज-विरोधी तथा आतंकवादी शक्तियों द्वारा देश में ही सक्रिय समाज-विरोधी तथा आतंकवादी शक्तियों के सहयोग से कराई जा रही हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मंडल)** : (क) और (ख) : अपनी मांगें मनवाने के लिये जोर डालने के लिये कुछ वर्गों की ओर से आन्दोलनों के दौरान हिंसा की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं । कानून लागू करने वाली एजेंसियां सतर्क हैं और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कर रही हैं ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

**विदेशों में जहाजों की खरीद**

1175. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री येह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री ने गत सितम्बर में विदेशों से जहाज खरीदने के लिए 500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा नियत किए जाने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई खरीद की गयी है अथवा किए जाने का विचार है तो वह क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 200 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत कर दी गयी है और देने का वचन दिया गया है और शेष राशि नौवहन कम्पनियों द्वारा लाए जाने वाले नये खरीद प्रस्तावों के लिए उपलब्ध है ।

**अबोहर और फाजिल्का में एक सूती कपड़ा मिल की स्थापना**

1176. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अबोहर और फाजिल्का क्षेत्र में सब से कम लागत पर सब से अधिक कपास का उत्पादन होता है जिससे जनता कपड़े का निर्माण किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में एक सूती कपड़ा मिल स्थापित करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) इस क्षेत्र में जे-34, एफ-320 तथा बंगाल देशी रुई सामान्यत: उगाई जाती है और ये मध्यम काऊंट के लिए प्रयोग की जा सकती है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में एक नई वस्त्र मिल स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। इसके अलावा सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि वह संगठित मिल तथा पावरलूम क्षेत्र में बुनाई क्षमता में किसी प्रकार का विस्तार करने को अनुमति नहीं देगी।

**Answering of questions papers in English for combined Defence Services Examination**

1177. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Nav Bharat Times dated the 17th January, 1978 to the effect that it will be compulsory to answer the General Knowledge and elementary Arithmetic questions in English in the Combined Defence Services Examination scheduled to be held by the Union Public Service Commission in May this year;

(b) if so, whether students whose medium of instruction was Hindi will thus not be able to take examinations for higher posts; and

(c) whether the Kothari Commission made a similar recommendation to Government?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil)** : (a) and (b) In as far as answering the papers is concerned, the Union Public Service Commission have already decided that papers in all the subjects included in the scheme of the Combined Defence Services Examination to be held in May, 1978 will consist of objective type questions only. Thus, even though the question papers themselves will be set in English, the objective type of questions and answers will, to a very great extent, reduce the emphasis on knowledge of English and the handicap of candidates not fully conversant with English will thus be minimised.

(c) The Kothari Committee on Recruitment Policy and Selection Methods has *inter alia* recommended the use of all languages listed in the VIIIth Schedule of the Constitution and English as alternate media in the proposed Civil Services Examination for recruitment to the all India and Central Services. Government of India have accepted this recommendation and requested the UPSC to take appropriate steps for its implementation.

The recommendations of the Kothari Committee do not cover the Combined Defence Services Examination.

**भारत द्वारा आधुनिक शस्त्रों की खरीद**

1178. **डा० बाबू कालदाते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े राष्ट्रों द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों को की जाने वाली शस्त्रों की बिक्री में हुई वृद्धि की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में आधुनिक बढ़िया शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) सरकार ने इस बारे में समय-समय पर प्रकाशित समाचारों को देखा है ।

(ख) और (ग) आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय नीति के एक भाग के रूप में आधुनिकतम शस्त्रों का उत्पादन देश में ही बढ़ाया जा रहा है और बड़े राष्ट्रों द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों को शस्त्रों की कथित बिक्री के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं किया जा रहा है । रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण कार्यक्रम में हमारी सशस्त्र सेनाओं की सभी आवश्यकताएं आती हैं जैसे—आधुनिक लड़ाकू विमान, युद्धपोत, टैंक और अन्य वाहन आधुनिकतम रेडार और संचार तथा गन नियन्त्रण उपस्कर, फील्ड, पर्वत, विमान-रोधी, टैंक-रोधी तथा अन्य बन्दूकें, प्रक्षेपास्त्र, राकेट तथा प्रणोदक, रसायन और विस्फोटक, छोटे हथियार और तीनों सेनाओं के लिए सभी तरह का गोला-बारूद ।

**सीमेंट का मूल्य**

1179. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) और (ख) सरकारी निर्माण-कार्यों के साथ-साथ कृषि, उद्योग और आवास हेतु उपभोग की अधिक मांग के कारण सीमेंट की सप्लाई में कमी हुई थी । आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडू में आए तूफान की वजह से हुए विध्वंश की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की जरूरत पड़ी थी । अतः सरकार ने अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख मी० टन सीमेंट के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया था । चूंकि देशी सीमेंट की लागत से आयातित सीमेंट की लागत अधिक होती है अतः सरकार ने 7 जनवरी, 1978 से सीमेंट के मूल्यों का पूल बनाने व 17 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से गन्तव्य स्थान तक रेल-भाड़ा मुक्त सीमेंट के मूल्यों को इस प्रकार बढ़ाने का निर्णय किया था कि स्थानीय-कर और सीमेंट के खुदरा मूल्य 20 रु० प्रति टन या एक रु० प्रति बोरी से अधिक न बढ़े । फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्पादक को भुगतान किये जाने वाले फैक्टरी से वाहन निकलते समय या सीमेंट के संधारण मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी ।

**केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग**

1180. **श्री डी० वी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती करने हेतु मद्रास में एक कर्मचारी चयन आयोग गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कर्त्तव्यों और कृत्यों के बारे में विवरण क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटिल)** : (क) मद्रास में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित कर्मचारी चयन आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है ।

(ख) आयोग के गठन के सम्बन्ध में संकल्प की एक प्रति, जिसमें आयोग के कर्तव्य और कृत्य दिए गए हैं संलग्न की जाती है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए संख्या** एल० टी० 1657/78] ।

**मिल मालिकों द्वारा बढ़ाए गए कागज के मूल्य**

1181. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**

**श्री के० प्रधानी :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिल मालिकों ने कागज के मूल्यों में तीन गुनी वृद्धि कर दी अर्थात् जनवरी, 1977 में 30 पैसे प्रति किलोग्राम, सितम्बर, 1977 में 35 पैसे प्रति किलोग्राम तथा फिर दिसम्बर, 1977 में 30 पैसे प्रति किलो ग्रा० की वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा मूल्य स्थिर रखने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश पब्लिशर्स एसोसिएशन की ओर से इस मामले में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) वर्ष 1977 के दौरान कागज की मूल किस्मों के मूल्यों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी ; अपितु कुछ बढ़िया किस्मों के कागज के मूल्यों में केवल सीमान्त वृद्धि हुई थी। कुछ मिलों ने 31-12-77 के पश्चात् मूल्यों की संशोधित सूचियां जारी की हैं जिनमें कुछ बढ़िया किस्मों के कागज के मूल्य काफी बढ़ गए हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है तो भी सरकार पर्याप्त औचित्य के बिना मूल्यों में एक पक्षीय वृद्धि का सहारा लेने से उद्योगों को निरुत्साहित करती रही है । कुछ मिलों द्वारा सरकार से परामर्श किये बिना मूल्य बढ़ा देने पर सरकार की अप्रसन्नता कागज उद्योगों को बता दी गई है। सरकार द्वारा मूल्य स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त विनियमनकारी अभ्यूपाय करने से पहले उद्योग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। संघ ने अभ्यावेदन दिया है कि कागज मिलों द्वारा लिखने के कागज की कुछ किस्मों और छपाई के कागज के मूल्य काफी बढ़ा दिये गये हैं तथा ऐसे कागजों की सामान्य रूप से कमी है और जिस का विद्यार्थी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार उन मामलों पर पहले से ही ध्यान दे रही है ।

**Lease Out of Coal Mines**

1128. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government propose to lease out the coal mines which Government do not want to work themselves;

(b) if so, by what time; and

(c) the number of collieries in the country which have been closed by Government?

**The Minister of State Energy (Shri Fazlur Rehman)** : (a) & (b) The Coalmines (Nationalisation) Amendment Act, 1976, provides that no person other than the Central Government, or a Government company, or a corporation, owned, managed or controlled

by the Central Government, or a company engaged in the production of iron and steel, or a person to whom a sub-lease has been granted by any Government company or Corporation, shall carry on coal-mining operations in India in any form. The proviso of sub-lease is subject to the condition that the reserves of coal in the area are in isolated small pockets, or are not sufficient for scientific and economic development and the coal produced will not be required to be transported by rail. No sub-lease has so far been granted in view of the fact that the vires of the above Act have been challenged in the Supreme Court and the matter is still sub-judice.

(c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

**नई दिल्ली में स्थित स्वतंत्र सेनानी सदन की हालत में सुधार करना**

1183. **श्री शिव सम्पत्ति राम :**

**श्री कचरूलाल हेमराज जैन :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली स्थित 'फ्रीडम फाइटर्स होम' (स्वतंत्र सेनानी सदन) जेल के अलावा और कुछ नहीं हैं ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सदन की हालत में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) तथा (ख) जी हां श्रीमान्। सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। दो शिकायतें की गई एक शिकायत घटिया किस्म के भोजन के बारे में और दूसरी स्टाफ पर अनुपातिक रूप से अधिक खर्च के बारे में है। जहां तक भोजन का संबन्ध है, खुराक की मात्रा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के परामर्श से निश्चित की गई थी और इस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। जहां कुछ मामलों में डाक्टरी आधार पर कोई विशेष खुराक निर्धारित की जाती है, तो वह भी दी जाती है।

जहां तक स्टाफ का संबन्ध है, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या बदलती रहती है और इस तरह स्टाफ की आवश्यकता भी बदलती रहती है। फिर भी, स्टाफ की स्थिति की जांच की जा रही है।

**दूसरा भारतीय उपग्रह**

1184. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा छोड़ा जाने वाला दूसरा उपग्रह लगभग बनकर तैयार होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो आर्यभट्ट की तुलना में इसकी क्या विशेषतायें हैं तथा इस उपग्रह को बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों का क्या योगदान है ;

(ग) उसमें कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता थी ;

(घ) क्या आर्यभट्ट जो अभी तक अन्तरिक्ष की कक्षा में है, अभी कार्य कर रहा है तथा लाभप्रद सूचनायें भेज रहा है और यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भारत के दूसरे उपग्रह को छोड़ने में सोवियत सरकार कितनी सहायता दे रही है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई)** : (क) दूसरा उपग्रह निर्माण के अग्रिम चरण में है, तथा इस उपग्रह के 1978 के अन्त तक तैयार होने की संभावना है।

(ख) यह उपग्रह वस्तुतः आर्यभट्ट का संशोधित रूपान्तरण है, तथा इसमें अधिक जटिल नीतभार, दत्त प्रबन्ध और नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। इसका अभिकल्प भारत के ऊपर भू-संसाधनों के सर्वेक्षण परीक्षणों के लिए बनाया गया है, तथा यह दो दूरदर्शन कैमरे और तीन माइक्रोवेव रेडियोमीटर ले जायेगा इससे वानिकी, हिम आच्छादन, हिम गलन, बृहत भूमि और जल-निकायों, मौसम विज्ञान और समुद्री सतह के तापमान से संबद्ध सूचना एकत्र करना संभव होगा। उपग्रह का निर्माण पूर्ण रूप से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है। जिन दूरदर्शन ट्यूबों और अन्तरिक्ष उपयुक्त उपकरणों का देश में निर्माण नहीं किया जाता है, उनका आयात किया गया है।

(ग) और (ङ) विदेशी सहायता के रूप में सोवियत संघ द्वारा प्रमोचन सुविधाएं, सौर पैनल और कुछ अन्य उपकरण प्रदान किये गये हैं।

(घ) जी, हां। आर्यभट्ट से प्राप्त आंकड़े संरचना गतिकी, नियंत्रण गतिकी, ताप नियंत्रण प्रणाली तथा पावर अनुकलन से संबद्ध हैं। इन सूचनाओं से दूसरे उपग्रह के अभिकल्प और निर्माण के लिए बहुमूल्य निवेश प्राप्त हुए हैं तथा यह सूचना भावी अन्तरिक्षयान के लिये भी उपयोगी होगी।

**दिल्ली प्रशासन को दिल्ली के संसद् सदस्यों की ओर से प्राप्त हुए पत्र**

1185. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 9 महीनों में दिल्ली प्रशासन को दिल्ली के संसद सदस्यों की ओर से कुल कितने पत्र प्राप्त हुये ;

(ख) कितने मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही की गई तथा सम्बद्ध सदस्य को उसकी जानकारी दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों द्वारा पत्र लिखे जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती ; और

(घ) यदि हां, तो संसद् सदस्य के प्रत्येक पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (घ) तक आवश्यक सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**जम्मू और काश्मीर में विकास परियोजनाओं की क्रियान्विति**

1186. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर राज्य में विशेषकर लद्दाख में, जहां इस राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम विकास हुआ है, आर्थिक विकास तेजी से करने तथा विकास परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति में बाधाओं को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आर्थिक विकास में तेजी लाने और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व जम्मू व काश्मीर सरकार का है।

जहां तक योजना आयोग का संबन्ध है, जो योजना परिव्यय 1974-75 में 47.79 करोड़ रु० था वह बढाकर 1978-79 के लिए 108 करोड़ रु० कर दिया गया है । इसके अलावा, खाद्य आर्थिक सहायताओं में कमी से होने वाली बचतों को भी सीधे राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ।

जहां तक लद्दाख का संबन्ध है, केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है, जबकि यह सामान्य रूप से 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में ही होती है। लद्दाख के लिए योजना परिव्यय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि उससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके विकास के लिए किए गए परिव्ययों को केवल उसी क्षेत्र के लिए खर्च किया जाए । 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए, 1974-75 में हुए 2.10 करोड़ रु० के व्यय के मुकाबले 6.44 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं।

**कोका कोला तथा आई० बी० एम० फर्मों को बन्द करने के कारण**

1187. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला तथा आई० बी० एम० फर्मों को बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्याप्त विदेशी सहयोग वाली बहुत सी फर्में सम्बद्ध विनियमों के लागू करने में प्रशासनात्मक शिथिलता के कारण भली प्रकार चल रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) कोका कोला तथा आई०बी०एम०, फर्मों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबन्धों के अनुसार 40% से अनधिक गैर-आवासीय हिस्सेदारी द्वारा भारत में काम करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, इन दोनों कम्पनियों ने अपनी सहकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को बन्द करने का निश्चय किया ।

(क) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Mechanised Production of Woollen Carpets**

1188. **Shri Madhav Prasad Tripathi** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has permitted mechanised production of woollen carpets by three big industrial houses in the name of export;

(b) whether such production will render lakhs of people unemployed who are producing hand made carpets; and

(c) if so, the reasons for granting such permission against the policies prescribed by Government?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) to (c) The Industry Ministry in the present Government's time has not issued any licence for mechanised production of woollen carpets. Some licences were, however, issued during the former Government's time and the reference here is perhaps to licences issued to (i) Bharat Carpets; (ii) Modi Carpets and (iii) Tufted Carpets and Woolen Industries Ltd.

The demand for machine-made carpets and hand-made carpets, strictly speaking, is not inter-substitutable since the two differ in various features like dimensions etc. The demand for machine-made carpets is mainly from institutions engaged in the promotion of tourist trade.

Nevertheless, keeping in view the rationale for promoting hand-made carpet production in view of its higher employment potential, expansion of mechanised production of carpets in future would not be encouraged.

**नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी सदन**

1189. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी सदन में कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं ;

(ख) सदन की देखभाल करने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रतिमास उनके वेतनों पर कितनी राशि खर्च की जाती है ; और

(ग) इस सदन पर प्रतिवर्ष कितनी धन राशि खर्च की जाती है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) नौ।

(ख) सदन में एक राजपत्रित अधीक्षक के अतिरिक्त नौ अराजपत्रित कर्मचारी हैं। उनके वेतन पर लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह खर्च किया जाता है ।

(ग) लगभग 90,000 रुपये।

**दिल्ली में रिंग रोड पर बिजली लगाना**

1190. **श्री राजकेशोर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के चारों ओर रिंग रोड पर, विशेषकर राजागार्डन और आजादपुर के बीच, पूरी तरह बिजली नहीं लगाई गई है जिसके परिणामस्वरूप यह सड़क दुर्घटनाओं की संभावना वाली सड़क बन गई है ; और

(ख) यदि हां, तो रिंग रोड के इस भाग विशेष पर कब तक पूरी तरह बिजली लगाई जाएगी ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) रिंग रोड के राजागार्डन और आजादपुर के बीच वाले भाग पर अभी तक पूरी तरह बिजली नहीं लगाई गई है । आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इस भाग पर भी बिजली लगा दी जाएगी।

**औद्योगिक विकास का संवर्द्धन**

1191. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में औद्योगिक विकास के संवर्द्धन के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या परिणाम सामने आये हैं ; और

(ग) पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ; और

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति)** : (क) से (ग) पूर्वी, पश्चिमी उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ दिल्ली में 5 से 8 सितम्बर 1977 तक अलग-अलग कई बैठकें हुई थीं । इसके पश्चात् उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उद्योग मंत्रियों के साथ 2 अक्तूबर, 1977

को शिलांग में एक बैठक हुई थी। उद्योग मंत्रियों के अलावा तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा गोआ के मुख्य मंत्रियों ने अपनी-अपनी क्षेत्रीय बैठकों में भाग लिया था। इन क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन, विभिन्न राज्यों द्वारा उनके औद्योगिक विकास कार्यक्रम में आने वाला विशिष्ट तथा तत्कालिक समस्याओं पर विचार करने के लिए किया गया था ताकि अधिक सारवान कार्यक्रम तैयार किया जा सके। विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों ने अपने राज्यों से संबन्धित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ मिले-जुले सुझाव दिये थे जिन पर भी विचार किया गया था। दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में बड़े और मध्यम उद्योगों द्वारा अनुषंगी विकास पर अधिक बल दिया गया तथा लघु और कुटीर क्षेत्र से की गई खरीदारियों के लिए भुगतान की उपयुक्त पद्धति अपनाने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अधिक योग देने, राज्यों में लघु उद्योग विकास संगठनों को सुदृढ़ बनाने, लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा अपेक्षित कच्चे माल तथा निविष्ट साधनों की समय पर तथा निरन्तर सप्लाई के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना, लघु उद्योग के उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य व्यापार निगम के बीच बेहतर सम्पर्क स्थापित करने सहित उपयुक्त व्यवस्था करने, छोटे क्षेत्र अर्थात् संयंत्र तथा मशीनरी का 1 लाख रुपये से कम निवेश वाले उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बातचीत के दौरान कई राज्यों द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों की बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय करों से छूट दिये जाने के लिए भी सामान्य सुझाव दिया गया।

इन क्षेत्रीय बैठकों में दिये गये सुझावों तथा विचार-विमर्श के संदर्भ में राज्य सरकारों से लघु तथा ग्रामीण उद्योगों विशेषकर चमड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगीरी तथा लोहारगीरी उद्योग, घानी का तेल, खाद्य तेल, साबुन, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा रेशम उद्योग के विशेष संदर्भ में अपनी वार्षिक योजनाएं उसी प्रकार से बनाने के लिए अनुरोध किया गया। 1978-79 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा योजना आयोग में उसे अन्तिम रूप दिया गया।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर अपेक्षित कार्यवाई का समन्वय करने के लिये उद्योग मंत्रालय में आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्ध किये गये हैं। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी।

**पश्चिम बंगाल में रुग्ण तथा बन्द पड़े एककों को पुनः चालू किया जाना**

1192. **श्री सौगत राय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल में रुग्ण अथवा बन्द पड़े ऐसे एककों को, जिनमें प्लाइवुड उद्योग, रूई मिलें, पटसन मिलें आदि भी सम्मिलित हैं, जो जांच अथवा अधिग्रहण के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को पूरा नहीं करते, पुनः चालू करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) क्या भारतीय पुनर्निर्माण निगम इस संबंध में कोई योजना तैयार कर रहा है जिससे इन कारखानों के बन्द होने से बड़ी संख्या में बेरोजगार होने वाले श्रमिकों को बचाया जा सके; और

(ग) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार भारत से बातचीत कर रही है और यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) और (ग) : किसी भी संकटग्रस्त अथवा बंद औद्योगिक उपक्रम की जांच पड़ताल करने/प्रबंध को हाथ में लेने हेतु कार्रवाई उद्योग (विकास

तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत संबंधित उपबंधों के आधार पर की जाती है । पश्चिम बंगाल सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक उपक्रम की जीव्यता, उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या तथा उसके आकार के संदर्भ में अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में, गुनावगुण के आधार पर विचार किया जाता है । सरकार इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करते समय प्रमुख रूप से लोकहित को दृष्टिगत रख कार्य करती है और प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है । 1977-78 की अवधि में मैसर्स यूनियन जूट कं० लिमिटेड, मै० खरधा कं० लि०, मै० अलैक्जेन्ड्रा जूट मिल्स, कलकत्ता, मैसर्स बंगाल केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लि० तथा मै० नेशनल रबर मेन्युफेक्चरर्स लि०, कलकत्ता का प्रबंध सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत हाथ में लिया गया था । इसी अवधि में मैसर्स पाल लोहमन (आई०) लि०, मै० इंडियन हैल्थ इन्स्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज़, कलकत्ता तथा मै० इन्चैक टयरस् लि०, कलकत्ता के कार्य-करण की जांच करने के आदेश दिये गये थे ।

(ख) समझा जाता है कि माननीय सदस्य, शायद, इन्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० का उल्लेख कर रहे हैं । इन्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल स्थित 72 बंद तथा संकट-ग्रस्त औद्योगिक एककों के लिये कुल मिलाकर 40.80 करोड़ रुपये की पुनः निर्माण सहायता की स्वीकृति प्रदान की है । इस पुनः निर्माण सहायता के परिणाम स्वरूप लगभग 77 हजार लोगों के पुनः काम दिये जाने । रोजगार में स्थिर किये जाने का अनुमान है । इन 72 औद्योगिक एककों में से 37 एकक कारपोरेशन की सहायता दिये जाने के पूर्व बंद कर दिये गये थे । इन 37 एककों में से 33 ने कारपोरेशन की सहायता से अपना कार्य पुनः चालू कर दिया है ।

## औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

1193. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1977 तक औद्योगिक विकास में वृद्धि की दर क्या है और गत दो वर्षों से यह किस प्रकार तुलनीय है;

(ख) किन-किन वस्तुओं में गत वर्ष की तुलना में 5% अथवा अधिक गिरावट आई है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया गया औद्योगिक उत्पादन का सरकारी सूचकांक नवम्बर 1977 तक उपलब्ध है । इस सूचकांक के अनुसार अप्रैल से नवम्बर, 1977, की अवधि में किये गये औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत थी जबकि 1976 तथा 1975 की उसी अवधि में यह दर क्रमशः 11.4 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत रही थी ।

(ख) और (ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1977 की अवधि में जिन प्रमुख वस्तुओं के सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मूल्यों की तुलना में 5 प्रतिशत की कमी आई है । उनके कारणों का उल्लेख करते हुए एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1193 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेखित विवरण

उद्योग जिनमें अप्रैल से दिसम्बर, 1976 की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर 1977 की अवधि में 5 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की कमी आई थी ।

| क्रम सं० | उद्योग | अप्रैल-दिसंबर 1976 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 1977 में कमी का प्रतिशत | गिरावट के कारण |
|---|---|---|---|
| 1. | अल्यूमीनियम | 16 | एक एकक में $2\frac{1}{2}$ महीने की हड़ताल तथा तीन एककों पर आरोपित की गई विद्युत कटौती । |
| 2. | वाणिज्यिक गाड़ियां | 15 | प्रमुख आटो सहायक सामान एककों में दीर्घकालीन हड़ताल/तालाबन्दी |
| 3. | मोटर साइकिलें | 10 | एक एकक में दीर्घकालीन हड़ताल । |
| 4. | थ्री ह्वीलर | 11 | एक एकक द्वारा उत्पादन निलंबन तथा कुछ एक आवश्यक हिस्से पुर्जों की कमी तथा मांग की कमी । |
| 5. | सीमलैस पाइप तथा ट्यूब | 62 | एकमात्र यह वस्तु बनाने वाले एकक में दीर्घावधि तक औद्योगिक संबंधों की समस्या । |
| 6. | सी०आई० स्पन पाइप | 43 | पर्याप्त मांग का न होना और सस्ते स्थानापन्नों की प्राप्यता । |
| 7. | मशीन टूल | 11 | अंशतः मांग का अभाव तथा अंशतः एक एकक में हड़ताल । |
| 8. | वायर तथा केबलें | 8 से 55 | अल्यूमीनियम की कमी के कारण उत्पादन में कमी आई |
| 9. | कागज तथा मशीनें | 15 | पर्याप्त क्रयादेशों की कमी |
| 10. | रसायन मशीनें | 7 | पर्याप्त क्रयादेशों की कमी |
| 11. | स्ट्रेपटोमाइसिन | 11 | एक एकक में लगभग $1\frac{1}{2}$ महीने की हड़ताल तथा एक अन्य एकक में तकनीकी कठिनाइयों के कारण कुछ भी उत्पादन न होना । |
| 12. | सल्फा औषधियां | 10 | पर्याप्त मांग की कमी |
| 13. | डीजल इंजन (गाड़ियों के) | 35 | उपभोक्ता उद्योगों द्वारा मांग में शिथिलता । |

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा संयंत्र को दोषपूर्ण जैनेरेटर सप्लाई करना**

1194. **श्री. के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा संयंत्र को सप्लाई किये गये दो जैनेरेटर दोषपूर्ण पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घं) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) तथा (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 120 मे०वा० के दो टर्बोजनरेटरों की सप्लाई की है अर्थात् दामोदर घाटी निगम की चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की चौथी और पाँचवीं यूनिटें । वे क्रमशः फरवरी, 1974 और मार्च, 1975 में चालू की गई थीं । इस प्रकार के अत्याधुनिक उपकरणों का दोषरहित परिचालन उपकरण की किस्म और अच्छे परिचालन तथा रख-रखाव दोनों से सम्बद्ध होता है । आयातित टर्बाइनों और जनरेटरों में भी वास्तविक कार्य निष्पादन में खराबियां होती हैं । इन दोनों एककों ने संतोषजनक ढग से सितम्बर, 1976 तक अपनी निर्धारित क्षमता से कार्य किया ।

जुलाई, 1976 में, यूनिट-4 को मुख्य तेल पम्प में एक खराबी ठीक करने के लिए इस यूनिट की समसामयिकता (सिन्क्रोनाइज) निश्चित करने के तुरन्त बाद बन्द कर दिया गया था, भूमि-दोष रिले की क्रियाशीलता के कारण यह डगमगा गया था और यह पाया गया था कि जनरेटर परिभ्रमक (रोटर) और स्टेटर की कुंडलियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं । क्षति का संभावित कारण यह था कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनरेटर पूरी तरह सूखे बिना फील्ड ब्रेकर पूरे प्रवाह से बन्द हो गया था । आवश्यक मरम्मत कर दी गई है और एकक अब समसामयिकता के लिए तैयार है । पांचवें यूनिट में सितम्बर, 1976 में दाहिनी ओर के स्टीम वाल्व के निकट रि-हीट पाइप लाइन ज्वाइंट में टूट-फूट देखी गई थी । मरम्मत के दौरान यह देखा गया था कि स्टीम वाल्व के स्टीम चेस्ट में एक दरार थी । क्षति का सही कारण ज्ञात नहीं है लेकिन अनुमान है कि अनुज्ञात तापक्रम से कम तापक्रम पर सिलेंडर में भाप जाने के कारण क्षति हुई थी । जब जांच की जा रही थी तो यह देखा गया था कि कुछ ब्लेड टूटे हुए थे जिसके कारण परिभ्रमक भी क्षतिग्रस्त हुआ । यूनिट को जून, 1977 में पुनः लगाया गया था और पुनः चालू किया गया था और 80 से 90 मे०वा० तक के औसत लोड पर चलाया गया था । बाद में नवम्बर, 1977 में गवरनर सिस्टम को डगमगाता देखा गया था और यह पाया गया कि हाई प्रेसर गवरनर वाल्व स्पिंडल टूटा हुआ था । इसकी मरम्मत की गई थी और जनवरी, 1978 में यूनिट की समसामयिकता निश्चित की गई थी, लेकिन इसमें अधिक कम्पन देखा गया था । मशीन को पुनः संतुलित और पुनः चालू कर दिया गया है और यह अब समसामयिकता के लिए तैयार है ।

(ग) क्षति के कारणों का पता लगाने के लिए उर्जा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में जांच की जा रही है ।

(घ) जांच समिति के निष्कर्ष अभी मालूम नहीं हुए हैं । जांच समिति की रिपोर्ट पूरी होने के बाद सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे ।

**बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कठिनाइयां**

1195. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि दिसम्बर के महीने में रक्षा मंत्री से मिले थे;

(ख) कर्मचारियों ने उन्हें क्या कठिनाइयां बताई; और

(ग) अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**Training to experienced Employees and Artists in the Film and T.V. Institute, Pune**

**1196. Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the reasons for sending such employees and artists to the film and T.V. Institute, Pune, for getting elementary knowledge who are already trained therefrom and have five to ten year's experience;

(b) the reasons for wasting Rs. 44,000 per capita on such experienced and expert artists; and

(c) whether newly appointed persons are sent abroad for training whereas the experienced employees are asked again and again to have unnecessary elementary knowledge from Pune in the country itself?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani)** : (a) and (b) Only those members of the staff are sent to the Film and Television Institute of India, Pune who have never before undergone any formal or even basic course of training in T.V. medium. Experience alone is not enough in a highly complex medium like Television. The per capita cost of training is approximately Rs. 23,500 and not Rs. 44,000.

(c) No, Sir. Members of Doordarshan staff are sent abroad only for specialised training and not for formal or basic training. Whenever opportunities for specialisation abroad are available, persons for this purpose are selected in accordance with the nature and scope of the opportunities available.

**पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना**

1197. **श्री शिवाजी पटनायक**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अभी भी बहुत सी पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं जिससे हजारों श्रमिकों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं और कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से बन्द पड़ी सभी मिलों को पुनः खोलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित पांच मिलें बन्द पड़ी हैं जिसके फलस्वरूप 14,650 कर्मचारी काम से अलग कर दिए गए हैं :—

| मिलों का नाम | कर्मचारियों की अनुमानित संख्या | तारीख जब से बन्द हैं |
|---|---|---|
| 1. भारत जूट मिल, (पश्चिम बंगाल) | 1,600 | 9-4-76 |
| 2. प्रेम चन्द्र जूट मिल (पश्चिम बंगाल) | 3,250 | 6-4-77 |
| 3. नई हाटी जूट मिल (पश्चिम बंगाल) | 3,000 | 21-7-77 |
| 4. फिनीसन जूट मिल (पश्चिम बंगाल) | 4,500 | 5-9-77 |
| 5. नस्कोपारा जूट मिल (पश्चिम बंगाल) | 2,300 | 25-9-77 |
| योग : | 14,650 | |

जहां तक भारत जूट मिल का संबंध है, बोस मलिक समिति जिसकी जूट उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 1976 में स्थापना की गई थी, का सुविचारित दृष्टिकोण यह था कि इसकी मशीनें बिल्कुल ही आधुनिक नहीं है। कौल समिति जिसकी स्थापना केवल संकटग्रस्त जूट एककों के मामलों की संवीक्षा करने के लिए की गई थी, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह मिल विशेष पुनः चालू की जाने योग्य नहीं थी।

जहां तक प्रेम चन्द जूट मिल्स का संबंध है, बोस मलिक समिति ने इस मिल को भी भारत जूट मिल की ही श्रेणी में रखा है जिसमें मशीनें या तो बिल्कुल आधुनिक नहीं हैं अथवा उत्पाद मिश्र मूलतः असंतुलित हैं

**तापीय बिजली घरों की स्थापना**

1198. **श्री प्रद्युम्मन बल :**

**श्री शंकर सिंहजी बाघेला :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत प्रजनन क्षमता बनाने के लिए देश में कई नए स्थानों पर 500 मे०वा० के बड़े तापीय बिजलीघर स्थापित करने के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) अभी तक सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर, 500 मेगावाट के उत्पादन यूनिटों की प्रतिष्ठापना के ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है :—

(एक) महाराष्ट्र में ट्राम्बे विस्तार जिसमें 500 मेगावाट के एक यूनिट की प्रतिष्ठापना का प्रस्ताव है।

(दो) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोरबा जिसमें 1100 मेगावाट की प्रतिष्ठापना वाले प्रथम चरण का अनुमोदन कर दिया गया है । इसमें 200-200 मेगावाट के तीन यूनिट तथा 500 मेगावाट का एक यूनिट शामिल है ।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में रामगुण्डम जहां 1100 मेगावाट के प्रथम चरण की प्रतिष्ठापना होगी जिसमें 200-200 मेगावाट के तीन यूनिट तथा 500 मेगावाट का एक यूनिट शामिल है ।

**सूचना अधिकारियों का तबादला**

1199. **श्री लखनलाल कपूर**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसे सूचना अधिकारियों का तबादला किया है जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान ज्यादतियां की थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) उन्हें क्या काम सौंपा गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विशिष्ट रक्षा आवश्यकताओं की समस्या को हल करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को योगदान**

1200. **डा० मुरली मनोहर जोशी**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट रक्षा आवश्यकताओं और परियोजनाओं के लिए समाधान खोजने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई :—

(क) विभिन्न सहायतानुदान योजनाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं बनाई गई हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का प्रयोग विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि द्वारा अनुसंधान कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उपस्करों और प्रासंगिक खर्चों के लिए किया जाता है । रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास बोर्ड सहायतानुदान योजनाओं के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में लगभग 5 करोड़ रुपए और 1971 से अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना (एयर डिफेंस इनवायार्नमेंट ग्राउण्ड सिस्टम के अन्तर्गत) के अन्तर्गत लगभग 4 करोड़ रुपए की सहायता दी है । इलेक्ट्रानिक विभाग के राष्ट्रीय रेडार परिषद ने, जिसके साथ रक्षा मंत्रालय का बहुत घनिष्ठ सम्पर्क है, इन परियोजनाओं की अब तक 1.45 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इस प्रकार बनाई गई अनुसंधान परियोजनाएं रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं के अनुरूप हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कार्मिकों को सिविलियन तथा सेना अधिकारियों दोनों को प्रशिक्षण देने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त, सैनिक और सिविलियन अफसरों को विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि द्वारा चलाए जा रहे कुछ विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ।

(ग) रक्षा के हित के विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में गोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसी आशा है कि ऐसी गोष्ठियों/सम्मेलनों से भारतीय विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसंधान संस्थान रक्षा समस्याओं के निकट आएंगे ।

(घ) विश्वविद्यालयों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि से वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को परियोजना संचालन/स्टीयरिंग ग्रुपों में तथा साथ ही विशिष्ट हल निकालने के लिए परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

**गैर-सरकारी क्षेत्र में कलपुर्जों का उत्पादन**

1201. **श्री पी० के० कोडियन**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन के लिए कलपुर्जों के उत्पादन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए उद्योगपतियों का सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)**: (क) और (ख) रक्षा पूर्ति विभाग ने 14 तथा 15 फरवरी, 1978 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया था । सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय की विभागीय फेक्टरियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संबंधित सरकारी संगठनों और सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही सिविल क्षेत्रों के उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन का उद्देश्य उन फालतू कल-पुर्जों, अतिरिक्त उपकरणों तथा हिस्से-पुर्जों जैसी मदों का निर्माण करने के लिए सिविल क्षेत्र--सार्वजनिक तथा निजी दोनों--की बढ़ती हुई क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के उपाय ढूंढना था, जिनका या तो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में निर्माण नहीं किया जाता है अथवा जिनके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि देश की आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके और रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्म-निर्भरता की गति को तेज किया जा सके । इस बारे में जैसा इस समय है, रक्षा मंत्रालय की विभागीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रमुख भूमिका रहेगी ।

**राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोटा के श्रमिकों द्वारा हड़ताल**

1202. **श्री शंकर सिंहजी बाघेला**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कोटा के निकट रावतभाटा की भारी जल परियोजना के श्रमिकों ने 1977 के दौरान काफी लम्बे समय तक हड़ताल की थी;

(ख) वे किस अवधि के लिए हड़ताल पर रहे और उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) वहां श्रमिकों की हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई; और

(घ) श्रमिकों की मांगों को किस सीमा तक पूरा किया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी 8 सितम्बर, 1977 से 6 जनवरी, 1978 तक हड़ताल पर रहे । एक संघर्ष समिति द्वारा, जिसमें मान्यता प्राप्त यूनियन तथा एक अमान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि शामिल थे, निम्नलिखित मांगें रखी गई थीं:— (i) परियोजना भत्ता फिर से दिया जाये, (ii) कर्मचारियों को स्थायी बनाने की घोषणा की जाये, (iii) रात्रि ड्यूटी भत्ता, विकिरण भत्ता, उत्पादन भत्ता तथा बोनस दिये जाएं, (iv) छंटनी बंद की जाये, (v) यथोचित श्रेणी के आवास की व्यवस्था की जाये, (vi) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड में दिये जाने वाले ग्रेडों को आधार मानकर नये

ग्रेड लागू किये जाएं, (vii) ठेकेदारों को काम देना बंद किया जाए, (viii) एसबैस्टास की चादरों की छतों की जगह पक्की छतें तथा पत्थर की दीवारें बनाई जाएं, तथा (ix) सभी कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी समान शर्तें लागू की जाएं ।

(ग) प्रतिदिन 5 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई तथा बिजली के उत्पादन में प्रतिदिन 28.50 लाख यूनिट की क्षति हुई ।

(घ) संघर्ष समिति कोई मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है, इससे पहले, राजस्थान अणु शक्ति परियोजना कर्मचारी संघ के साथ, जोकि एक मान्यता प्राप्त यूनियन है उस यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर बातचीत हुई थी । उस मांग-पत्र में संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत 9 मांगें भी शामिल थीं । सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोटा ने संघर्ष समिति की मांगों पर समझौता वार्ता शुरू कराई थी, किन्तु चूंकि हड़तालियों की मांगें नाजायज़ थीं तथा सरकारी नीति के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं थीं, इसलिए वह वार्ता असफल रही । तथापि, अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण शुरू किया जा चुका है तथा अस्थायी रूप से बनाये गये कुछ क्वार्टरों में सुधार करके उन्हें अस्थायी/अर्धस्थायी क्वार्टरों में बदलने का कार्यक्रम तैयार किया गया है । प्रचालन एवं अनुरक्षण वर्ग के ऐसे 50% पदों को, जोकि पिछले 3 साल से ज्यादा की अवधि से चले आ रहे हैं, स्थायी पदों में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें लम्बी अवधि तक सेवा में रखे जाने की आवश्यकता है तथा जो स्थायी घोषित होने के पात्र हैं, स्थायी घोषित किया जा सके ।

## रूई के मूल्य में वृद्धि

1203. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुई का स्टाक उसके अनुमानित स्टाक से अधिक हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बाजार में रुई के खुदरा मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## Manufacturing capacity of truck chassis in TELCO

1204. **Shri M.A. Hannan Alhaj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the annual manufacturing capacity of 1210-E truck chassis in T.E.L.C.O.;

(b) whether it is a fact that shortage of truck chassis in the market is self-creation of the management; and

(c) the efforts are being made by government to end this shortage ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) TELCO commenced the manufacture of 1210 SE chassis in July 1977. At present they are producing 'E' version of all models in their range. The annual installed capacity of TELCO for trucks and buses including 1210 SE is of the order of 28,000 Nos.

(b) and (c) Short fall in the production of TELCO truck chassis is due mainly to power constraints and non-availability of critical components from some of the ancillary units. Imports of critical components were permitted and supplies of critical components from the concerned ancillary units have resumed. Regarding power constraint, the matter has also been taken up with the concerned authorities for augmenting power supplies to the extent possible.

**तेजपुर-सिलघाट स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा पुल बनाया जाना**

1205. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद् के तेजपुर-सिलघाट स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा पुल बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे मध्य आसाम और नदी से पृथक हुए अरूणाचल के जिलों के बीच सड़क यातायात का विकास होगा ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा योजना के लिए अनुमानित लगभग 27 करोड़ रुपए की कुल मांग में से 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना उन योजनाओं में से एक है जिनके लिए प्रधान मंत्री ने अपने हाल की आसाम की यात्रा के दौरान उस क्षेत्र में संचार के विकास हेतु आश्वासन दिया था;

(घ) क्या सरकार का इस पुल की निर्माण परियोजना को तत्काल लेने का विचार नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख) मैसर्स रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा लि० द्वारा तैयार की गई सिलघाट के निकट ब्रह्मपुत्र पर दूसरे पुल के निर्माण संबंधी परियोजना संबंधी रिपोर्ट की जांच उत्तरपूर्वी परिषद् द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा की जा रही है। उत्तर पूर्वी परिषद् के प्रस्तावों में उपयुक्त प्रावधान किया जायगा, यदि तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के कारण इसकी आवश्यकता पड़ती है ।

(ग) प्रधान मंत्री द्वारा असम की अपनी हाल की यात्रा के दौरान ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(घ) तथा (ङ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा**

1206. **बी० सी० काम्बले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को समाप्त करके, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की छूट देकर और निकाल कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों का अतिलघंन करके तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारियों को पदावनत करके केन्द्र तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यों में आज तक कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) केन्द्र के कार्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सेवा की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में कितने प्रतिशत कमी रही; और

(ग) सरकार का इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण केवल तभी अनुज्ञेय है, जबकि मानदण्डों में छूट देने, जहां कहीं निर्धारित हो, के बावजूद भी उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता न होने के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक हो जाता है। किसी रिक्ति को अनारक्षित किए जाने और उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा

भरे जाने के लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। जहां कहीं, अनारक्षण की अनुमति दी भी जाती है, वहां इन समूहों को आरक्षित रिक्तियों को हानि नहीं होती है, क्योंकि बिना भरे आरक्षणों को सामान्यतः अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत किया जाता है। वर्ष 1971—1975 के दौरान अनारक्षित की गई आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना अनुबन्ध-I में दी गई है। इस प्रकार आरक्षित पदों में कोई छूट तथा अपवर्जन नहीं है। 23-6-1975 से श्रेणी-1 के निम्नतम ग्रेड के स्तर तक, अनुसंधान के प्रयोजन के लिए सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को भी, जो पहले आरक्षणों की योजना में नहीं आते थे, उक्त योजना के अंतर्गत लाया गया है।

(ख) तथा (ग) जहां कहीं सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था है वहां वे समय-समय पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में होते हैं, न कि किसी सेवा अथवा किसी संवर्ग की कुल पद संख्या के सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1977 को भारत सरकार तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के एक समूह 'क' (श्रेणी-1), समूह 'ख' (श्रेणी-2), समूह 'ग' (श्रेणी-3) और समूह 'घ' (श्रेणी-4) के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या और 1976 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा इन समूदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए पदों के सम्बन्ध में भी सूचना अनुबन्ध-II में दी गई है। सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को लिए जाने में सुधार लाये जाने को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर लागू किए गए विभिन्न उपायों की संलग्न विवरण (अनुबन्ध-III) में स्पष्ट किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1658/78]

**उद्योग मंत्री द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनिषों को आश्वासन**

1207. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 5 फरवरी, 1978 के साप्ताहिक "न्यू वेव" में इस समाचार को देखा है जिसमें यह लिखा गया है कि उद्योग मंत्री ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यह आश्वासन दिया है कि अन्य किसी विदेशी कम्पनी के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी जैसी कि कोका कोला और आई० बी० एम० के विरुद्ध की गई थी ; और

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी के बैंकरों के भारत में पूंजी निवेश के प्रस्ताव और भारत में अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश की योजना में कोई सम्बन्ध है?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस)**: (क) जी नहीं। उद्योग मंत्री को इस प्रकार की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है फिर भी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो वह बिलकुल गलत है। सभी विदेशी कंपनियों के मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्ध कठोरतापूर्वक लागू किये जायेंगे।

(ख) भारत में औद्योगिक निवेश में पश्चिम जर्मनी के बैंकरों द्वारा वित्त लगाने में खर्च रखने के सम्बन्ध में बोन में सितंबर, 1977 को उद्योग मंत्री वेस्ट जर्मन चेम्बर आफ इण्डस्ट्री एण्ड कॉमर्स के मध्य हुए विचार विमर्श में संकेत दिया गया था। यह उनकी खर्च का एक सामान्य संकेत था न कि यह संकेत किसी परियोजना विशेष के लिए था। इसी प्रकार का एक साधारण विचार-विमर्श बिजनस इन्टरनेशनल के कुछ सदस्यों के साथ जनवरी, 1978 में नई दिल्ली में हुआ था। अनेक बहुराष्ट्रीय निगम बिजनेस इन्टरनेशनल के सदस्य भी है तथा बैठक में वे भी प्रतिनिधि थे और उनमें से कुछ प्रतिनिधियों ने भारत में औद्योगिक निवेश में अपनी रुचि दिखाई थी। उपर्युक्त दोनों बैठकों में यह स्पष्ट कर दिया गया

था कि भारत में विदेशी विनियोग की अनुमति केवल सरकार की औद्योगिक नीति की परिधि के भीतर तथा इस विषय पर बनाए गए कानून के भीतर ही दी जा सकती है।

भारत में औद्योगिक निवेश करने के बारे में पश्चिम जर्मनी के बैंकरों द्वारा किए गए प्रस्ताव तथा कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखाई गई रुचि के बीच यदि कोई संबंध है तो उसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

**Functioning of Hindi Section in the Ministry**

**1208. Shri Roop Nath Singh Yadav :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Hindi Section in his Ministry has been functioning prior to 1958 and thus it is an old Hindi Section in the Government of India;

(b) whether despite the instructions issued by the Ministry of home Affairs in 1973 this Section has not been expanded so far;

(c) whether keeping in view the Official Languages Act, 1963 (as amended) there is any proposal to expand the said Section; and

(d) if so, the time by which the arrangement therefor is likely to be completed ?

**Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) :** (a) Yes, Sir.

(b) The position was reviewed after the issue of instructions by the Ministry of Home Affairs in 1973 and it was decided that the existing staff in the Hindi Section was adequate.

(c) and (d) No

**राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले**

1209 : **श्री मीठालाल पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) इस समय राजस्थान में कितने जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में घोषित है ; जिले को पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है और क्या इस बारे में कोई विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) क्या सवाई माधोपुर जिला अनेक अन्य घोषित पिछड़े जिलों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सवाई माधोपुर को पिछड़ा जिला घोषित न किये जाने के क्या कारण है और यह कब तक "पिछड़ा जिला" घोषित कर दिया जायेगा ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने मांग की है कि संपुर्ण राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य घोषित किया जाये और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) राज्य के मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसरण में रियायती दर पर वित्तीय सुविधाओं का पात्र बनाये जाने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रो प्रशासनों के बीच मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में अपनाये जाने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड परिचालित किये गये थे :

(1) जिले के प्रमुखरूप से खाद्यान्न/खड़ी फसल पैदा करने वाला होने पर प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न, वाणिज्यिक फसल उत्पादन। खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसल के बीच तुलनात्मक अन्तर जिला परिवर्तन दर राज्य सरकार द्वारा जहां जरूरी हो पूर्व निर्धारित आधार पर निर्धारित की जाए।

(2) कृषि कर्मचारियों के अनुपात में जनसंख्या।

(3) प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल)।

(4) प्रति एक लाख की जनसंख्या में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा एक लाख की जनसंख्या में विकल्पतः द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी के कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या।

(5) प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत।

(6) जनसंख्या को देखते हुए समतल सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या को देखते हुए रेलवे की मीलों में लम्बाई।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए उद्देश्य से अपनाए जाने वाले मानदण्डों के बारे में राज्य सरकार द्वारा दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों पर योजना आयोग द्वारा सम्बंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया गया था। दिए गए आंकड़ों के आधार पर अधिकांशतः वे जिले जिनका सूचकांक संबंधित राज्य के औसत से नीचे रहा है। उन्हें रियायती दर पर वित्त पाने का पात्र बनाने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुन लिया गया है। तदनुसार, राजस्थान के निम्नलिखित 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुन लिया गया है :

अलवर, बांसवाड़ा, बांड़मेर, भीलवाड़ा, चुरु, जैसलमेल, जालौर, झूझनूं, आलावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर सवाई माधौपुर जिले का सूचकांक राज्य के औसत से नीचे नहीं था। अतएव जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं चुना गया है।

(घ) जी, हां। आगामी पंचवर्षीय योजना बनाने के संबंध में योजना आयोग केन्द्र द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन जिलों/क्षेत्रों का विकास करने के लिए दी जा रही रियायतों और राजसहायताओं की सभी योजनाओं की समीक्षा कर रहा है।

**पनतापीय बिजली संयंत्रों में बिजली का उत्पादन**

1210. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पन-तापीय बिजली संयंत्रों द्वारा कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है ; और

(ख) अगली योजना में उनकी क्षमता कितनी करने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचद्रन)** (क) जल-विद्युत, ताप-विद्युत तथा परमाणु-विद्युत संयंत्रों की वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा 1976–77 के दौरान उत्पादित ऊर्जा निम्न प्रकार है :—

| | युटिलिटीज़ | नान-युटि-लिटीज़ | जोड़ |
|---|---|---|---|
| **प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)** | | | |
| जल-विद्युत | 9726 | 3 | 9729 |
| ताप-विद्युत (इसमें डीजल तथा गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र शामिल हैं) | 12469 | 2222 | 14691 |
| परमाणु-विद्युत . . . . . | 640 | .. | 640 |
| जोड़ | 22835 | 2225 | 25060 |
| **1976-77 के दौरान उत्पादित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)** | | | |
| जल-विद्युत . . . . | 34782 | 8 | 34790 |
| ताप-विद्युत (इसमें डीजल तथा गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र शामिल हैं) | 50245 | 7232 | 57477 |
| परमाणु विद्युत | 3253 | .. | 3253 |
| जोड़ . . . . . | 88,280 | 7240 | 95,520 |

(ख) अगली योजना के विद्युत कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

## कोयला कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए द्विपक्षीय समिति बनाना

1211. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में कोयला कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक द्विपक्षीय समिति बनाने के बारे में सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय ने प्रस्ताव के बारे में कोई टिप्पणी की है ; और

(घ) यदि हां, तो द्विपक्षीय समिति बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क), (ख), (ग) और (घ) कोयला उद्योग के लिए एक द्विपक्षीय समिति पहले से ही बनी हुई है । बदली हुई परिस्थितियों में इस समिति के पुनर्गठन पर सरकार विचार कर रही है ताकि इसको व्यापक आधार देते हुए अधिक हितों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके ।

**Reopening of closed uneconomic Coal Mines**

**1212. Shri Sukhendra Singh :**
**Shri K. Pradhani:**

Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the State Governments have sought permission from the Central Government to reopen those Coal Mines of Bihar, Orissa and West Bengal which were closed as they were uneconomic;

(b) the number of such coal mines and places where they are located; and

(c) whether these mines will be run by Government themselves through private contractors?

**The Minister of State in the Ministry of Energy (Shri Fazlur Rehman)** (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**बुरहानपुर ताप्ती मिल्स के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान**

1213. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरहानपुर ताप्ती मिल्स के कर्मचारियों को केवल 90 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जबकि कपड़ा मिलों के अन्य सभी श्रमिकों को 100 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है ;

(ख) क्या ताप्ती मिल का संचालन राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) क्या मरकार का विचार इस विषमता को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) संदर्भाधीन मिलों का प्रबंध राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनुषंगी राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) द्वारा किया जाता है । मिल के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता इन्दौर सूचकांक के 90 प्रतिशत पर दिया जाता है । यह इस विषय पर किए गए पंच निर्णय के उपबन्धों के अनुसार है । इस पंचनिर्णय में यह निश्चय किया गया था कि बरहानपुर में मिलने वाले मंहगाई भत्ते को इंदौर के मंहगाई भत्ते के साथ जोड़ दिया जाये तथा इन्दौर में दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते का 90 प्रतिशत बरहानपुर के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए । यह अन्तर बुरहानपुर को स्थिति, जनसंख्या तथा वहां की निर्वाह लागत को ध्यान में रखकर सुझाया गया था ।

**Enquiry Commission on Big Industrial Houses**

**1214. Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether an inquiry commission on big industrial houses like Birlas was appointed by the previous Government and if so, when and the amount spent thereon so far;

(b) whether the inquiry commission has completed its work and if not, the difficulties coming in the way and the measures being taken by Government to remove them; and

(c) whether it is a fact that Government are under heavy pressure to shelve the inquiry into the bunglings by the Birla House?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) It is presumed that the reference is to the Commission of Inquiry on Large Industrial Houses appointed by the Government which *inter alia* is inquiring into certain aspects of the working of some of the companies belonging to the Birla Group. As on 31-3-1977 an expenditure of Rs. 1,26,90,107. was incurred by Government on this Commission. It is estimated that an expenditure of Rs. 20,05,000 would be incurred during 1977-78.

(b) The working of the Commission is in progress. One of the main reasons for delay in completion of inquiry by the Commission has been the writ petitions filed by a number of companies belonging to Birla Group and interim orders staying inquiry by the Commission passed by the High Court at Calcutta thereon. The Honourable High Court has been moved for vacation of the interim injunction. The Honourable High Court is expected to take up this case for hearing on the 4th March, 1978.

(c) No, Sir.

**अमरीकी राष्ट्रपति और ईरान के शाह की यात्राओं के अवसर पर फिलिस्तीनी तथा ईरानी विद्यार्थियों की नजरबन्दी**

1215. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

**श्री कृ० ए० राजन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की भारत यात्रा के अवसर पर पुलिस ने दिल्ली में फिलिस्तीनी विद्यार्थियों को नजरबन्द रखा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईरान के शाह की हाल की भारत यात्रा के अवसर पर सरकार ने ईरानी विद्यार्थियों की नजरबन्दी के आदेश जारी किये थे और उन्हें यह भी धमकी दी गयी कि यदि उन्होंने पुलिस को सूचित किये बिना अपने निवास स्थान छोड़े तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में पुलिस ने ईरान के शाह के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले ईरानी विद्यार्थियों को पीटा था ;

(घ) इन विदेशी विद्यार्थियों के प्रति सरकार द्वारा ऐसी नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं और

(ङ) क्या सरकार की यह नीति है कि वह विदेशी विद्यार्थियों के जब तक वे हमारे देश में अपने वैध प्रजातांत्रिक अधिकारों और देश भक्ति हेतु संघर्ष करने का प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं देगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) तथा (ख) विदेशीय क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली, ने विदेशीय अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत नागरिक प्राधिकारी के रूप में अपने सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए केवल उन फिलिस्तीनी तथा ईरानी विद्यार्थियों

के आन्दोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी किये थे जिनके बारे में समझा जाता था कि अमरीकी राष्ट्रपति तथा शाह ईरान के भारत के उनके हाल के दौरों के दौरान वे उनके विरुद्ध अशोभनीय प्रदर्शन करेंगे । विद्यार्थियों को अपने निवास स्थानों/छात्रावासों में ठहरने तथा किसी प्रदर्शन आदि के लिए तैयारी न करने अथवा उसमें भाग न लेने के निदेश दिए गए थे । उन्हें सूचित किया गया था कि आदेशों का उल्लंघन करने पर उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है।

(ग) पुलिस ने ईरानी विद्यार्थियों को जिन्होंने शाह के विरुद्ध प्रदर्शन किया था नहीं पीटा था ।

(घ) तथा (ङ) यह कार्यवाही देश में मित्र राष्ट्रों से अतिथि के रूप में आये प्रधानों के सामने हिंसा तथा अशोभनीय प्रदर्शन करने की संभावना को खत्म करने के लिए ही कुछेक ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध की गई थी । जहां तक वे इस देश के नियमों का पालन करते हैं उन पर कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते हैं ।

**कलकत्ता में आनन्द मार्गी फिलिपीनी महिला**

1216. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कुख्यात आनन्द मार्गी आतंकवादी फिलिपीनी महिला हाल में अमरीका से कलकत्ता आयी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उसकी आनन्द मार्ग के प्रधान पी० आर० सरकार की अनावरत नजरबन्दी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने की योजना थी ;

(घ) क्या यह जानकारी देश में उसके उतरने से पूर्व प्राप्त हो गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो वह कैसे बच निकली और उसका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) तथा (ख) एक फिलिपीनी महिला, जिसके लिये बताया जाता था कि आनन्द मार्ग के साथ उसके संबंध हैं, जनवरी, 1978 में एक लैंडिंग परमिट पर कलकत्ता के रास्ते भारत आई ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जब उसकी गतिविधियां अवांछनीय पाई गई तो उसे भारत छोड़ने का एक नोटिस तामील किया गया । वह 25-1-78 को भारत से चली गई ।

**"डीप पेनेट्रेशन एयरक्राफ्ट" के बारे में बातचीत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के दलों द्वारा दौरा**

1217. **श्री माधवाराव सिंधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के दल उन कुछ पश्चिमी देशों के साथ, जो इस देश की "डीप पेनेट्रेशन एयरक्राफ्ट" देने से सहमत हो गये हैं, शर्तों एवं भुगतान के तरीकों के बारे में बातचीत करने के लिए विदेश जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) बातचीत कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग) सरकार दूर तक मार करने वाले विमान प्राप्त करने के विचार से विभिन्न निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श कर रही है । इस प्रयोजन के लिए हमारे तकनीकी दल स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के दौरे पर गए हैं । इन देशों को एक अन्य दल अन्वेषणात्मक बातचीत करने के किए भी जा रहा है । इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे प्राप्त हो जाने तथा विचार-विमर्श पूरा हो जाने के बाद सरकार अन्तिम निर्णय लेगी ।

**बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में निर्यात के माल की लदान की मात्रा**

1218. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों पर विदेश व्यापार में लगे कितने समुद्री जहाज आये और उनमें से कितने भारतीय थे ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में क्रमश: इन पत्तनों पर कितने-कितने समुद्री जहाज आए थे ;

(ग) वर्ष 1977 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों पर निर्यात हेतु लादे गये माल का वजन कितना था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इन पत्तनों पर लादे गये माल का वजन कितना था ; और

(घ) इन तीन वर्षों में से प्रत्येक में इस माल में से कितना 'सामान्य निर्यात माल' (जनरल एक्सपोर्ट कार्गो) था ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) 1977 के दौरान विदेशी व्यापार में लगे समुद्रगामी जहाजों की संख्या ।

| पत्तन | जहाजों की कुल संख्या | भारतीय |
|---|---|---|
| बम्बई | 2795 | 1064 |
| कलकत्ता | 727 | 276 |
| मद्रास | 776 | 346 |

(ख) पत्तन पर आये समुद्रगामी जहाजों की संख्या

| वर्ष | पत्तन | जहाजों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1955–56 (पहली पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) | बम्बई | 2621 |
| | कलकत्ता | 1289 |
| | मद्रास | 918 |
| 1965–66 (तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) | बम्बई | 2958 |
| | कलकत्ता | 1671 |
| | मद्रास | 1312 |

(ग) धरा उठाई किया निर्यात माल ।

(टनों में)

| पत्तन | वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | 1977 | 1955–56 (पहली पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) | 1965–66 (तीसरी पंच-वर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) |
| बम्बई . . . . | 45,63,000 | 32,86,000 | 53,40,000 |
| कलकत्ता . . . . | 33,29,000 | 46,96,000 | 45,64,000 |
| मद्रास . . . . | 31,03,779 | 6,37,781 | 15,72,713 |

(घ) सामान्य निर्यात माल ।

(टनों में)

| पत्तन | 1977 | 1955–56 (पहली पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) | 1965–66 (तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) |
|---|---|---|---|
| बम्बई . . . | 31,81,000 | 14,02,000 | 15,08,000 |
| कलकत्ता . . . . | 17,85,000 | 18,01,000 | 20,50,000 |
| मद्रास . . . . | 6,38,575 | 2,96,832 | 3,04,428 |

**बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में माल-सुविधाएं**

1219. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पत्तनों पर, अलग-अलग, महासागर में चलने वाले जहाजों के लिये, सामान्य माल-घाटों की संख्या कितनी थी, और पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितनी थी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितनी थी ;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पत्तनों पर मालगोदामों तथा सामान्य माल के लिए पारगमन शैडों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी थी ;

(ग) 1 जनवरी, 1978 को, पहली पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, इन पत्तनों पर सामान्य माल उतारने-चढ़ाने के लिए, क्रेनों तथा फार्कलिफ्ट ट्रकों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी थी ; और

(घ) 1 जनवरी, 1978 को पहली पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इन पत्तनों पर पायलट जहाजों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी थी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) पत्तनों में सामान्य माल घाटों/जेट्टियों की संख्या

| पत्तन | 1-1-78 को | पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में | तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में |
|---|---|---|---|
| बम्बई | 50 | 46 | 46 |
| कलकत्ता | 31 | 35 | 37 |
| मद्रास | 16 | 10 | 13 |

(ख) माल गोदामों और ट्रांसिट शैडों की संख्या

| पत्तन | 1-1-1978 को | | पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में | | तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मालगोदाम | ट्रंसिट शैड | माल गोदाम | ट्रंसिट शैड | मालगोदाम | ट्रंसिट शैड |
| बम्बई | 59* | .. | 5* | .. | 53* | .. |
| कलकत्ता | 59 | 35 | 58 | 33 | 59 | 35 |
| मद्रास | 17 | 10 | 12 | 6 | 15 | 9 |

*इनमें ट्रांसिट शैड शामिल हैं।

(ग) क्रेनों तथा फोर्कलिफ्टों की संख्या

| पत्तन | 1-1-78 को | | पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में | | तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्रेन | फोर्कलिफ्ट्स | क्रेन | फौर्कलिफ्ट्स | क्रेन | फोर्कलिफ्ट्स |
| बम्बई | 247 | 42 | 200 | 24 | 249 | 36 |
| कलकत्ता | 221 | 49 | 260 | कुछ नहीं | 301 | 36 |
| मद्रास | 76 | 63 | 73 | 34 | 88 | 62 |

(घ) पायलट वैसल्स/लांचों की संख्या

| पत्तन | 1-1-78 को | पहली पंच-वर्षीय योजना के अन्त में | तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में |
|---|---|---|---|
| बम्बई | 1 | 1 | 1 |
| कलकत्ता | 2 | 2 | 2 |
| मद्रास | 3, | 2 | 2 |

**गैर-सरकारी फर्मों द्वारा रक्षा विभाग को सामग्री की सप्लाई**

1220. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रक्षा विभाग को गैर-सरकारी फर्में सामग्री की सप्लाई करती है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी फर्मों द्वारा कितने मूल्य की सामग्री सप्लाई की जाती है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक प्रतिवर्ष कितने मूल्य की सामग्री की सप्लाई की गई ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

**चिल्का लेक नेवल ट्रेनिंग स्कूल का पुनः नामकरण करने का सुझाव**

1221. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिल्का लेक नेवल ट्रेनिंग स्कूल, उड़ीसा के नाम को बदल कर उसका नाम मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने वाले श्री क्रूटिबास पाटाभानी के नाम पर रखने के कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) और (ख) नौसेना प्रशिक्षण स्कूल, चिल्का से स्कूल का का नाम बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु स्कूल का नाम बदल कर क्रूटिबास पाटाभानी नौसेना बाल प्रशिक्षण संस्थान रखने के बारे में उड़ीसा की स्वयंसेवी संस्था से सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था चूंकि स्कूल का वर्तमान नाम नौसेना में तटीय स्थापनाओं के नाम रखने के बारे में निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार रखा गया है इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

**Construction of National Highway through Bhagalpur City**

1222. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government had a proposal to construct a national highway passing through Bhagalpur city;

(b) if so, the reasons for postponing its construction and the present position in this regard;

(c) the measures proposed to be adopted by Government to co pe with the heavy rush of traffic on the narrow road passing through Bhagalpur city; and

(d) whether Government propose to take up the construction work of this important road during Sixth Plan?

**Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Bhagalpur city falls on a State road and the State Government are, therefore, concerned in the matter.

**Radio Stations at Bhagalpur Darbhanga and Ranchi**

1223. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state whether Government propose to reorganise the consultative committee of All India Radio in consultation with the Chancellor of the University Members of Parliament and Legislatures of the district and local artists?

**Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani)** There is no consultative Committee for All India Radio. However, the programme Advisory Committees attached to AIR Stations at Bhagalpur, Darbhanga and Ranchi are being reconstituted in consultation with the State Governments. Bhagalpur being an auxiliary Station of A.I.R. Patna it is proposed to have single Programme Advisory Committee for A.I.R. Patna– Bhagalpur. Ranchi will have a separate Programme Advisory Committee. Director General, All India Radio, has been advised to recommend panels keeping into view the various interests and representation for specialisation. Members of Parliament/State Legislators ar- being considered not so much in their legislative capacity but on the basis of their specialisation or representative nature in regard to any particular section of the audience. Further he/she should be either resident or representative of the area for which the committee is being constituted.

**जनता पर टेलीविज़न के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र**

1224. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जनता पर टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा समय-समय पर कोई सर्वेक्षण किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी)** : (क) जी, हां।

(ख) छः दूरदर्शन केन्द्रों, अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और श्रीनगर के अपने अपने श्रोता अनुसन्धान एकक हैं जो इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लगातार पोषित करते हैं। इसके साथ साथ उपग्रह विभाग की श्रोता अनुसंधान टीम जयपुर, रायपुर, हैदराबाद, गुलबर्गा और अहमदाबाद में उत्तरवर्ती साइट केन्द्रों को भी पोषित करती है।

(ग) श्रोता अनुसंधान के सर्वेक्षण का कार्य सदा चलता रहता है। कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण, जो सेवा की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं, जब तक किए जाते रहे हैं ।

(घ) 1967 से दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र ने विभिन्न कार्यक्रमों पर 40 सर्वेक्षण/अध्ययन किए। इन सर्वेक्षणों में, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन और विभिन्न परिवर्तनों के अनुसार दर्शकों के विचार जानने पर अधिक बल दिया गया है।

**टेलीविज़न विज्ञापनों के माध्यम से हुई आय**

1225 **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान महीने वार दिल्ली में टेलीविजन पर विज्ञापनों के कारण कितनी आय हुई।

(ख) कितने-कितने समय के लिए टेलीविजन विज्ञापनों की दरें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या जनता पर टेलिविजन विज्ञापन के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी)** : (क) 1978 में दिल्ली दूरदर्शन द्वारा अर्जित किया गया कुल राजस्व निम्नवत् है :—

| | |
|---|---|
| जनवरी, 1978 | 8,00,700 रुपए |
| फरवरी, 1978 | 7,00,000 रुपए |

ये आंकड़े वास्तविक प्रसारण समय के साथ सामजंस्य के अनुरूप हैं। फरवरी, 1978 के मास के लिए आंकड़े अनुमानित हैं।

(ख) सूचना-परिशिष्ट 1 से 5 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1659/78]

(ग) और (घ) दर्शकों पर टेलीविजन विज्ञापनों के प्रभाव का अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, टेलीविजन विज्ञापनों से सम्बन्धित करों के स्वरूप की समीक्षा करने हेतु मई, 1978 में एक विस्तृत सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

## हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित्त घड़ियां

1226. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रत्येक यूनिट में 1978 के दौरान बनाई जाने वाली प्रत्येक प्रकार की घड़ियों की संख्या कितनी होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में तथा विदेशों में एच०एम०टी० की घड़ियों की भारी मांग है ;

(ग) इस समय देश में तथा विदेशों में पृथक-पृथक कितनी घड़ियों की मांग है ;

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ङ) एच०एम०टी० की घड़ियों की मांग कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) मूलतः एच०एम०टी० द्वारा चार प्रकार की घड़ियां बनाई जाती हैं।

1. हाथ से चाबी दी जाने वाली, पुरुषों के लिए
2. हाथ से चाबी दी जाने वाली, महिलाओं के लिए
3. स्वचालित
4. ब्रेल घड़ियां, अंधों के लिए।

अप्रैल, 1977—जनवरी, 1978 के दौरान एच०एम०टी० द्वारा बनाई गई घड़ियों, प्रकार-वार, की संख्या निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| हाथ से चाबी दी जाने वाली (पुरुष) | 10,80,330 |
| हाथ से चाबी दी जाने वाली (महिला) | 2,02,324 |
| स्वचालित | 1,03,670 |
| ब्रेल घड़ियां | 840 |
| योग | 13,87,164 |

(ख) जी, हां ।

(ग) देश में घड़ियों की मांग 50-60 लाख के बीच होने का अनुमान है। विदेशों में एच०एम० टी० की घड़ियों की मांग का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि वस्तुतः एच०एम०टी० घड़ियों का समूचा उत्पादन देश की मांग पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(घ) देश की मांग पूरी करने के लिए एच०एम०टी० की घड़ियों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु आयात करने की अनुमति दी गई है। एच०एम०टी० घड़ी उत्पादन का 10 लाख से 30 लाख तक विस्तार करने की स्वीकृति दी गई है । अतिरिक्त उत्पादन कर्नाटक राज्य में तुमकुर में स्थापित किए जा रहे एकक में प्रारम्भ किया जायेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किये जा रहे एच०एम०टी० की सहायता प्राप्त 14 रक्षित वाच असेम्बली एककों में घड़ियां जोड़ी जायेंगी।

(ङ) एच०एम०टी० की घड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना के 1981-82 से पूर्ण रूप से चालू होने की आशा है और एच०एम०टी० इससे घड़ियों की अतिरिक्त मांग को पर्याप्त रूप से पूरी करने में समर्थ होगा।

**नेशनल कैडेट कोर को सेना अधिनियम के अधीन लाना**

1227. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कैडेट कोर को सेना अधिनियम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सेना अधिनियम के अंतर्गत नेशनल कैडेट कोर को क्या लाभ होगा ;

(घ) नेशनल कैडेट कोर को सेना अधिनियम के अंतर्गत कब तक लाया जाएगा; और

(ङ) नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों की संख्या कितनी है जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाये जाने हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)** (क) से (ङ) : राष्ट्रीय कैडेट कोर के कमीशन प्राप्त अफसरों के कुछ वर्गों पर अनुशासन के उद्देश्य से सेना अधिनियम की कुछ धाराओं को लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस बारे में ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं। इस समय यह बताना भी संभव नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कैडेट कोर को क्या लाभ होगा और इसे कब से लागू किया जाएगा। किसी भी कैडेट को सेना अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा । इन पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम तथा नियम पूर्ववत् लागू रहेंगे।

**त्रिपुरा को विभिन्न योजनाबद्ध परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन**

1228. **श्री समर मुखर्जी :**

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान त्रिपुरा सरकार को राज्य में विभिन्न योजनाबद्ध परियोजनाओं के लिए कुल कितना धन आबंटित किया गया तथा उसने कितना व्यय किया ;

(ख) क्या सरकार त्रिपुरा के पिछड़ेपन और वर्षों से शरणार्थियों की संख्या में हुई पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त धन का आबंटन करने की आवश्यकता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) 1973-78 के पिछले पांच वर्षों में, त्रिपुरा के लिए 65.36 करोड़ रु० के योजना परिव्यय अनुमोदित किए गए थे, जिनके मुकाबले निम्नलिखित रूप में संभावित व्यय 63.65 करोड़ रु० का होगा :

(करोड़ रु०)

| वर्ष | अनुमोदित परिव्यय | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|
| 1973-74 | 12.00 | 11.26 |
| 1974-75 | 10.48 | 9.49 |
| 1975-76 | 12.03 | 12.23 |
| 1976-77 | 15.07 | 14.06 |
| 1977-78 | 15.78 | 16.61 (प्रत्याशित) |
| जोड़ | 65.36 | 63.65 |

(ख) और (ग) राज्य के अपेक्षित पिछड़ेपन सहित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध संसाधनों में से योजना आवंटन किये जाते हैं।

**विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में अपराध**

1229. **श्री भगत राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ क्षेत्र में हत्या डाका, चोरी और दंगों की कितनी घटनाएं हुईं।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**Functioning of News Agencies**

1230. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have laid down any policy or put forth any conditions before four news agencies to ensure that these agencies function independently; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of the heads of these agencies thereto?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani)** : (a) and (b) The Government's attitude towards the news agencies which will come into being on the split up of Samachar has been explained in the statement made in the Lok Sabha/Rajya Sabha on 14-11-77, a copy of which is enclosed.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1660/78].

**ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा लिली बिस्कुट कम्पनी लि० को अपने अधिकार में लेने के लिए अनुमति**

1231. **श्री शरद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एक एकक ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता ने भारतीयों के सम्पूर्ण स्वामिस्वाधीन उद्योग लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता को अपने अधिकार में लेने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लिली बिस्कुट कम्पनी, कलकत्ता ने प्रभुत्व प्राप्त इस बहुराष्ट्रीय एकक के इस इरादे के विरुद्ध भारत सरकार से संरक्षण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता के भारतीय स्वामियों को इस कम्पनी के चलाने में सरकार किस प्रकार अधिकाधिक सहायता देने का विचार कर रही है

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) और (ख) मेसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लिमिटेड ने मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लि० कलकत्ता के अपने साथ विलयन के बारे में एक पत्र भेजा है। इस पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि मेसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लि० के कर्मचारी संघ ने इस अनुरोध के साथ मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लि० से सम्पर्क स्थापित किया है कि मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लि० को हाथ में लेकर कर्मचारियों को उनकी निरन्तर चलने वाली कठिनाइयों से बचाया जाये।

(ग) और (घ) मैसर्स लिली विस्कुट कम्पनी प्राइवेट लि० कलकत्ता के शेयरधारियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा उद्योग का अस्तित्व बनाये रखने हेतु इस कम्पनी की सहायता करने और इस उद्योग को पुनः जीवित करने का अनुरोध किया गया है। यथासमय इस संबंध में निर्णय लेते समय इस पर विचार किया जायेगा।

**आयुध कर्मचारी संघ, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) की मांगों के बारे में निर्णय**

1232. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा** मंत्री आयुध कर्मचारी संघ, अम्बरनाथ, की महासभा की वार्षिक बैठक में पारित संकल्प के बारे में 16 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध कर्मचारी संघ, अम्बरनाथ, थाना जिला (महाराष्ट्र) द्वारा 5 जून, 1977 को महासभा की वार्षिक बैठक में पारित संकल्प में की गई विभिन्न मांगों, विशेषकर निम्नलिखित मांगों (एक) प्राथमिक पाठशाला का दर्जा बढ़ाने (दो) निचली श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए

पदोन्नतियों के अवसर: (तीन) कारखाने के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और (चार) आयुध कारखाने के कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांगों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)**: (क) से (ग) निम्नलिखित मांगों के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

**(1) प्राइमरी स्कूल का विस्तार**

शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो आर्डनेंस कारखानों के स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के बारे में सिफारिश करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

**(2) निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर**

निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

**(3) कारखानों के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करना**

कारखाने के विभिन्न अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने और चिकित्सा सुविधाए बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अम्बरनाथ फैक्टरीज की जरूरत पर 1978-79 में अस्पताल के लिए अतिरिक्त बिस्तरों की मंजूरी देते समय विचार किया जाएगा।

**(4) आर्डनेन्स फैक्टरी की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलना**

वर्ष 1978-79 में विभिन्न रक्षा संगठनों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है।

**भारतीय समवक्षन कामगर संघ, सी० ओ० डी०, पुणे की मांगे**

1233. **श्री आर० के० महालगी**: क्या रक्षा मंत्री भारतीय समवक्षन कामगार संघ, पूणे से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 23 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय समवक्षन कामगर संघ सी० ओ० डी० देहू, पुणे (महाराष्ट्र) के अगस्त अथवा सितम्बर के अभ्यावेदन में की गई मांगो, विशेषकर निम्नलिखित चार मांगों पर यथा (एक) डिपो के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने में प्राथमिकता देने; (दो) आपात स्थिति के दौरान सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को बहाल करने (तीन) कारखाना अधिनियम के अधीन समयोपरी भत्ता देने तथा (चार) चोरियों के मामलों की जांच, पर अब कार्यवाही क्या है;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही तथा लिये गये निर्णय का स्वरुप क्या है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** (क) से (ग) सरकार ने इन मांगों पर विचार किया था। चार मांगों के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**(1) डिपो के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में प्राथमिकता**

इस मांग के अखिल भारतीय प्रकृति के होने के कारण इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना था। गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग ने इस पर विचार करने के बाद बताया कि सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

**(2) आपातकालीन स्थिति के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली**

जिन कर्मचारियों की सेवाएं पिछली आपातकालीन स्थिति के दौरान समाप्त कर दी गई थी उनमें से 7 मामलों पर पुनर्विचार पूरा कर लिया गया है। यह पाया गया है कि इन मामलों में की गई कार्रवाई नियमानुसार ठीक थी। इसलिए इन कर्मचारियों को सेवा में वहाल नहीं किया जा सकत। अन्य कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा है।

**(3) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत समयोपरि भत्ते की सहायता**

यह मामला संबंधित लेखा परीक्षा प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। कारखाना अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अब कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मिल रहा है।

**(4) चोरी के मामलों की जांच**

यह मामला अभी विचाराधीन है।

**महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधि**

1234. **श्री आर० के० महालगी :** क्या ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में 14 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 15 हजार विद्युत रहित गांवों के विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को तथा महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को कुल कितनी अग्रिम राशि दी गई ;

(ख) क्या इस बात की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था है कि दी गई अग्रिम राशि का उचित उपयोग हुआ तथा निर्धारित तिथियों तक वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था ने क्या निष्कर्ष निकाले ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए निधियों के श्रोतों में से एक श्रोत ग्राम विद्युतीकरण निगम है। ग्राम विद्युतीकरण निगम केवल राज्य बिजली बोर्डो को ही ऋण देता है। 1974-75 से 1976-77 तक की अवधि के दौरान निगम ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को, किस्तों में, 12.81 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए हैं।

(ख) उक्त विगम की प्रणाली यह है कि निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजना का साथ ही साथ मानोटिरिंग आवधिक रिपोर्टों के जरिए तथा क्षेत्रों का दौरा करके किया जाता है।

(ग) निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का 30 सितम्बर, 1977 तक का कार्यनिष्पादन, विमोचित राशि के समुपयोजन तथा लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति दोनों ही दृष्टियों से नीचे दिया गया है :—

**ऋण राशि का समुपयोजन**

| | |
|---|---|
| 30-9-1977 तक विमोचित ऋण-राशि | 31.26 करोड़ रुपये |
| 30-9-1977 तक हुआ व्यय, जो सूचित किया गया | 31.00 करोड़ रुपए |

**लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति :—**

| | सोपानबद्ध लक्ष्य | 30-9-1977 तक प्राप्ति |
|---|---|---|
| विद्युतीकृत किए गए गांव | 4,946 | 3,769 |
| ऊर्जित किए गए पम्प सेट | 43,114 | 30,032 |
| एल टी/कृषि उद्योग | 4,534 | 3,495 |

**समाचार एजेंसी पद्धति के परिपालन की लागत**

1235. **श्री यशवंत वोरोले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचारपत्रों के कर्मचारियों की विभिन्न प्रतिनिधि निकायों तथा विभिन्न यूनियनों ने आग्रह किया है कि ऐसा आधार बनाया जाये जिस पर समाचार एजेंसी पद्धति के परिचालन की लागत विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा वहन की जाये ;

(ख) क्या कोई सिद्धान्त जिन पर एक समाचार एजेंसी संगठित की जाये, भी बनाने का आग्रह किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी)** : (क) ऐसी कोई सूचना मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**U.P. Government's request for cancellation of letters of indent to big industrialists for production of consumer goods**

**1236. Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) whether the Uttar Pradesh Government have requested the Central Government to cancel the letters of intent given to the big industrialists for production of consumer goods; and

(b) if so, the decision taken by the Central Government thereon?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Industrial centres at District Headquarter**

**1237. Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an industrial centre at each district headquarter; and

(b) if so, when?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) Yes, Sir.

(b) It is phased programme. Initially it is proposed to cover the Rural Industries Projects districts and progressively extend the scheme to all the districts in the Country.

**भारतीय सेना के लिए युद्ध टैंक का विकास**

1238. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के लिये लड़ाकू वाहन अनुसंधान विकास द्वारा विश्व के अन्य टैंकों के मुकाबले का एक युद्ध टैंक बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं। सेना द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाए गए युद्ध टैंक का लड़ाकू वाहन अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान आवाडी, मद्रास में विकास किया जा रहा है।

**जनरल मैनेजर, राइफल फैक्टरी, ईशापुर द्वारा गैर-सरकारी डीलरों को शस्त्रों तथा गोला-बारूद की बिक्री**

1239. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री जनरल मैनेजर, राइफल फैक्टरी, ईशापुर द्वारा गैर-सरकारी डीलरों को शस्त्रों तथा गोला बारूद की बिक्री के बारे में 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9909 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक के सभी सौदों के बारे में जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) उक्त सौदों से फैक्टरी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या गोलाबारूद के इन डीलरों को अभी भी सप्लाई अन्य फर्मों के माध्यम से की जाती है अथवा सीधी की जाती है ;

(ङ) उक्त कारखानों के इस प्रकार के मनगढ़न्त सौदों का पता लगाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को क्या इनाम दिया गया है ; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)**: (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता इस मामले में अभी जांच पड़ताल कर रहा है, और अभी तक कोई भी वसूली नहीं की गई है।

(घ) इन व्यापारियों को कोई सप्लाई नहीं की जा रही है। इस समय लागू बिक्री प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को सप्लाई किए जाने पर भी प्रतिबंध है।

(ङ) और (च) इन सौदों का पता रक्षा लेखा नियन्त्रक के लेखा कर्मचारियों द्वारा अपनी सामान्य ड्यूटी के दौरान लगाया गया था और किसी कर्मचारी को कोई इनाम नहीं दिया गया है।

**R.B.H.M. jute Mill private limited, Katihar**

1240. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have considered the question of taking over and running the R.B.H.M. Jute Mill Private Ltd. Katihar (Bihar) which has been lying closed down for two years; and

(b) if so, when Government will take over and run this mill and if not, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) and (b) Government of India is actively considering the question of reopening of R.B.H.M. Jute Mill. It is estimated that about Rs. 10.5 crores would be required for making this mill a viable unit. The latest position is that two alternative proposals have been furnished to the Government of Bihar for their consideration :

(i) The State Government should provide Rs. 3.5 crores by way of equity participation, retention of Sales Tax, etc. to enable financial institutions to provide the balance amount for modernisation and reopening of this unit;or

(ii) The State Government may consider expanding Katihar Jute Mill which is located in the same area. The expansion of this jute mill would involve considerably lesser input of funds while ensuring absorption of the workers thrown out of employment by the closure of R.B.H.M. Jute Mill.

Further action in the matter will depend on the reaction of the State Government.

**आकाशवाणी में कार्य गृह तथा परिवार कल्याण यूनिटों की कुल संख्या**

1241. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी में फार्म, गृह तथा परिवार कल्याण यूनिटों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) इन यूनिटों में कुल कितने फार्म रेडियो अधिकारी, परिवार कल्याण अधिकारी, फार्म रेडियो रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर और फील्ड असिस्टेंट काम कर रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** :

(क) : फार्म तथा गृह यूनिटें . . . . . 49
परिवार कल्याण यूनिटें . . . . . 36

(ख) : फार्म रेडियो अधिकारी . . . . . 46
फार्म रेडियो रिपोर्टर . . . . . 57
फील्ड एसिस्टेंट . . . . . 17
विस्तार अधिकारी . . . . . 17
फील्ड रिपोर्टर . . . . . 34

| (ग) : | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति |
|---|---|---|
| फार्म रेडियो अधिकारी . . | 5 | 2 |
| फार्म रेडियो रिपोर्टर . . | 5 | 5 |
| फील्ड एसिस्टैंटस . | — | — |
| विस्तार अधिकारी . | 3 | 1 |
| फील्ड रिपोर्टर . . | 4 | 1 |

**आकाशवाणी और दूरदर्शन के लेखा विभाग में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या**

1242. **श्री नवाब सिंह चौहान:** क्या **सूचना और प्रासरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रशासनिक अधिकारी (कनिष्ठ तथा वरिष्ठ) इन्सपैक्टर आफ एकाउण्टस हैडक्लर्क, एकाउन्टैंट, सीनियर स्टोर कीपर के पदों पर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों की संख्या क्या थी?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) : वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी . . . | 11 | | |
| कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी . . . | 41 | | |
| लेखा निरीक्षक . . . . | 4 | | |
| हैडक्लर्क/लेखाकार/वरिष्ठ स्टोर कीपर . . | 240 | | |
| श्रेणी | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन-जाति | |
| (ख) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी . | — | — | |
| कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी . . | — | — | |
| लेखा निरीक्षक . . . | — | — | |
| हैडक्लर्क/लेखाकार/स्टोर कीपर . . | 28 | 6 | |

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों का असन्तोषप्रद कार्य-निष्पादन**

1243: **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन संचालित कुछ कपड़ा मिलों के असन्तोषप्रद कार्यकरण के बारे में सरकार को समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या खराब कार्य निष्पादन के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कुछ कपड़ा मिलों को बन्द करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, ऐसी कपड़ा मिलों के क्या नाम है और उक्त मिलों के श्रमिकों और कर्मचारियों को अपने अधीन लाने के बारे में क्या निर्णय किया जायेगा ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :** (क), (ख), (ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के समग्र कार्यनिष्पादन में कुछ सुधार हुआ है। कुछ मिलें निगम के घाटे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इस समय मिलों के कार्यकरण का अध्ययन किया जा रहा है ताकि

इस स्थिति के लिए जिम्मेदार तथ्यों का पता लगने की दृष्टि से किया जा रहा है अध्ययन पूरा हो जाने के बाद सुधार क अभ्युपाय किये जा सकते हैं ।

**टुथपेस्ट, साबुन, दियासलाई, जूते तथा बिजली के उपकरण बनाने के लिए नये एकक**

1244. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टुथपेस्ट, साबुन, दियासलाई, जूते, बिजली के उपकरण जैसी उपभोक्ता वस्तुएं किस वर्ष में लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित रखी गई थीं और आरक्षण के वर्ष के बाद इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये कितने नये एकक स्थापित किये गये और आरक्षण के वर्ष के बाद लघु क्षेत्र में इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे बढ़ा है;

(ख) कौन सी बड़ी कम्पनियां, एकाधिकार गृह और विदेशी कम्पनियां इन वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं और आरक्षण के वर्ष में इस क्षेत्र का कितना अंश था और लगाई गई पूंजी और कुल उत्पादन के संदर्भ में उसके बाद से उनका अंश कितना बढ़ा है; और

(ग) 1967 और 1977 के बीच आरक्षित 182 वस्तुओं के संबंध में लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में बड़े उद्योग कैसे अपना उत्पादन बढ़ा पाए हैं तथा आरक्षित लघु क्षेत्र के भावी विकास हेतु 504 वस्तुओं की बढ़ी हुई सूची के संबंध में ऐसी स्थिति की रोकथाम करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) (1) आरक्षण का वर्ष (2) लघु क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र के आरक्षण से पहले/आरक्षण के समय तथा आरक्षण के पश्चात् उत्पादन और उनका वर्तमान उत्पादन जहां तक उपलब्ध है, (3) आरक्षण के पश्चात् स्थापित किये गए लघु क्षेत्र एककों की संख्या तथा, (4) टुथपेस्ट, कपड़े धोने का साबुन, दियासलाई, चमड़े के जूते तथा बिजली के घरेलू उपकरण के संबंध में बड़ी कम्पनियों/गृहों/विदेशी कम्पनियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयत एककों द्वारा उत्पादन सूचित किये जाने की एक सामान्य प्रणाली पर राज्य के उद्योग निदेशक के कार्यालय में पंजीयत लघु उद्योगों के संबंध में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है । इसी प्रकार अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में लगाई गई पूंजी के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि अनेक मामलों में कंपनियां अनेक उत्पादों का उत्पादन करने वाले एकक है ।

लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन बड़े क्षेत्र में निम्नलिखित ढंग से विनियमित किया जाता है :—

(क) (1) पहले से लाइसेंसीकृत एककों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(2) यदि किसी वस्तु को औद्योगिक लाइसेंसीकरण प्रक्रिया से छूट दी गई है और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है, यदि उद्यमी ने आरक्षण की तारीख से पहले प्रभावी कदम उठा लिए हैं । उत्पादन आरम्भ कर दिया है तो कार्य चालू रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है ।

(ख) (1) रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट रखने वाले सभी औद्योगिक उपक्रमों से कहा गया है कि व अपने प्रमाणपत्र उत्पादन क्षमता पृष्ठांकित करने के लिए भेजें।

(2) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के लिए नये औद्योगिक लाइसेंस अब जारी नहीं किये जाते जब तक कि प्रस्ताव निस्तर आधार पर 100 प्रतिशत माल निर्यात करने के लिए न हो।

23 दिसम्बर, 1977 को दिये गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां बड़े क्षेत्र के एकक चाहे वे बड़े घरानों से संबंधित हों अथवा नहीं हों लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हुए हैं उनको अपनी क्षमता में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**विवरण**

| लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं | आरक्षण का वर्ष | आरक्षण के बाद स्थापित किए गए लघु एककों की तकरीबन संख्या | आरक्षण से पहले आरक्षण के समय का तकरीबन उत्पादन | | | उत्पादन 1976/1977 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लघु एकक | एककों की संख्या | उत्पादन | लघु एकक | एककों की संख्या | उत्पादन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-क | 5-ख | 6 | 7-क | 7-ख |
| | | | प्रत्येक डिब्बी में 50 तिलियों वाली | | प्रत्येक डिब्बी में 50 तिलियों वाली | प्रत्येक डिब्बी में 50 तिलि वाली | | प्रत्येक डिब्बी में 50 तिलियों वाली |
| दियासलाई | 1967-68 | 2,000 | 33170 लाख डि० | 5 | 42190 लाख डि० | 84030 लाख डि० | 5 | 36340 लाख डि० |
| चमड़े के जूते | 1967-68 | 2,000 | 13515 लाख जोड़े | 12 | 1785 लाख जोड़े | 25572 लाख जोड़े | 8 | 1828 लाख जोड़े |
| लाण्डरी सोप | 1-4-1967 | 2,000 | उपलब्ध नहीं | 34 | 149,532 मि० टन | उपलब्ध नहीं | 33 | 1,63,855 मि० टन |
| टूथ पेस्ट | 18-2-1970 | 10 | ,, | 7 | 4864 मी० टन | ,, | 7 | 6917 मी० टन |
| घरेलू प्रयोग में आने वाले बिजली के सामान | 1967-68 (प्रेस टिप्पणी में 29-7-75 को एक सूची घोषित की गई थी | 270 | ,, | — | — | ,, | — | — |

टिप्पणी :—कालम 5 (क) और 7 (क) में विदेशी कंपनियों व बड़े गृहों से संबंधित एकक शामिल

**"एम० वी० चन्द्रगुप्त" जहाज के डूब जाने के बारे में अदालती जांच**

1245. **श्री शरद यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछली जनवरी में होनोलूलू से या उसके निकट भारतीय जहाज रानी निगम के एक भारवाही जहाज "एम० वी० चन्द्रगुप्त" के डूब जाने की परिस्थितियों की हाल में अदालती जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और जांच समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) अदालती जांच का आदेश देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार इस मामले में अमरीका सरकार तथा अन्यों से उचित सहायता प्राप्त करने में असफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 8 फरवरी, 1978 को व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 361 और 358 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 360 के अधीन उन परस्थितियों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं जिन के कारण व्यापार पोत 'चन्द्र गुप्त' प्रशान्त महासागर में लापता हो गया । बम्बई के अतिरिक्त चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट श्री ए०सी०बी० वेलकर जांच करेंगे ।

(ग) कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**विदेशियों द्वारा सिक्किम की यात्रा**

1246. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विदेशियों की सिक्किम राज्य की यात्रा पर लगे प्रतिबन्धों में और आगे छूट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस छूट के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या बढ़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन महीनों में इस राज्य में कुल कितने तथा किन-किन देशों के पर्यटक आए ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विदेशी पर्यटकों को केवल गंटोक की यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी; उन्हें फो डांग और रमटेक की भी यात्रा करने की अनुमति दी जायगी । उस अवस्था में परमिट को 2 दिन के बजाय 4 दिन के लिए वैध बनाया जाएगा । 20 व्यक्तियों तक के संगठित वर्गों में विदेशी पर्यटकों को, जिनका आयोजन मान्यताप्राप्त यात्रा एजेन्टों द्वारा किया जाता है, यात्रा के समय को मिलाकर 10 दिन तक की अवधि के लिए पश्चिम सिक्किम के जोगरी क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी । बशर्ते कि (1) वे बागडोगरा तक विमान से यात्रा करें और यात्रा करने के लिए निर्धारित दो रास्तों में से एक रास्ते का प्रयोग करें, (2) उनके प्रवेश के स्थान से सिक्किम से उनके प्रस्थान के स्थान तक

सिक्किम सरकार द्वारा दिया गया गाइड उनके साथ हो और (3) अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तावित यात्रा की तारीख से कम से कम छ सप्ताह पहले दिया गया हो ।

(ग) तथा (घ) जिन विदेशी पर्यटकों ने नवम्बर, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान सिक्किम की यात्रा की थी उनकी नागरिकता-वार संख्या का विवरण संलग्न है । चूंकि छूट केवल तीन महीने पहले दी गई थी अतः सिक्किम में पर्यटन पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता ।

**विवरण**

| | |
|---|---|
| 1. अमरीकी | 128 |
| 2. आस्ट्रेलियन | 43 |
| 3. ब्रिटिश | 35 |
| 4. फ्रांसीसी | 35 |
| 5. जर्मनी | 87 |
| 6. इटेलियन | 19 |
| 7. जापानी | 37 |
| 8. स्वीस | 28 |
| 9. अन्य | 109 |

**Construction of National Highway from Jhansi to Khajuraho**

†1247. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether in Madhya Pradesh, Khajuraho is an important tourist centre and Orchha is an important tourist as well as a famous pilgrimage place and whether Government propose to construct a national highway from Jhansi to Khajuraho via Orchha to link these important places; and

(b) the action taken for the construction of national highway ?

**Minister of Shipping and Transport : (Shri Chand Ram)** : (a) and (b) The road in question is State road and the State Government are concerned with its construction development. Due to financial constraints and other priorities, Government are unable to declare it as a National Highway.

**अनवरत योजना के पहले वर्ष के लिए राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन**

1248. **श्री चित्त बसु।** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय अनवरत योजना के पहले वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने राज्य की विशेष समस्याओं के संदर्भ में अधिक राशि नियत किए जाने की मांग की है;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे वित्तीय आबंटन के लिए क्या नियम हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विभिन्न राज्यों की 1978-79 की वार्षिक योजनाओं के लिए सहमत परिव्ययों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल की 1978-79 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए, योजना आयोग में जनवरी, 1978 में हुए हाल के विचार-विमर्श के समय पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम शिक्षा, परिवहन, आदि जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक परिव्यय के लिए आग्रह किया था और यह इच्छा प्रकट की थी कि 1978-79 की वार्षिक योजना 390 करोड़ रुपए की हो। तथापि संसाधनों और योजना प्राथमिकताओं, योजना स्कीमों की संभाव्यता आदि पर विचार करते हुए 371 करोड़ रुपए के योजना आकार पर पारस्परिक सहमति हुई थी।

(घ) आवंटन (1) राज्य के अपने संसाधनों और (2) केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करते हैं। केन्द्रीय सहायता, गाडगिल फार्मूले के संदर्भ में अद्यतन परिचालनों के आधार पर आवंटित की जाती है।

**विवरण**

**वार्षिक योजना, 1978-79**

(लाख रुपए)

| राज्य | सहमत परिव्यय |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 44900 |
| 2. असम | 15500 |
| 3. बिहार | 38414 |
| 4. गुजरात | 33500 |
| 5. हरियाणा | 21000 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 17300 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | 10800 |
| 8. कर्नाटक | 30900† |
| 9. केरल | 17600 |
| 10. मध्य प्रदेश | 41300 |
| 11. महाराष्ट्र | 73500 |
| 12. मणिपुर | 2826 |
| 13. मेघालय | 2811 |
| 14. नागालैंड | 2453 |
| 15. उड़ीसा | 19100 |
| 16. पंजाब | 26000 |
| 17. राजस्थान | 23500 |
| 18. सिक्किम | 1580 |
| 19. तामिलनाडु | 30500 |
| 20. त्रिपुरा | 2270 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 75500 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 37140 |
| **जोड़ सभी राज्य** | 558394† |

†कावेरी बेसिन परियोजना के लिए 23 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।

**More Assistance for Tribal Marginal and Small farmers**

1249. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to sitate:

(a) whether any advise has been given by the Central Government to the State Governments for providing more grant and assistance to the tribal marginal and small farmers for agricultural production and other concerned works under the Adivasi-Sub-Plan of the State during 1978-79; and

(b) if so, the details thereof ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a) and (b) The Tribal sub-plans envisage that the weaker groups among the Scheduled Tribes, like small and marginal farmers should be given preference, and the sub-plans and Integrated Tribal Development Projects have been drawn up on this basis. The agricultural and allied sectors have been given priority and against an allocation of Rs. 69.15 crores in the current year, an amount of about Rs. 75 crores has been fixed for the year 1978-79 in the State Sub-Plans for various agricultural programmes, including subsidies to tribals.

**राज्यों में उर्दू को राज्यभाषा का दर्जा दिया जाना**

1250. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में उर्दू को राजभाषा का दर्जा देने का है, जहां काफी संख्या में उर्दू भाषा लोग है; और

(ख) उर्दू भाषा इस्लामिक संस्कृतिक संस्थाओं, मदरसों और मकतवरों के विकास के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** (क) और (ख) : विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

उर्दू जम्मू व कश्मीर में पहले से ही राजभाषा है । सरकारी प्रयोजनों के लिये अल्पसंख्यक भाषाओं की मान्यता के बारे में अगस्त, 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार किये गये मानदण्ड के अनुसार इसे अन्य कहीं भी रजाभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। इन सिफारिशों के अनुसार उस राज्य को एक भाषीय माना जाता है जिसकी 70 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या एक ही भाषा बोलती है और यदि उस राज्य की पर्याप्त जनसंख्या अर्थात् राज्य की जनसंख्या का 30 प्रतिशत या अधिक भाग वास्तव में अल्पसंख्यक वर्ग का है तो ऐसे राज्य को द्विभाषी समझा जाता है । जिला स्तर पर जहां की 60 प्रतिशत जनसंख्या राज्य की राजभाषा से अलग कोई अन्य भाषा बोलती है अथवा उसका प्रयोग करती है तो अल्प संख्यक वर्ग की उस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जानी होती है ।

2. जहां तक उर्दू भाषा की तरक्की और विकास के लिये किये गये उपायों का संबंध है, शिक्षा मंत्रालय ने उर्दू की तरक्की के लिये पहले ही नई दिल्ली में एक ब्यूरो की स्थापना की है ।

3. सरकार ने कुछ समय पहले उर्दू में शिक्षा संबंधी साहित्य का उत्पादन करने के लिये तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की स्थापना की । बोर्ड के कार्याकलापों में शैक्षिक साहित्य, विज्ञान संबंधी पुस्तकों, बाल साहित्य, संदर्भ साहित्य, विश्व कोश, मूल पाठकों आदि का उत्पादन करना शामिल है ।

4. दिल्ली के स्कूलों में उर्दू की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये, बोर्ड (राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से) मिडिल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की पुस्तकों के अनुवाद और प्रशासन का कार्य कर रहा है । जब तक तीस पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकें और पूरक पाठ्य-पुस्तकों) प्राकशित की जा चुकी हैं । हाल ही में बोर्ड ने ऐसी करीब 50 पुस्तकों का उर्दू

में अनुवाद करने से संबंधित कार्य आरम्भ किया है जो कि शिक्षा के नये पैटर्न के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही है । उपर्युक्त के अतिरिक्त बोर्ड ने कई संदर्भ पुस्तकों का काम भी शुरू किया है जिसमें 12 भागों में उर्दू का विश्वकोश, 5 भागों में उर्दू से उर्दू शब्द कोश, पांच भागों में अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश और विद्यार्थियों के लिये एक उर्दू से उर्दू शब्दकोश शामिल है ।

5. चूंकि खुशनवीसी (कैलीग्राफी) उर्दू पुस्तकों की रचना का एक अभिन्न अंग है, इसलिये बोर्ड ने खुशनवीसियों के प्रशिक्षण के लिये दिल्ली, बम्बई और हैदराबाद में तीन खुशनवीसी केन्द्र स्थापित किये हैं, जबकि कला तथा भाषा अकादमी, श्रीनगर और बिहार उर्दू अकादमी को उनके खुशनवीसी केन्द्रों के लिये 50 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है ।

6. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के उर्दू अध्यापक उपलब्ध न होने के बारे में आम शिकायत को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने माध्यमिक अध्यापकों को उर्दू दस महीने का प्रशिक्षण देने के लिये पटियाला में एक क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्थापित किया है । इस योजना के अन्तर्गत, किसी भी विषय के अध्यापक को उर्दू में प्रशिक्षित करके उसे द्विभाषी बनाया जा सकता है । हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, संस्थान ने राज्य में स्कूल स्तर पर उर्दू के अध्ययन की सुविधा के लिये मई, 1973 में सोलन में एक केन्द्र स्थापित किया जिसमें तीन वर्षों की अवधि में 500 उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान स्कूल स्तर के उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये अपनी गतिविधियों को और तेज कर सकता है ।

7. भारतीय भाषाओं की तरक्की के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना के अधीन, सरकार स्वैच्छिक संगठनों और/अथवा व्यक्तियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में संदर्भ पुस्तकें, सांस्कृतिक , साहित्यिक, भारत विद्या, भाषा संबंधी तथा वैज्ञानिक विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकें प्रकाशित करने तथा भारतीय भाषायें पढ़ाने के लिये जिनमें उर्दू भी शामिल है, अनुदान देती है ।

8. इसके अतिरिक्त, अबुल कलाम आजाद आरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (हैदराबाद), इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इस्लामिक स्टॅडीज , तुग़लकाबाद (नई दिल्ली), उर्दू लाइब्रेरी आफ उड़ीसा (कटक), फज़ल आलम लाइब्रेरी (इलाहाबाद) तथा मुस्लिम यूथ मजलिस लाइब्रेरी, कादायनालूर, (तमिलनाडू) जैसी विभिन्न इस्लामिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्त-सहायता प्रदान की जा रही है । दैरातुल-मारीफ-इल-उस्मानिया (हैदराबाद) को भी आवर्ती सहायता दी जा रही है जो कि पुरानी अरबी पाण्डुलिपियों को सम्पादित तथा प्रकाशित करती है ।

9. सरकार ने अरबी तथा फारसी के अध्ययन में लगे हुए परम्परागत संस्थाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां देने के लिये एक योजना भी बनाई है ।

10. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति और बाल साहित्य समेत विभिन्न विषयों पर उर्दू में भी पुस्तकें प्रकाशित करता है और आगे भी करता रहेगा । जनवरी, 1978 तक, न्यास ने उर्दू में 155 पुस्तकें प्रकाशित की हैं ।

11. उर्दू को उचित महत्व और प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है ।

## गांवों में विद्युतीकरण

1251 **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि गांवों के विद्युतीकरण के लिये लगभग 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह अनुमान राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा बनाये गये भावी योजना प्रस्तावों के आधार पर लगाये गये हैं ;

(ग) ऐसे राज्य कौन से हैं जिन्होंने अपने यहां के सभी गांवों में बिजली लगा दी है ;

(घ) क्या 17 राज्यों ने केन्द्र को अपने प्रस्ताव शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिये भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) वर्ष 1978-79 में और छठी योजना में केन्द्रीय सरकार ने कितने राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण करने का निर्णय किया है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया है इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

(ग) पंजाब तथा हरियाणा राज्यों ने और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों के सभी गांव विद्युतीकृत कर दिये हैं ।

(घ) 18 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने अपने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिये भावी योजनायें बनाई हैं । यह लक्ष्य पूरा किये जाने की अवधि 1983-84 और 1994-95 के बीच भिन्न-भिन्न है । उन्होंने इस कार्यक्रम के लिये 3,360 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ।

(ङ) आगामी पांच वर्षों की अवधि में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में काफी वृद्धि करने का विचार है ।

(च) वर्ष 1978-79 में और परवर्ती पंचवर्षीय अवधि के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलते रहेंगे ।

## केरल में मौन घाटी योजना

1252. **श्री वयालार रवि:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में मौन घाटी परियोजना की योजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) सरकार का यह काम कब शुरू करने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) से (ग) साइलैंट घाटी परियोजना प्रथमत: फरवरी, 1973 में 2,448 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई थी (इसमें पारेषण कार्य भी शामिल था) । तदनन्तर, केरल सरकार ने इस परियोजना के क्षेत्र और अभिकल्प के संबंध में कुछ संशोधनों के सुझाव दिये थे और अक्तूबर, 1977 में राज्य प्राधिकारियों ने योजना के संशोधित क्षेत्र के बारे में 4,080 लाख रुपये की राशि की लागत का संशोधित अनुमान भेजा था (इसमें पारेषण शामिल नहीं है)। परियोजना के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि आगे तकनीकी जांच कराने के लिये एक संशोधित रिपोर्ट भेजें ।

2. इस परियोजना को हाथ में लेने के प्रसंग में इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति की सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता का प्रश्न भी उठाया गया और अभी तक इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

3. उपर्युक्त तकनीकी और प्राकृतिक स्थिति संबंधी पहलुओं पर स्वीकृति दिये जाने के बाद ही इस संशोधित परियोजना पर काम शुरू किया जा सकता है ।

**Candidates from Public Schools in IAS Examinations**

1253. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the average percentage of students of Public Schools who appeared for the Indian Administrative Service Examinations during the last five years?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil)** : The Union Public Service Commission who conduct the I.A.S. etc. Examination have stated that there was no provision in the Application Form for the Examinations held during the last five years requiring the applicant to indicate whether he had studied in a public school or not. However, during the past few years, the Commission has been eliciting through a questionnaire, background information about the candidates appearing for the personality test, in order to conduct a socio-economic survey of the candidates who finally qualify for appointment. The results of the socio-economic survey conducted by the Commission of the candidates who successfully competed for appointment to I.A.S. and Indian Foreign Service in 1973, 1974 and 1975, are indicated in paragraph 8 of the Commission's 26th Annual Report for the year 1975-76, copies of which were placed on the Table of the House on the 21st June, 1977.

**Rehabilitation of Inhabitants of Car Nicobar**

1254. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to rehabilitate the inhabitants of Car Nicobar in Hat Bay (Little Andaman) and if so, when and by whom the decision was taken, as also the reasons therefor;

(b) the acreage of land Government have since decided to provide for the rehabilitation of the said people and the present value of the forest wealth on the said land; and

(c) the number of such precedents during the past of providing land and other facilities free of cost to the citizens of the country in the name of rehabilitation in which there was no case of damage having been caused to their former residences?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a), (b) and (c) An area of 500 acres has been reserved *in* Little Andaman for allotment to Nicobarese from the neighbouring islands particularly Car Nicobar. The decision was taken by the Central Coordination Committee for Andaman and Nicobar Islands in March, 1972. It was felt that Car Nicobar was over-populated and there was need for shifting some of the families to other islands. The value of forest on these lands will be around Rs. 30 lakhs. Commercial timber is however being removed by the Forest Department before handing over lands to Nicobarese.

**Enforcement of Central Laws in Sikkim**

1255. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the laws of the country are not being fully enforced in Sikkim up till now and if so, whethe r Government are taking any steps to ensure the enforcement by the Sikkim Government of all the Central Laws made by the Parliament under the Constitution of India from time to time;

(b) whether it is a fact that the old laws of Sikkim are still being enforced there as before the merger of the State with India; and

(c) if so, the steps being taken to enforce all the Indian laws in Sikkim by repealing the pre-merger laws there?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a) to (c) The constitutional position of laws in relation to Sikkim is defined in Article 371F. Clause (n) of this article lays down that the President may extend to the State of Sikkim with such restrictions or modifications as he thinks fiit any enactment which is in force in a State in India and clause (k) of the same article lays down that all laws in force in Sikkim immediately before the merger shall continue to be in force there in until amended or repealed by competent Legislature or other competent authority. Having regard to this position, the need for extension to Sikkim of laws in force in the rest of the country had been examined initially at the time of merger and is being continuously examined in the light of the special requirements of the State; and as many as 75 Central enactments have already been extended to the State of Sikkim. The question of extension of other Central enactments is currently under examination in consultation with the State Government and as and when necessary, more laws would be extended. While total repeal of all old State laws is not envisaged, whenever extension of any Central law to Sikkim on a subject on which there is already a corresponding State law in force, is considered, the need for the repeal of the relevant State law, is also examined.

**कपड़ा विभाग की मिश्रित हथकरघा कपड़ा बनाने की योजना**

1256 : **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा विभाग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने कुछ चुने हुए राज्यों में मिश्रित हथकरघा कपड़ा बनाने की बृहद योजना प्रस्तुत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) वह कब लागू हो जायेगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Proposal to amend Commission of Inquiry Act**

1257. **Shri Aghan Singh Thakur** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend Commissions of Inquiry Act with a view to give an Enquiry Commission the right to take action against the persons levelling charges against the Enquiry Commission; and

(b) if not, the legal provision for taking action against such persons?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a) and (b) Under the existing Section 10A of the Commissions of Inquiry Act, 1952, penal provisions obtain for acts calculated to bring the Commission or any member thereof into disrepute.

**मद्रास में बन्दरगाह तथा गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल**

1258. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

**श्री के० ए० राजन :**

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बन्दरगाह के बन्दरगाह और गोदी कर्मचारी 31 जनवरी, 1978 को हड़ताल पर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये थे?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, हां। कर्मचारियों के एक वर्ग ने कुछ घंटों के लिये काम करना बन्द कर दिया।

(ख) काम का रोका जाना बाढ़ पीड़ित कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की राशि वापस करने में विलम्ब होने के विरोध में था। पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि मामला संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जायेगा, कर्मचारियों ने पुनः कार्य करना शुरू कर दिया। जिन कार्मचारियों को बाढ़ से प्रभावित प्रमाणित किया गया, उनके खाते में जमा राशि 14-2-1978 को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने वापस की है और वह अब संबंधित कर्मकारों को दे दी गई है।

## Report of National Police Commission

1259. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
**Shri G.Y. Krishnan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received a report of the National Police Commission;

(b) if so, the main points suggested in the report; and

(c) the action taken by Government thereon?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

## अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में वृद्धि

1261. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश प्रशासन ने राज्य में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में अचानक वृद्धि की बात केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बुराई को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## सेंसर के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1262. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसरकर्ताओं को जारी किये गये 10 सूत्री मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसे कब से लागू किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी)**: (क) और (ख) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किये गये फिल्म सेंसरशिप के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों के 7 जनवरी, 1978 की अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है । ये मार्गदर्शी सिद्धांत 7 जनवरी, 1978 से लागू किये गये।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1661/78)

**विद्युत् परियोजनाओं की स्वीकृति**

1263. **श्री के० राममूर्ति**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मंत्रालय द्वारा लम्बे समय से विचाराधीन जिन विद्युत परियोजनाओं तथा सुपर तापीय विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस समय कितनी परियोजनायें स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1662/78)

**Electrification of Villages in 1978-79**

†1264. **Shri Y.P. Shastri** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number and names of districts in the country where only less than 20 per cent of villages have been electrified so far;

(b) whether the Central Government propose to accord priority in respect of electrification of villages in such districts in 1978-79; and

(c) whether the Central Government have decided to electrify all the villages with a population of 500 or more in 1978-79?

**The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran)** : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) Government accords high priority for backward and other areas where Rural Electrification programme are lagging behind.

**अल्पसंख्यकों के दर्जे के बारे में मुस्लिम समुदाय से अभ्यावेदन**

1265. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि मुस्लिम समुदाय को भी अल्प संख्यक श्रेणी में स्थान दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कार्य में सुधार के लिए समिति की स्थापना**

1266. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
**श्री जी० एम० बनतवाला :**
**श्री उग्रसेन :**
**श्री सुरेन्द्र विक्रम :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्य और प्रबन्ध में सुधार करने के लिए सलाह देने हेतु नियुक्त समिति ने हाल ही में सरकार को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में उपक्रम के कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि उपक्रम के समस्त क्षेत्र को 15 जिलों में विभाजित किया जाना चाहिए और तीन से चार जिलों का एक सर्किल बनाया जाना चाहिए;

(ग) समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या समिति की सिफारिशों पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) समिति ने यह बताया था कि सुव्यवस्थित राज्य बिजली बोर्डों में कर्मचारी व्यवस्था के स्वरूप के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कर्मचारियों की कुल संख्या 18,000 होनी चाहिए जबकि इसके मुकाबले इसमें कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 24,515 है।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने वित्तीय, प्रशासनिक तथा तकनीकी मामलों पर अन्य कई सिफारिशें की हैं।

(घ) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया था और कार्यान्वयन के लिए ये सिफारिशें नगर निगम को भेज दी थीं। यह पता चला है कि अब ये सिफारिशें दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के विचाराधीन हैं।

## राष्ट्रीय सीमेंट नीति

1267. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय सीमेंट नीति तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ताकि चोर बाजारी आदि को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) से (ग) सरकार सीमेंट उद्योग की व्यापक समीक्षा करने हेतु उच्च स्तरीय बोर्ड की नियुक्ति के एक प्रस्ताव की जांच कर रही है।

## Names of Articles to be produced by the Small Scale Industries

1268. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the names of the articles which will be produced only by the small scale industries and whose production will not be permitted in the large scale industries;

(b) whether in order to discourage the capitalists from Metropolitan Areas from setting up industries in the backward areas and to enable the small entrepreneurs to set up industries successfully with the assistance from Government a limit of rupees ten lakhs has been imposed therefor; and

(c) in view of the fact however that this amount covers machinery and equipment only and even if crores of rupees on other heads such as land, building, and in form of working capital, have been invested, these industrial units would still be considered as small scale industries which will benefit the capitalists?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) Names of articles were placed on the Table of the House on 23rd December, 1977.

(b) For industrial development of backward areas, there is no stipulation of investment limit.

(c) Does not arise.

**भांखड़ा नांगल परियोजना को हुई हानि**

1269. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण भाखड़ा नांगल परियोजना को हानि हो रही है;

(ख) क्या वर्ष 1971-72 से 1975-76 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुए राजस्व से इस परियोजना का कार्यकारी व्यय भी पूरा नहीं होता है;

(ग) इस हानि के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)**: (क) से (ङ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

**ब्रिटेन के जहाजों की खरीद**

1270. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

**डा० हेनरी आस्टिन :**

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "यू०के० शिप्स वर बोट टू एवायड ग्रान्ट लैप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये जहाज बेकार हैं और इनकी लागत अधिक होगी;

(ग) यदि हां, तो यह बात कहां तक सच है कि जहाजों को केवल इसलिए खरीदा गया था कि अनुदान व्ययगत न हो; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन जहाजों के रखरखाव पर आने वाली लागत इनके प्रयोग पर आने वाली लागत से अधिक होगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) जहाज लाइनर प्रकार के हैं और जहाज का आकार भारतीय नौवहन निगम के बेड़े के आवश्यकतानुसार है । वे क्रियात्मक और तकनीकी रूप से भारतीय नौवहन निगम की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं । यद्यपि यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों में भारत को दी गयी ब्रिटिश सहायता का कम उपयोग किए जाने पर चिंता व्यक्त की है तथापि हमारे समस्त निर्णय का इन जहाजों की हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता और उपयुक्तता पर आधारित है । परन्तु, यह सच है कि ब्रिटिश जहाजों के लिए दी गयी कीमतें सुदूर पूर्वी शिपयार्डों में चालू कीमतों से अधिक हैं । परन्तु यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि नौवहन निगम के लिए वित्तीय भार उतना है जितना प्रतियोगितात्मक विक्रेताओं से खरीद के लिए है । उनकी अनुरक्षण लागत उसी प्रकार के अन्य यार्ड के किसी भी जहाज से अधिक नहीं होगी ।

**अमरीका द्वारा भारत को आण्विक ईंधन की सप्लाई**

1271. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
**श्री वसंत साठे :**

**क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति कार्टर की भारत यात्रा के पश्चात् भारत को आणविक ईंधन की सप्लाई के सम्बन्ध में भारत और अमरीका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर दोनों देशों के बीच क्या-क्या मतभेद हैं ;

(ग) क्या अमरीका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक भारत परमाणु प्रसार रोक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसे आणविक ईंधन सप्लाई नहीं किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) (ख) (ग) तथा (घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा की जाने वाली न्यूकलीय ईंधन की सप्लाई एक करार के अन्तर्गत होती है, जिस पर भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने अगस्त, 1963 में हस्ताक्षर किए थे तथा जो अब भी लागू है। हमें विदित हुआ है कि अमरीका में इस कार्य से सम्बद्ध अधिकारी, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के लिए एक निर्यात लाइसेंस के अभ्यावेदन पर विचार कर रहे हैं।

**कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन**

1272. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
**श्री पी० के० कोडिपन :**
**श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब होने की संभावना है; और

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

**गृह राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) (ख) और (ग) 19 जनवरी, 1978 को हुई गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में, देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का संयोजन करने का एक सुझाव दिया गया था। यह विचाराधीन हैं ।

**भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप**

1273. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री ने, जैसा कि आकाशवाणी ने 7-2-1978 को बताया था, मद्रास में संवाददाताओं को बताया था कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दो आरोपों की जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील)** :(क) जी, हां श्रीमान्। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ पठित धारा 5(2) के साथ पठित धारा 120ख आई०पी०सी० के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन मुख्य अपराधों के लिए निम्नलिखित आरोपों के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध दो मामले दर्ज किए हैं :--

(1) अभियुक्तों ने कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कम्पनियों को अपनी निधियों में से जीपें खरीदने और मार्च, 1977 के लोक सभा के चुनावों के दौरान उनको इस्तेमाल किए जाने हेतु उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री के निवास नं० 1, अकबर रोड को भेजने के लिए प्रेरित करने का षडयंत्र किया तथा अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया जिससे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके पुत्र के चुने जाने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

(2) अभियुक्तों ने बम्बई हाई में आयल ड्रिलिंग के संबंध में परामर्शी सेवाओं के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) तथा एक फ्रांसीसी फर्म, सी०एफ०पी० के बीच एक करार कराने में षड्यंत्र किया और एक अमरीकन फर्म 'जोग्रोमान' द्वारा की गई उसी प्रकार की सस्ती पेशकश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभियुक्तों ने अवैध अथवा भ्रष्ट तरीकों से अथवा अन्य प्रकार से लोक सेवक के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया और इस प्रकार अपने लिए और/अथवा सी०एफ०पी० के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रु० तक की अनुचित हानि उठानी पड़ी।

इन मामलों में जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है।

**पश्चिम बंगाल और बिहार में बिजली संकट**

1274. **श्री समर गुह :**
**श्री सौगत राय :**
**श्री रोबिन सेन :**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता संस्करण के 30 जनवरी, 1978 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिसमें पश्चिम बंगाल और बिहार में बिजली के संकट के कारणों की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार के अनुसार पश्चिम बंगाल में बिजली के गम्भीर संकट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य में बिजली संकट दूर करने के लिए कार्यवाही की गई है अथवा की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) से (घ) जी हां, सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में ही विद्युत संबंधी स्थिति से अवगत है। दामोदर घाटी निगम से कम सहायता, संथालडीह के उत्पादन यूनिटों का घटिया कार्य निष्पादन, दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड में प्रतिष्ठापित क्षमता का कम समुपयोजन, संयंत्र पुराना हो जाने के कारण कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के संयंत्रों से कम

उत्पादन, नई परियोजनाओं कों चालू करने में देरी, तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड प्रणाली व पूर्वी क्षेत्र के बीच समेकित प्रचालन की कमी के कारण पश्चिम बंगाल विद्युत की कमी महसूस कर रहा है। वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने, तथा संथालडी और बन्डेल की निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने कदम उठाए हैं। उत्तम कोटि के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समुचित लिंकेज बनाए गए हैं। सही गुणवत्ता के फुटकर पुर्जों का समुचित मात्रा में भंडारण करने तथा ईंधन और उपभोज्य वस्तुओं को सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था कर ली गई है। संथालडीह में हाल ही में चालू की गई यूनिटों तथा दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर में हाल ही में चालू की गई यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए बहुविधा दलों (Multidisciplinary) वाले एक परियोजना नवीकरण दल का गठन किया गया हैं जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सलाहकारी इंजीनियर शामिल हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत संयंत्रों के अनुरक्षण में सुधार करने की सलाह दी गई है। अल्पकालीन उपाय के रूप में अनुरक्षण की संशोधित व्यवस्था करके तथा पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से आगामी महीनों में विद्युत की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। दीर्घावधि उपायों के रूप में, निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए तथा प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए जब नई परियोजनाएं स्वीकृत की जाएं तब तक नई परियोजनाओं के लिए निधियों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित हो सके इसके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं।

बिहार में विद्युत की कुछ कमी है। जब ताप विद्युत यूनिटों की जबरन बन्दी बार-बार होती है और लम्बी अवधि की होती है तो यह कमी अधिक हो जाती है। पतरातू में हाल ही में चालू की गई यूनिट का नवीकरण, उचित गुणवत्ता वाले कोयले और फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करके वर्तमान यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार जैसे आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

**देश में कानून और व्यवस्था**

1275. **श्री समर गुह :**

**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :**

**श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**

**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

**श्री पी० के० कोडियन :**

**श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

क्या गृह मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदे , बिहार और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर रूप से खराब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**तोड़-फोड़ की गतिविधियों में आनन्दमार्गियों का हाथ**

1276. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या तोड़-फोड़ की विभिन्न गतिविधियों में आनन्दमार्गियों का कथित हाथ होने के बारे में जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकाले ;

(ग) क्या तोड़ फोड़ की गतिविधियों में कोई और एजेंसियों का भी हाथ होना पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन तोड़-फोड़ करने वाली एजेंसियों की पहचान क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख) देश में तथाकथित तोड़ फोड़ की हाल की किसी घटना से आनन्दमार्ग के सम्बद्ध होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) और (घ) केवल एक घटना में, अर्थात् 19–11–77 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में माना और मूर्तिजापुर के स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के पटरी पर से उतरने की घटना में कुछ नव बौद्धों का हाथ बताया जाता है।

**Amount Sanctioned by REC for rural Electrifcation schemes**

†1277. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Rural Electrification Corporation has sanctioned an amount of about Rs. 16 crores as loan for implementing 55 rural electrification schemes in the 14 States of the country; and

(b) if so, the State-wise names of districts where these schemes will be implemented?

**The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran)** (a) : At the meeting of the Board of Directors of the Rural Electrification Corporation held on 2nd December, 1977, 55 new projects in 14 States were approved for a total loan assistance of Rs. 1605.526 lakhs. Additional loan assistance amounting to Rs. 45.767 lakhs to Maharashtra State Electricity Board, on account of escalation in costs in respect of 8 schemes sanctioned in earlier years, was also approved.

(b) the details are given in the statement enclosed. [Placed in Library : See No. L.T. 1663/77]

**Power cut in Gujarat**

†1278. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether a cut was imposed in the supply of electricity in Gujarat in the month of December, 1977;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the percentage by which power production had fallen in Gujarat in December, 1977 and when this shortage will be met?

**The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran)** (a) : Some control measures like staggering of evening recess period of non-continuous type H.T. industries was enforced from 24th December, 1977 and staggering of holidays of H.T. and L.T. industries and load shedding in rural areas for about 5 hours were introduced from 29-12-1977 in the State.

(b) These control measures became necessary because of increase in load demand in December, '77 and the long forced outage of 140 MW unit No. 6 at Dhuvaran due to earth fault in the generator rotor from 13-11-1977, planned shut down of 210 MW set at Tarapur refuelling from 5-12-1977 and forced outage of Unit No. 2 of 75 M W of Ukai Hydro from 11-1-1976. All these units are still under shut down.

(c) There was no fall in power production in Gujarat in December, 1977. Gujarat was able to meet the increase demand inspite of higher outages. The average generation in December, 1977 was 23.1 MU a day as compared to 21.75 MU a day in November, 1977.

**Grant of Pension to Freedom Fighters from Junagarh, Rajkot and Jamnagar Districts**

1279. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the District-wise number of freedom fighters from Junagarh, Rajkot and Jamnagar districts in Gujarat whose cases regarding grant of pension are pending and the dates since when they are pending and the reasons therefor; and

(b) when the pension cases of remaining freedom fighters are likely to be approved or when a decision thereon is likely to be taken?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal):** (a) & (b): No application received from freedom fighters of Junagarh, Rajkot and Jamnagar districts in Gujarat is pending initial scrutiny. However, 26 cases have been filed for want of documentary evidence/information from freedom fighters and or report from the State Government. As soon as the required evidence/information is received, the cases will be reviwed and pension sanctioned in eligible cases. All the applicants have been informed accordingly.

**Equipments Condemned by Photo Division**

1280. **Shri Madan Tiwary:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the value of cameras, enlargers, flash guns and other equipment of the Photo Division of the Ministry declared as condemned;

(b) whether a thorough physical verification was ever conducted of the equipment condemned;

(c) whether it is a fact that the camera lenses, enlargers lenses, guns, etc. which were in good condition, were taken out of the equipment shown as condemned and sold and the same were replaced by old and defective ones;

(d) whether Government have made any inquiry in this case; and

(e) if not the reasons therefor?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shr L.K. Advani):** (a) : The unserviceable equipment of the Photo Division has not so far been formally condemned, but such equipment has been identified. Their book value has, however, not been worked out.

(b) Does not arise.

(c) No. Sir.

(d) & (e) : Does not arise.

**Expenditure on Studio of Photo Division**

1281. **Shri Madan Tiwary:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether lakhs of rupees have been spent on the studio of the Photo Division in the Ministry; and

(b) if so, the justification therefor?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani)** (a) The Studio in the Photo Division has been provided equipment on a modest scale at a cost of about Rs. one lakh.

(b) Photo Studio forms an essential organ of a photographic establishment and as such, reasonable expenditure on equipping it is inevitable.

**Expenditure on Colour unit of Photo Division**

**1282. Shri Madan Tiwary:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether large funds are being wasted on the Colour Unit of the Photo Division of the Ministry without any return to Government;

(b) whether Government have considered the question of winding up of this unit; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani):** (a) No, Sir.

(b) & (c) The Colour Unit is an essential part of the Photo Division and is serving a useful purpose in the matter of Photo publicity. Hence, there is no case for winding up this Unit.

**जम्मू और कश्मीर में लागू केन्द्रीय कानूनों का पुनर्विलोकन**

1283. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह** मंत्री जम्मू और कश्मीर में लागू केन्द्रीय कानूनों के पुनर्विलोकन के बारे में 23 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 1254 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उक्त नियम के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव इस बीच प्राप्त हुआ है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल** मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**"दस वर्षों में सबके लिए काम" कार्यक्रम की क्रियान्विति**

1284. **श्री चित्त बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि "दस वर्षों में सबके लिए काम" कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विकास योजना के अगले चरण का प्राथमिक उद्देश्य होगा लगभग दस वर्षों मे बेरोजगारी और काफी कुछ अल्परोजगार को दूर करना। योजना आयोग इस समय अगली योजना तैयार करने में लगा हुआ है, जिसमें अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना प्राथमिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होगा। इसका ब्यौरा योजना दस्तावेज में दिया जायेगा।

**फरक्का में सुपर तापीय परियोजना**

1285. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फरक्का में सुपर तापीय परियोजना किस चरण में है ;

(ख) इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है; और

(ग) इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्री श्री० पी० रामचन्द्रन** (क) से (ग) : फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए व्यावहार्यता परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने तैयार की है और तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुतकर दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दिए जाने के उपरान्त परियोजना पर निवेश संबंधी निर्णय हेतु कार्यवाही की जाएगी।

**वर्ष 1976-77 और 1977-78 में आयात किया गया सीमेंट**

1286. **श्री अहमद एम० पटेल :**

**श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1976–77 और 1977–78 में देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए कुल कितने सीमेंट का आयात किया गया ;

(ख) क्या आयातित सीमेन्ट देशी सीमेन्ट से अधिक महंगा है ;

(ग) वर्ष 1978–79 में अनुमानतः कितने सीमेन्ट का आयात किया जायेगा; और

(घ) सीमेन्ट का आयात किन-किन देशों से किया जाता है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) 1976–77 में सीमेंट का कोई आयात नहीं किया गया था। 1977–78 के दौरान लगभग 3.50 लाख मी० टन सीमेंट के आयात करने की संभावना है।

(ख) आयातित सीमेंट की तथागत लागत देशी सीमेंट की लागत से अधिक है, 7 जनवरी, 1978 से सरकार ने मूल्यों का पूल बनाने तथा सीमेंट के रेल भाड़ा मुक्त गन्तव्य स्थानों के मूल्य में प्रति मी० टन 17 रु० तक बढ़ाने का निश्चय किया है।

(ग) 1978–79 में लगभग 5 लाख मी० टन सीमेंट के आयात के लिए संविदा की जा चुकी है।

(घ) दक्षिण कोरिया, पोलेण्ड तथा रूमानिया।

**Transfer of the Number of Officers in the Ordnance equipment factory Kanpur**

**1287. Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of Officers in the Ordnance Equipment Factory, Kanpur (Harness Factory) who have not been transferred even though they have completed more than 3 years of service; and

(b) the action being taken by Government to transfer officers with more than 3 years of service, keeping in view the irregularities committed in the factory?

**The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh)** : (a) Thirteen (13).

(b) There is no fixed tenure for officers for interfactory transfer but normally they are considered for inter-factory transfer on completion of 5 years or due to promotion and exigencies of service.

**Appointments in Official Languages Department**

**1288. Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the rules laid down by Government in respect of qualification for appointment to the posts of Secretary, Deputy Secretary and other higher posts in the official Languages Department;

(b) whether it is a fact that no educationist has been appointed on any of these posts; if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is also a fact that some officers had submitted their resignations in protest against the appointment of a junior Deputy Director as Joint Director in violation of rules and payment of provident fund, etc. of these officers has not been made so far and whether Government have conducted an inquiry into this matter; and if so,the outcome thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)** : (a) The administrative posts of Deputy Secretary and above in Ministries and Departments including the Department of Official Language are filled according to a scheme and suitable officers of All India Service, Class I Central Services and Class I State Services etc. are appointed to these posts on deputation basis for a fixed period. While making appointments the nature of duties of the posts, required qualification experience, etc. are kept in view.

(b) Yes, Sir. Mostly administrative experience is required for manning the higher posts in the Department of Official Language and the persons are selected on the above basis. It is, however, kept in view that the selected persons have a good knowledge of Hindi and capacity to work in Hindi.

(c) No, Sir. Appointment to the posts of Joint Director was made according to the rules by the Departmental Promotion Committee, presided over by a member of Union Pulbic Service Commission. No resignation has been received from any gazetted officer of Hindi Teaching Scheme against the appointment made to the post of Joint Director. Therefore, the question for payment of Provident Fund etc. or any inquiry in the matter does not arise.

**दिल्ली में खाली पड़े औद्योगिक प्लाट**

1289. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उद्योगों को स्थापित करने के लिए बेचे गये कुल कितने औद्योगिक प्लाट अभी तक खाली पड़े हुए हैं।

(ख) ये प्लाट कब बेचे गये थे और इनके अभी तक खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन प्लाटों के मालिकों को इस भूमि का उपयोग करने हेतु कहने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो सरकारी चेतावनी की उपेक्षा करते रहते हैं, क्या अन्य कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** (क) से (घ) उद्योग निदेशक दिल्ली प्रशासन जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

**Expenditure on Republic Day**

**1290. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the break-up of expenditure incurred by Government on the Republic Day celebrations held in January, 1978; and

(b) the details of the passes sold for this celebration and the revenue earned by Government as a result thereof?

**The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram)** :(a) It is not possible to give the break-up of expenditure, at present, as the statements of accounts to be received from the various agencies, have not yet been finalised.

(b) The details of the tickets sold on the occasion of Republic Day Celebration, for various functions are as under:—

| Denomination of tickets | No. of tickets sold |
|---|---|
| **Republic Day Parade** | |
| Rs. 100/- . . . | 824 |
| Rs. 50/- . . . | 923 |
| Rs. 25/- . . . | 1187 |
| Rs. 10/- . . . | 1087 |
| Rs. 5/- (Concessional) . | 120 |
| Rs. 5/- . . . | 5410 |
| Rs. 2.50 (Concessional) . | 598 |
| Rs. 2/- . . . | 7656 |
| Rs. 1/- (Concessional) | 848 |
| **Beating Retreat Ceremony** | |
| Rs. 10/- . . . | 3528 |
| Rs. 3/- . . . | 4619 |
| Rs. 1.50 (Concessional) | 590 |
| Rs. 1/- . . . | 4081 |
| Rs. 0.50 (Concessional) | 680 |
| **Folk Dances Festival** | |
| Rs. 15/- . . . | 642 |
| Rs. 5/- . . . | 968 |
| Rs. 2/- . . . | 2245 |
| Rs. 1/- (Show for children) . | 1344 |

The net revenue earned fro m sale of tickets, after payment of ommission to Ticket Selling Agents, is Rs. 2,86,966.55.

### Increase in Political Murders

**1291. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2992 on the 7th December, 1977 and state:

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the State-wise details thereof, and the number of traders and industrialists murdered; and

(c) the number of political parties who believe in violence and the number of those political parties who have intensified their activities to oppose their acts of violence?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal)**: (a) Yes, Sir. According to information furnished by the State Governments, there is no increase in political murders.

(b) (i) Andhra Pradesh . . . 2
(ii) Bihar . . . 7
(iii) Kerala . . . 7
(iv) Uttar Pradesh . . . 1
(v) Other States and U. Ts. . . . Nil

The earlier question did not seek information regarding traders and industrialists and hence, it has not been collected.

(c) It is not possible to specify such political parties. Government are, however, keeping a close watch on all violent activities.

**आपात स्थिति में के दौरान सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश**

1292. **श्री शरद यादव :**

**श्री सूखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को आपात स्थिति की अवधि के दौरान सेवा-निवृत्त होने और त्यागपत्र देने के लिये जिन सरकारी कर्मचारियों को मजबूर किया गया था उनके मामलों पर पुनर्विचार करने और ऐसे सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निदेश दिये हैं जिनके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिये हैं;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने जून, 1975 से फरवरी, 1977 के बीच की अवधि के दौरान सरकारी नौकरियों से सेवा-निवृत्त करके परेशान किये गये उन सभी कर्मचारियों के मामलों की ऐसी जांच आरम्भ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामले कुल कितने हैं तथा किस प्रकार के निर्णय किये जाने हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन कर्मचारियों के मामले में भी ऐसी ही कार्यवाही की जा रही है जिनके साथ उक्त अवधि के दौरान ऐसा ही बर्ताव किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटिल)** : (क) से (ङ) 1977 में आपात स्थिति हटाए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों की समयपूर्व सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित नीति की पुनरीक्षा की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आपात स्थिति के दौरान समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था, उनके अभ्यावेदनों पर उपयुक्त समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए । इन समितियों में वे अधिकारी शामिल होंगे जो मूल पुनरीक्षा समितियों से संबंधित नहीं थे। इन अभ्यावेदनों की जांच विशेष सावधानी से की जानी अपेक्षित थी, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि समयपूर्व सेवा-निवृत्ति के आदेश अत्युत्सुकता की गलत भावना के कारण नहीं दिए गए थे अथवा इनका सहारा राजनीतिक या व्यक्तिगत अत्याचार के साधन के रूप में नहीं लिया गया था । ये अनुदेश कर्नाटक की सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को इस सुझाव के साथ भेजे गए थे कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी प्रकार के अनुदेश जारी करने पर विचार करें ।

2. कर्नाटक सरकार से यह पता चला है कि राज्य सरकार ने उन मामलों को छोड़कर जिनमें व्यक्ति अपनी अधिवर्षिता की आयु पहले ही पूरी कर चुके हैं । सेवानिवृत्ति के सभी मामलों की स्वत: पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है, चाहे किसी व्यक्ति ने अभ्यावेदन दिया हो अथवा नहीं । इस प्रकार की पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप चार कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है । अन्य मामलों में पुनरीक्षा की कार्रवाई चल रही है ।

**अश्लीलता पर सेंसर**

1293. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अश्लील और हिंसा के दृश्यों को दृढ़ता से सेंसर किया जायेगा;

(ख) क्या चुम्बन के दृश्यों की अनुमति तब ही दी जायेगी जब वे कथा-प्रसंग के अभिन्न अंग होंगे; और

(ग) क्या सार्वजनिक स्थान पर चुम्बन को अब एक गैर-अश्लील कार्य समझा जाता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है। इससे यह देखा जा सकेगा कि सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारे समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी रहें और ऐसे आपत्तिजनक दृश्य नहीं दिखाए जाएं जिनमें अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता का चित्रण हो या हिंसा का औचित्य सिद्ध करने वाले हों।

फिल्मों में चुम्बन को स्वीकृति दी जाए या नहीं के बारे में विशेष निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1664/78]**

**Setting up of a Super Thermal Plant at Kahalgaon in Bihar**

†1294. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under their consideration to set up a super thermal power plant at Kahalgaon in Bihar State under the Sixth Five Year Plan;

(b) whether a delegation of M.Ps. and M.L.As. from Bihar met him and submitted a memorandum in regard to the implementation of this scheme; and

(c) if so, the decision taken by Government thereon ?

**The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran)** : (a) A proposal for setting up a thermal power station with six units of 500 MW each at Colgong near Khalgaon in Bihar State was received in September, 1977.

(b) Yes, Sir.

(c) The revised project report received in December, 1977 is under examination in the Central Electricity Authority.

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल को हुई हानि**

1295. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भारी हानि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**भटिंडा में दूरदर्शन केन्द्र**

1296. **श्री महेन्द्र सिंह सेंधावाला** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए बहुत से लोगों को पाकिस्तान दूरदर्शन देखना पड़ता है, भटिंडा में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिसके लिए पिछली सरकार ने मंजूरी दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये एक केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** : (क) जी, नहीं। पिछली सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Shortage of Water and Electricity for Industries in States**

1297. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether there is still acute shortage of water and electricity in the various States as a result of which industrial development is being hampered;

(b) if so, the extent to which each State is experiencing such a shortage; and

(c) the steps being taken to augment the supply of water and electricity in the States and the time by which the position is likely to improve in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti)** : (a) to (c) No reports regarding acute shortage of water have been received. However, there is shortage of power as is seen from reports of power cuts/restrictions imposed and regulated from time to time in certain States—Haryana, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka, West Bengal and Assam. Power is one of the important infrastructure facitities, the extent of availability of which determines establishment of new units for which it is a major input. The extent of power shortage varies from state to state and area to area even within a State. About 2000 MW are expected to be commissioned this year upto March, 1978. For the year 1978-79, a target of 3662 MW of capacity has been fixed consisting of 2655 MW of thermal and 1007 MW of hydro capacity. Power supply position is likely to ease in Haryana, Rajasthan by May, 1978 in West Bengal and Madhya Pradesh by June, 1978 and in Uttar Pradesh and Maharashtra by December, 1978. In addition, steps are being taken to improve the performance of the existing thermal power stations.

**सैनिक स्कूलों में असैनिक प्रिंसिपलों की नियुक्ति**

1298. **श्री भगत राम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० आई० एम० सी० तथा एन० डी० ए० की तरह सैनिक स्कूलों में असैनिक प्रिंसिपल नियुक्त नहीं किये जाते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अंशकालीन आई० ए० एस० अधिकारी को अवैतनिक सचिव के रूप में नियुक्त करने के बजाय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद को सैनिक स्कूल सोसाइटी के पूर्णकालीन सचिव के रूप में नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) क्या सैनिक स्कूल सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड की गत छह वर्षों से एक भी बैठक नहीं हुई है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी नहीं। सैनिक स्कूलों का मुख्य कार्य लड़कों को सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग के लिए तैयार करना है । इसलिए शैक्षिक पृष्ठभूमि वाला सैनिक अफसर स्कूल के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है ।

(ख) रक्षा मंत्रालय में उप सचिव पद का एक अफसर आमतौर से सैनिक स्कूल सोसाइटी का अवैतनिक सचिव नियुक्त किया जाता है । इस संबंध में इस समय कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं

है क्योंकि पूर्णकालिक व्यक्ति के लिए पर्याप्त कार्य नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन से स्कूलों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा।

(ग) गवर्नरों के बोर्ड की अन्तिम बैठक 9 दिसम्बर, 1977 को हुई थी।

**Scheme for Development of Adivasi Areas**

**1299. Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any schemes were formulated for the development of Adivasi areas last year;

(b) if so, the total allocation made for the purpose and the amount utilised out of it and success achieved by Government in this regard;

(c) whether it is a fact that special funds have been sanctioned for providing irrigation facilities in the Adivasi areas in future; and

(d) if so, the outlines of the scheme in this regard ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) :** (a) Last year Annual Tribal Sub-Plans for 1977-78 were prepared in respect of areas with 50% tribal concentration or more in the case of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and A&N Islands and Goa, Daman and Diu.

(b) The allocation made for the tribal Sub-Plans in the States mentioned above was Rs. 257 crores out of the State Plan resources and Rs. 55 crores as Special Central Assistance, making a total of Rs. 312 crores. According to the reviews made with the States while finalising next year's plans, the provisions are likely to be fully utilised.

(c) and (d) : Provision for irrigation is made in the tribal Sub-Plans. The amount provisionally allocated for minor irrigation for 1978-79 is about Rs. 31 crores out of the State Plan, and about Rs. 12 crores from Special Central Assistance. A further provision of about Rs. 42 crores from the State Plans has been made for medium and major irrigation. The concerned States have been asked to prepare Master Plans for irrigation in the tribal areas and a time-schedule for investigation and execution of minor irrigation schemes.

**Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes**

**1300. Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a commission to safeguard the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the salient features of its composition and terms of reference; and

(c) how far the proposed Commission will be competent to solve the problems of Harijans ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) :** (a), (b) and (c) Government have decided in principle to set up a Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The terms of reference, composition and other details of the Commission are under finalisation.

**विभिन्न राज्यों में नक्सलपंथी**

1301. **डा० बापू कालदाते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र और मैसूर में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में नक्सलपंथी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी एकत्रित की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क), से (ग) पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में नक्सलवादियों की ठीक-ठीक संख्या के संबंध में सरकार के पास सूचना नहीं है ।

**राज्यों में सीमेंट की आवश्यकता**

1302. **श्री डो० बो० चन्द्र गोडा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में सीमेंट की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ग) देश में सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार विदेशों से सीमेंट का आयात करने का है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)** : (क) और (ख) प्रत्येक तिमाही के शुरू में विभिन्न राज्यों की सीमेंट की आवश्यकता आंकी जाती है और पिछली तिमाही में की गई सप्लाई, चालू तिमाही के लिए राज्यों का अनुरोध तथा सीमेंट की प्रत्याशित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीमेंट का आबंटन किया जाता है । सीमेंट की समग्र उपलब्धता देश की कुल आवश्यकता से कम होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि राज्यों की पूरी आवश्यकता को पूरा किया जाये। जनवरी-मार्च, 1978 में विभिन्न राज्यों को किये गये आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु द्वारा तूफानों के कारण हुई क्षति की मरम्मत आदि के आन्ध्र और तमिलनाडु द्वारा की गई अतिरिक्त आवश्यकताओं को आंका गया है । आन्ध्र प्रदेश के अक्तूबर—दिसम्बर, 1977 के तिमाही आबंटन को 3.30 लाख टन से बढ़ाकर 4.50 लाख मी० टन और आगामी दोनों प्रत्येक तिमाहियों (जनवरी–मार्च, अप्रैल–जून, 1978) के लिए 5 लाख मी० टन कर दिया गया। तमिल नाडु के आबंटन को अक्तूबर-दिसम्बर, 1977 के लिए 3.50 लाख मी० टन से 4 लाख मी० टन तक तथा (जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून, 1978) की आगामी दो तिमाहियों में प्रत्येक के लिए 4.5 लाख मी० टन तक बढ़ा दिया गया ।

(ग) जी हां, सरकार ने चालू वर्ष के दौरान घरेलू कमी को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख मी० टन सीमेंट आयात करने का निश्चय किया है ।

विवरण

| क्रम सं० | राज्य | राज्य सरकार द्वारा की गई मांग | 1978 की पहली तिमाही में किया गया आबंटन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 800000 | 550000 |
| 2. | पंजाब | 250000 | 250000 |
| 3. | राजस्थान | 285000 | 160000 |
| 4. | हरियाणा | 200000 | 180000 |
| 5. | दिल्ली | 135000 | 135000 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 30000 | 30000 |
| 7. | चंडीगढ़ | 25000 | 22000 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 45000 | 35000 |
| | | | 2500 |
| | योग | 1770000 | 1362000 |
| | | | + 2500 |
| | **पूर्वी क्षेत्र** | | |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 360000 | 320000 |
| 10. | बिहार | 300000 | 300000 |
| 11. | उड़ीसा | 175000 | 100000 |
| 12. | असम | 73000 | 60000 |
| 13. | मणिपुर | 12000 | 12000 |
| 14. | त्रिपुरा | 6250 | 6250 |
| 15. | अरुणाचल प्रदेश | 500 | 500 |
| 16. | मेघालय | 10000 | 10000 |
| 17. | मिजोरम | 4000 | 4000 |
| 18. | नागालैंड | 7000 | 7000 |
| 19. | सिक्किम | 8000 | 8000 |
| | योग | 955750 | 827750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **पश्चिमी क्षेत्र** | | |
| 20. | महाराष्ट्र | 665000 | 575000 |
| 21. | गुजरात | 400000+ 50000 | 375000 |
| 22. | मध्य प्रदेश | 325000 | 220000 |
| 23. | गोवा, दमन दीव | 25000 | 25000 |
| 24. | दादरा, नागर तथा हवेली | 1500 | 1500 |
| | **योग** | 1416500 | 1196500 |
| | | +50000 | |
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | | |
| 25. | तमिल नाडु | 450000 | 450000 |
| 26. | कर्नाटक | 300000 | 240000 |
| 27. | केरल | 225000 | 225000 |
| 28. | आन्ध्र प्रदेश | 500000 | 500000 |
| 29. | पांडिचेरी | 12000 | 9000 |
| 30. | अंडमान तथा निकोबार द्वीप | 3000 | 3000 |
| 31. | लक्षद्वीप | 1700 | 1700 |
| | **योग** | 1401700 | 1428700 |
| | कुल योग | 5633950 | 4804950 |
| | | +50000 | +12500 |

**नारियल की जटा (हस्क) से अच्छे किस्म का रेशा निकालने की पद्धति**

1303. **श्री डी बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में प्रचलित नारियल की जटा (हस्क) से रेशा निकालने की परम्परागत पद्धति श्रम साध्य, समय लेने वाली और अप्रिय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उससे मिलने वाले रेशे एक जैसे नहीं होते हैं तथा कुछ विशिष्ट सीमाओं में इसकी किस्म को बनाये रखना बहुत कठिन है; और

(ग) यदि हां, तो देश में मशीनों के माध्यम से अच्छी किस्म के सस्ते रेशों का उत्पादन करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :**

(क) जी, हां।

(ख) विशिष्ट सीमा के अंदर देशों के बीच समानता सुनिश्चित किया जाना जटा (हस्क) की किस्म की विभिन्नता तथा भिन्न-भिन्न रेटिंग केन्द्रों में जटा के तंतु सडान की अवधियों की भिन्नता के कारण सम्भव नहीं है।

(ग) कयर उद्योग में यंत्रीकरण का प्रश्न विचाराधीन है। सरकार सभी दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात् अन्तिम दृष्टिकोण बनायेगी।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी संगठनों को सहायतानुदान के लिए दिल्ली प्रशासन को प्रार्थना-पत्र**

1304. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों में लगे गैर-सरकारी पंजीकृत संगठनों की ओर से सहायतानुदान के लिये दिल्ली प्रशासन को आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई है,

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) जिन संगठनों ने 1977-78 के दौरान सहायतानुदान के लिये आवेदन किया है उनके नाम और ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। दिये जाने वाले अनुदान की मात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 1365/78]

**Purchase of Machines after Nationalisation of Coal Mines**

1305. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the total cost of machines purchased by Government after the nationalisation of coal mines; and

(b) whether it is a fact that most of these machines have not been utilised so far and are lying idle ?

**The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) :** (a) The total cost of machines purchased by Coal India Limited after nationalisation of coal mines till March, 1977 amounts to about Rs. 378 crores.

(b) No, Sir.

**H.M.T. Watch Factory in Betul District of Madhya Pradesh**

1306. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Hindustan Machine Tools proposes to set up a H.M.T. watch factory in Betul District of Madhya Pradesh with the cooperation of Madhya Pradesh Government; and

(b) if so, the efforts made by the company in regard thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) :** (a) and (b) Madhya Pradesh is one of the States approved by the Government of India for setting up an HMT assisted captive watch unit. The location is to be decided by the State Government in consultation with H.M.T. Betual is among the locations proposed.

**गृह मंत्री के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर आई बसों की संख्या**

1307. **श्री वसन्त साठे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक 22 और 23 नवम्बर को पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से कुल कितनी बसें और ट्रक दिल्ली आये ;

(ख) कितना अन्तर्राज्यीय कर वसूल किया गया तथा समारोह के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार/दिल्ली प्रशासन द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) मोटर गाड़ी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कितने ट्रकों का चालान किया गया ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** (क) तथा (ग) ड्यूटी पर यातायात पुलिस द्वारा 22 और 23 दिसम्बर, को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आने वाले 1420 वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं० नोट किये गये थे । आगे कार्यवाही करने हेतु इन राज्यों के संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों से जिन वाहनों के नं० नोट किये गये थे उनके मालिकों के नाम व पते भेजने का अनुरोध किया गया है । 203 मामलों में, जहां दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया था, चालान किये गये हैं ।

(ख) जो वाहन दिल्ली के बाहर से आते हैं उनका कर अपने-अपने राज्यों में अदा करना पड़ता है । समारोह के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया था ।

**प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए जा रहे वेतन तथा भत्ते**

1308. **श्री वसन्त साठे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रधान मंत्री तथा उनकी मंत्री परिषद द्वारा व्यक्तिगत रूप से 24 मार्च, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक प्रति मास वेतन एवं भत्तों के रूप में कितनी राशि ली गई ;

(ख) प्रत्येक मंत्री पर आवास, फर्नीचर, टेलीफोन, बिजली के बिल और मंत्री के लिये चिकित्सा सुविधाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधाओं के रूप में कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों तथा उनके साथ जाने वाले अन्य कर्मचारियों ने दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते के रूप में कितनी राशि प्राप्त की ; और

(घ) प्रत्येक मंत्री ने उपरोक्त अवधि में किन-किन देशों की कितनी बार यात्रा की और उन यात्राओं में स्वयं उन पर, उनके परिवार के सदस्यों पर तथा उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ ।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :**(क) मंत्रिमंडल के मंत्री (प्रधान मंत्री समेत) तथा राज्य मंत्री 2250 रुपये प्रतिमाह का वेतन पाने के अधिकारी हैं । उनको 500 रुपये प्रतिमाह आतिथ्यभत्ता भी दिया जाता है ।

(ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**गोआ को राज्य का दर्जा दिया जाना**

1309. **श्री वसन्त साठे :** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का निश्चय कर लिया है जबकि गोआ के बारे में निर्णय अभी किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर विचार/निर्णय किस स्थिति में है ; और

(ग) क्या किसी केन्द्रीय जनता नेता ने गोआ को राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था और इसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान ।

जैसा कि पहले तारीख 22 फरवरी, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में कहा गया था भारत सरकार दिल्ली के भावी गठन के बारे में विचार कर रही है ।

(ग) जबकि सरकार इस विषय पर कुछ प्रेस रिपोर्टों से अवगत है तो भी इस विषय पर राज्यों के पुनर्गठन के व्यापक प्रश्न के संदर्भ में विचार किया जाना है और जैसा कि सदन में पहले ही कहा गया था सरकार के पास औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**पश्चिमी यूरोपीय देशों से विमानों की खरीद**

1310. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ वायुसेना के लिये लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह बातचीत इस समय किस चरण में है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम )** :(क) और (ख) सरकार विमान खरीदने के बारे में विभिन्न निर्माताओं के साथ विस्तृत : विचार विमर्श कर रही है । हमारे तकनीकी दल स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए हैं । इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाने और विचार-विमर्श पूरे हो जाने के बाद ही सरकार अन्तिम निर्णय लेगी ।

**जर्मन जनवादी गणराज्य से नये जलपोतों की खरीद**

1311. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या एडमिरल श्री नन्दा की अध्यक्षता के कार्यकाल में 1974-75 और 1975-76 के दौरान जर्मन जनवादी गणराज्य से लगभग 6 नए जलपोत खरीदे गये थे,

(ख) क्या अपेक्षित वायु-प्रवाह की कमी के कारण इन जहाजों को प्रमुख भारतीय बन्दरगाह, कलकत्ता में प्रवेश के लिए अनुपयुक्त पाया गया है,

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ऐसे जहाजों की विशिष्टियां क्यों दी गई जो कलकत्ता बन्दरगाह में नहीं चलेंगे,

(घ) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप भारी माल अन्य नौवहन कंपनियों द्वारा उठाया जा रहा है जिसके कारण भारतीय जहाजरानी निगम को भाड़े के राजस्व में भारी हानि हो रही है, और

(ङ) क्या यह सच है कि उपरोक्त को देखते हुए भारतीय जहाजरानी निगम इन जहाजों को बेचने की योजना बना रहा है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) भारतीय नौवहन निगम ने जर्मन जनवादी गणतंत्र से छः लाइनर जहाज प्राप्त करने के लिए 1969 में एक ठेका किया था और बाद में, जब एडमिरल श्री नंदा अध्यक्ष नहीं थे, दो जहाजों की सुपुर्दगी भी ली थी । परन्तु, शेष चार जहाजों की सुपुर्दगी 1974-75 और 1975-76 में उनके कार्यकाल के दौरान ही ली गई थी ।

(ख) से (ङ) इन जहाजों को बेचने के लिए भारतीय नौवहन निगम के पास कोई प्रस्ताव नहीं है । वे तकनीकी रूप से कलकत्ता पत्तन में आने योग्य हैं और वास्तव में, उस पत्तन में कई बार आ भी चुके हैं । भारतीय नौवहन निगम के पास लाइनर जहाजों का बेड़ा है और उन्हें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर व्यापक माल लाइनर सेवाओं पर लगाया जाता है, जो व्यापार की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । कलकत्ता या किसी अन्य पत्तन से परिचालनार्थ इस किस्म का कोई विशेष जहाज अलग से नहीं रखा गया है । इसे देखते हुए, प्रश्न के भाग (घ) का प्रश्न नहीं उठता ।

**सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन**

1312. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या गृह मंत्री 16 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 562 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग से, जो तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच कर रहा है, और प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य आरोप तथा आयोग की सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) :** (क) जी हां श्रीमान् । सरकारिया जांच आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 23 फरवरी, 1978 को प्रस्तुत कर दी ।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है । जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3(4) के उपबन्धों के अनुपालन में रिपोर्ट की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ यथाशीघ्र लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

**निर्यात प्रधान उद्योगों और संस्थाओं को प्रोत्साहन**

1313. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्यात प्रधान उद्योगों और संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए नये उपायों पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के उद्योगों के लिये लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण के उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ग) निर्यात प्रधान उद्योगों और संस्थाओं की स्थापना, उनके संरक्षण और प्रोत्साहन के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :** (क), (ख) और (ग) 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति के विवरण के पैराग्राफ 29 और 30 में सरकार की निर्यातोन्मुख निर्माण क्षमता के लिये निर्यात प्रस्तावों के बारे में नीति दी गई है । इन पैराग्राफों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :—

"29 उत्पादों का निर्यात व्यापार का एक प्रमुख और विकासशील तत्व है। सरकार निर्यात-परक उत्पादों की क्षमता ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी जिनमें प्रत्यक्ष कराधान के ढ़ांचे में राहत देने के लिए सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क प्रभारों और इसी प्रकार की अन्य लेवी की व्यवस्था करने के बाद ऐसा विनियोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के योग्य हो । पूर्णतः निर्यातपरक गतिविधियों के प्रकरण में सरकार उन निवेशों पर सीमाशुल्क/उत्पादन

शुल्क में राहत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए भी तैयार होगी बशर्ते कि निर्यात उत्पादों के शुद्ध मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो रही है तथा साथ ही ऐसे उत्पादन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के और अवसर बढ़ाने की संभावना हो ।

"30 परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान भावी निर्यात के माध्यम से करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते समय अनेक मामलों में अनिवार्य निर्यात दायित्व लगाए गए हैं । मांग परियोजना की विदेशी मुद्रा राशि को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य निर्यात दायित्व पर अब जोर नहीं डाला जायेगा । साथ ही, भविष्य में, 5 वर्ष की सीमित अवधि के लिए निर्यात वचनबद्धता को औद्योगिक लाइसेंस नीति में ढ़ील देने के लिए पहले जैसा महत्व नहीं दिया जाएगा । फिर भी, जिन मामलों में विशेष रूप से निर्यात को ध्यान में रखकर औद्योगिक नीति में ढ़ील दी गई है, उनमें अनिवार्य निर्यात दायित्व लगाए गए थे इस बात को सुनिश्चित करने की ओर कि वचनबद्धता को वस्तुतः पूरा किया जाता है अथवा नहीं, बराबर ध्यान नहीं दिया जाता था । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य निर्यात दायित्वों को वस्तुतः पूरा किया जाता है पर्यवेक्षण और निगरानी करने वाले तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का विचार है ।"

निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया पहले ही सरल कर दी गई है । वे औद्योगिक उपक्रम जिनके पास उसमें वार्षिक विशेष क्षमता का उल्लेख किया गया है अपने औद्योगिक लाइसेंस की बढ़ी हुई क्षमता को मान्यता दिये जाने के लिए इस आधार पर आगे आ सकते हैं कि इस प्रकार के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन निर्यात के लिए किया गया है । ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को जो अपने पिछले तीन वर्षों के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत निर्यात करते है और इस बात का आश्वासन देते हैं कि वे अपने कुल बढ़े हुए उत्पादन का 20 प्रतिशत अगले पांच वर्षों तक निर्यात करते रहेंगे उन्हें कुछ शर्तों पर मशीनों का आयात करने के मामले में पूंजीगत वस्तु समिति से अनापत्ति सहित देश में होने वाली जांच-पड़ताल की प्रक्रियाओं से छूट दे दी गई है ।

**मझगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा पूरे किये गये विदेशी ठेके**

1314. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझगांव डाक्स लिमिटेड ने वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 (31 दिसम्बर, 1977 तक) में कितने विदेशी ठेके पूरे किये;

(ख) मझगांव डाक्स लि० ने उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ग) मझगांव डाक्स लि० ने गत तीन वर्षों में कुल कितना लाभ कमाया ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) और (ख) 1975-76 तथा 1976-77 के बारे में सूचना, मझगांव डाक्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टों में देख ली जाये । रिपोर्ट सभा-पटल पर रख दी गई हैं । 1977-78 (31 दिसम्बर, 1977 तक) के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

**(क) विदेशों से किए गए ठेके :**

| बेचे गए जलपोत | जिन पर कार्य चल रहा है |
|---|---|
| 2 मालवाहक जलपोत | 2 वाटर टैंकर |
| 1 150 क्यूबिक एम० बजरा | 4 मालवाहक पोत |
| | 27 नान प्रोपेल्ड बजरे |
| | 2 500 टी० प्रोपेल्स बजरे |

| | (ख) अर्जित विदेशी मुद्रा | (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| पोत निर्माण | पोत मरम्मत | जोड़ |
| 980.03 | 345.21 | 1325.24 |

(ग) इस संबंध में सूचना मझगांव डाक्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टों में देख ली जाये जिन्हें सभा पटल पर रख दिया गया है।

**हाजीरा (गुजरात) में शिपयार्ड**

1316. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सूरत के समीप हाजीरा में एक नया शिपयार्ड स्थापित करने के लिए अब अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में दृढ़ निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है और इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चाँद राम) :** जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त होने और उनकी जांच होने के बाद ही।

**सीमा सुरक्षा बल का पुनर्गठन तथा उसे नया रूप देना**

1317. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सीमा सुरक्षा बल को पुनर्गठित करने तथा उसे नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) समस्त देश में सीमा सुरक्षा बल में इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं और वे किन क्षेत्रों में नियुक्त हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को देश में आंतरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये भारत के विभिन्न भागों में तैनात करने की भूतपूर्व सरकार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** (क) (ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल को पुनर्गठित करने तथा उसे नया रूप देने का सरकार का इस समय कोई विचार नहीं है क्योंकि वे कार्य जिनके लिए बल को बनाया गया है तथा गठित किया गया है, उसमें मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) इस समय सीमा सुरक्षा बल की संख्या 77 बटालियन है। उनकी तैनाती के संबंध में बताना लोकहित में नहीं है।

(ङ) और (च) सीमा सुरक्षा बल संघ का एक सशस्त्र बल है और इस प्रकार राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए कभी-कभी उपलब्ध कराया जाता है।

**भारतीय नौवहन निगम को हुई जलयानों की क्षति**

1318. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान भारतीय नौवहन निगम को गहरे समुन्द्र में एक या अधिक जलयानों की क्षति हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि उसकी जांच कराई गई तथा कोई क्षति हुई तो ऐसी क्षति और दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(घ) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा आदि दिया गया तथा दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों की श्रेणियां का ब्यौरा क्या है तथा उस संबंध में मुआवजा देने की क्या कसौटी है?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, कोई नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**रक्षा विभाग द्वारा प्रेषित मूंगफली तेल की हानि**

1319. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग द्वारा 76.31 लाख रुपये मूल्य का मूंगफली का तेल, जो गाड़ी से प्रेषित किया गया था, 1974 में लदाई के स्टेशन और पहुंच के स्टेशन के बीच रास्ते में खो गया था;

(ख) क्या इस हानि का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले और हानि के लिए उत्तरदायी पाये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। प्रत्येक मामले की पूरी जांच की गई है। अधिकारियों द्वारा हुई हानि और चूकों के कारणों की जांच की गई है।

(ग) जांच से यह पता चला है कि ये हानियां निम्नलिखित कारणों से हुई हैं :—

(1) परिवहन और संचालन में विभिन्न प्रकार के भारी दबावों के कारण पिचक जाने और जोड़ों के टांकों के कमजोर पड़ जाने से होने वाला रिसाव।

(2) मार्ग में लगने वाले धक्के और झटके।

(3) रेलवे द्वारा डिब्बों की लूज शैंटिंग।

(4) माल उतारने के स्थानों पर लापरवाही से काम करना।

(5) इस प्रकार के माल को जिसे पहली बार मंगाया जा रहा था, संभालने में रक्षा कार्मिकों में अनुभव की कमी।

इन चूकों के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। इसमें कोर्ट मार्शल/समरी ट्रायल द्वारा की गई कार्रवाई और असावधानी की गंभीरता के आधार पर

दी गई सजा शामिल है। दी गई सजा का विवरण इस प्रकार है:—

(क) कोर्ट मार्शल द्वारा की गई कार्रवाई और दी गई सजा निम्नलिखित है:

| | |
|---|---|
| (1) बड़ी भर्त्सना | 1 |
| (2) वरिष्टता में कमी | 1 |
| (3) रेंक में पदावन्नति | 2 |
| (4) कड़ी कैद | 2 |

(ख) समरी ट्रायल द्वारा निपटाए गए और सजा दिए गए मामले निम्नलिखित हैं:—

| | |
|---|---|
| (1) भर्तसना | 1 |
| (2) कड़ी भर्तसना | 2 |
| (3) रेंक में पदावन्नति | 2 |
| (4) जुर्माना | 6 |
| (5) नौकरी से निकालना | 1 |
| (6) प्रशासनिक कार्रवाई | 1 |
| (7) अप्रसन्नता | 1 |

8 अधिकारियों और 2 जे०सी०ओ० के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

मूंगफली के तेल की हानि के कुछ अन्य मामलों की जांच भी की जा रही है और यदि इनके लिए भी कुछ अन्य कार्मिकों को दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

**भारतीय जहाजों के बेड़े को बढ़ाना**

1320. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जहाजों से कितने प्रतिशत व्यापार किया जाता है, और

(ख) हमारे जहाज बेड़े को बढ़ाने के लिए क्या प्रस्ताव हैं तथा जहाजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने जहाजों का उत्पादन किया जाएगा तथा कितने जहाज खरीदे जाएंगे?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)**: (क) लगभग 42 प्रतिशत।

(ख) इस समय, हमारे व्यापारिक बेड़े में 5.37 मिलियन जी०आर०टी० परिचालनात्मक टन भार है। लगभग 0.80 मिलियन जी०आर टी० और टन भार निर्माणाधीन है। इसमें 0.26 मिलियन जी०आर०टी०, जिसकी सुपुर्दगी भारतीय शिपयार्डों द्वारा होगी तथा 0.54 मिलियन जी आर०टी, जिसे विदेशी जहाजों से प्राप्त किया जाएगा, शामिल है। अगली योजना में भी बेड़े को चरणबद्ध विस्तार जारी रहेगा।

**अनुसंधान और विश्लेषण विंग के अनुसंधान डिवीजन को समाप्त किया जाना**

1321. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान और विश्लेषण विंग ने अपने दो अनुसंधान डिवीजनों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसने बहुत से अराजपत्रित कर्मचारियों की छंटनी कर दी है जबकि प्रतिनियुक्ति पर आये, अनेक कर्मचारियों को सेवा में रखा है;

(घ) क्या 17 नवम्बर, 1977 को योजना आयोग से एक कर्मचारी इसमें प्रतिनियुक्ति पर आया था; और

(ङ) कितने राजपत्रित कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ? और कितने राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ङ) यह एक सामान्य नीति रही है कि किसी क्षेत्र-विशेष में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व, उसी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को यथासंभव कोशिश करके वापस भेज दिया जाता है तथा सीधी भर्ती में से छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी, व्यवहार्य होने पर, कोशिश करके वैकल्पिक रोजगार ढूंढ लिया जाता है। इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या संबंधी विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

**ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को उत्पादन बढ़ाने की अनुमति**

1322. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश नियंत्रण वाली ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी, जिसका निम्न प्राथमिकता में अत्याधिक मुनाफा देने वाले बिस्कुट बनाने के उद्योग में एकाधिकार है, को हाल ही में उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी के मद्रास स्थित कारखाने की वर्तमान लाइसेंस क्षमता प्रतिवर्ष 1200 टन है तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक ने 4500 की क्षमता की अनुमति देने की सिफारिश की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय नियंत्रण प्रबन्ध तथा वित्त के अधीन बिस्कुट बनाने की कम्पनियां अपनी अधिष्ठापित (बिल्ट-इन) क्षमता में से काफी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटिश नियंत्रण वाली इस कम्पनी को किस विचार के आधार पर अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति)** : (क) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(ख) तथा (घ) कम्पनी के मद्रास स्थित कारखाने की वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्रतिवर्ष 1200 मी० टन है। संयंत्र तथा मशीनरी के इष्टतम उपयोग करने के आधार पर क्षमता के पृष्ठांकित करने के लिए दिये गये आवेदन पत्र के बारे में तकनीकी विकास के महानिदेशक ने सूचित किया था कि कम्पनी के कथन के अनुसार ही मद्रास स्थित कारखाने की क्षमता प्रतिवर्ष 4500 टन होगी। इस बारे में तकनीकी विकास के महानिदेशक ने कोई निश्चित सिफारिश नहीं की है। कम्पनी का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

**निवारक नजरबन्दी के बारे में राज्यों द्वारा कानून बनाना**

1323. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1971 से दिसम्बर, 1977 की अवधि में निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करने के लिये कानून बनाये हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य के ऐसे कानूनों के नाम क्या हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने आज तक उन कानूनों का निरासन नहीं किया; और

(घ) यदि इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई सलाह दी थी तो वह क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करने के राज्यों कानून मौजूद हैं। इन कानूनों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. आंध्र प्रदेश निवारक नजरबन्दी अधिनियम, 1970।
2. राजस्थान निवारक नजरबन्दी अधिनियम, 1970।
3. उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970।
4. मध्य प्रदेश लोक अव्यवस्था निवारण (अस्थाई शक्तियां) अध्यादेश, 1977।
5. जम्मू तथा कश्मीर लोक सुरक्षा अध्यादेश, 1977।

(घ) जम्मू व कश्मीर सरकार को निवारक नजरबन्दी से संबंधित अध्यादेश के कुछ उपबन्धों का पुनरीक्षण करने का सुझाव दिया गया है और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जब अध्यादेश के स्थान पर विधेयक विधान मंडल में रखा जाएगा तो इस सुझाव पर विचार किया जाएगा। अन्य राज्य सरकारों को कोई सलाह नहीं दी गई।

**Expenditure on Bhopal-Bareli-Udaipura section of National Highway**

1324. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far on the National Highway passing through Bhopal-Bareli-Udaipura-Deori and Gawbara;

(b) the sections of the National Highway where work is going on and the time by which it will be completed; and

(c) the further expenditure likely to be incurred thereon and the time by which the construction of this National Highway is likely to be completed ?

**Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram)**: (a) NationalHighway No. 12 passing through Bhopal-Bareli-Udaipura and Deori does not touch Gawbara which is situated at a distance of few Kms. south of the National Highway in question. The expenditure on the stretches from Biaora to Bhopal and Bhopal to Jabalpur upto December, 1977 is Rs. 408 lakhs and Rs. 157.00 lakhs for road and bridge works respectively.

(b) Three statements marked A, B and C containing information regarding Sections where work is going on are attached.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1666/78]

All the works in progress in the stretch from Bhopal to Jabalpur are expected to be completed by June, 1980, while all the works in progress in the stretch from Bioara to Bhopal are expected to be completed by the end of the next Five Year Plan. This is, however, subject to financial allocations available in different years and priority assigned to different works.

(c) The balance cost of the approved works on this National Highway is estimated at Rs. 481 lakhs. The information regarding the completion of various works is given in (b) above.

**Employees working in Port Construction Department**

1325. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) total number of employees and officers working in Port Construction department as on the 31st December, 1977;

(b) the number of such employees amongst them who are working as work charged employees for more than five years;

(c) the policy of Government with regard to confirmation and regularisation of such work charged employees; and

(d) the number of such work-charged employees retrenched during the last five years after putting in more than five years service and the policy of the Government with regard to avoiding their retrenchment in future ?

**Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) :** (a) 8941 employees and officers.

(b) 2937.

(c) & (d) : It is the policy of Government not to resort to retrenchment unless it is absolutely unavoidable. To the extent possible and subject to their suitability etc. endeavour is made to absorb the work-charged employees, on completion of the project work in operational posts. Number of persons retrenched in last five years after putting in more than five years service is 40.

**मंत्रालय को प्राप्त हुए संसद सदस्यों के पत्र**

1326. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 9 महीनों में दिल्ली में संसद सदस्यों के कुल कितने पत्र उनके मंत्रालय को प्राप्त हुए;

(ख) कितने मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही की गई तथा इसकी संबद्ध सदस्य को जानकारी दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्रों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती; और

(घ) यदि हां, तो संसद सदस्यों के प्रत्येक पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** (क) 1-5-77 से 31-1-78 तक की अवधि के दौरान 84 पत्र प्राप्त हुए ।

(ख) 67 मामलों में आवश्यक कार्यवाही की गई थी तथा सभी मामलों में संबंधित संसद सदस्यों को सूचित कर दिया था सिवाय एक के जिसमें कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं था । शेष 17 मामलों पर अभी गौर किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**तिहाड़ जेल में लाठी चार्ज के बारे में बाबेजा आयोग का प्रतिवेदन**

1327. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

**श्री एस०जी० मुरुगय्यन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 2 अक्टूबर, 1975 को तिहाड़ जेल में लाठी चार्ज के बारे में सरकार को बाबेजा आयोग का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ;

(ख) प्रतिवेदन में क्या कहा गया है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क), (ख) तथा (ग) आयोग का प्रतिवेदन गृह मंत्रालय में 30 जनवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था। सरकार इस समय प्रतिवेदन पर विचार कर रही है। उसकी एक प्रति तथा इस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन शीघ्र ही लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा प्रत्येक राजनैतिक दल को दिया गया समय**

1328. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पांच प्रथम राजनैतिक नेताओं के नाम क्या हैं जिन्हें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर गत 4 मास में अधिकतम प्रचार प्राप्त हुआ ; और

(ख) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा गत 4 मास में प्रत्येक राजनैतिक दल को कितना-कितना समय दिया गया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज़ पर रख दिया जाएगा।

**फिल्म सेंसर नीति में परिवर्तन**

1329. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

**श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर नीति में क्या परिवर्तन किये गये हैं और इन परिवर्तनों से किस उद्देश्य के प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) क्या नई सेंसर नीति सभी फिल्मों में चुम्बन के पथप्रदर्शन की आज़ादी देती है ; और

(ग) नई सेंसर नीति भारतीय फिल्मों में अपराध, हिंसा और अश्लीलता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को किस प्रकार रोकेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति संलग्न है। ये सिद्धान्त सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को मंजूरी देने में इसका मार्गदर्शन करेंगे। इन सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म सेंसरशिप के लक्ष्य भी शामिल हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1667/78]

(ख) और (ग) इन निर्देशों से यह देखा जा सकेगा कि प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारे समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी रहें और यह कि असामाजिक गतिविधियों जैसे कि हिंसा को न्यायोचित न ठहराया जाए। बोर्ड को यह भी देखना होगा कि अश्लीलता, अशिष्टता और भ्रष्टता का चित्रण करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं।

फिल्मों में चुम्बन को स्वीकृति दी जाए या नहीं के बारे में विशेष निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

---

## सभा पटल पर रखे गए पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की 1976-77 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1627/78]

(ख) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1627/78]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 854(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक, 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 21 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सां० आ० 406 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1629/78]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, राष्ट्रीय पन बिजली निगम और पूर्वोत्तर बिजली निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के लिए कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन।

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(क) (एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1630/78]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1631/78]

(ग) (एक) पूर्वोत्तर बिजली निगम (प्राइवेट) लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर बिजली निगम (प्राइवेट) लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1632/78]

पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे, मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनाएं, मुगल लाइन लि०, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और दिल्ली मोटरयान (छठा संशोधन) नियम, 1977

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) मरमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1633/78]

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1634/78]

(तीन) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल टी 1635/78]

(2) मुख्य पत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1464 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1465 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 1636/78]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 1637/78]

(4) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटरयान (छठा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3(30)/77-टी० पी० टी०/16452-66 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1638/78]

भारत ओफथैलमिक ग्लास लि० दुर्गापुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मैती)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) भारत ओफथैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारत ओफथैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1639/78]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मडण्डल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(9) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 का उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की) एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 6 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 13(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 6 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 14(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1640/78]

(10) संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1 641/78]

**श्री ज्योतिमय बसु** : महोदय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन अब 1978 में रखा जा रहा है । यह चिन्ता की बात है । सभा को इस पर ध्यान देना चाहिये ।

**अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) दूसरा संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1717 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 151 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1642/78]

अध्यक्ष महोदय : ये महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हैं जिसे यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

**भारत डायनेमिक्स लि० और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और तत्संबंधी दो वक्तव्य**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कंपनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1643/78]

(दो) (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कंपनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1644/78]

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### मिजोरम में भयंकर अकाल की स्थिति

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मैं **कृषि और सिंचाई** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

पर्याप्त तथा लगातार पूर्व चेतावनियों के बावजूद चूहों के झुण्डों द्वारा गर्मी की फसलों को भारी हानि पहुंचाये जाने से मिजोरम में भयंकर अकाल की स्थिति, दूरस्थ क्षेत्रों में घोर अकाल की स्थिति जिससे सैकड़ों उत्पीड़ित ग्रामवासियों को नगरों को आना पड़ रहा है और व्यापक भुखमरी एवं कुपोषण जिससे मृत्युएं हो रही हैं ।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : यह पता चल गया था कि बांस के फूलों के खिलने के परिणामस्वरूप चूहों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई और धान की फसल की हानि होने के कारण 1977 में अकाल की स्थिति हो सकती है और वास्तव में ऐसा ही हुआ । 1975 से विशेषज्ञों के दल मिजोरम जा रहे हैं और केन्द्रीय सहायता से चूहों पर नियंत्रण के उपाय किये गये हैं । 1977 के अन्त तक 26 लाख चूहे मारे गये । बांस के फूलों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है ।

1977 में 6.81 लाख क्विंटल धान की फसल हुई लेकिन केवल 3.66 लाख क्विंटल को ही काटा जा सका । मिजोरम जो कमी वाला राज्य पहले से ही है उसे 1976-77 में 28,840 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया और 1977-78 में 48,000 मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होगी । खाद्य विभाग ने वहां अबाध सप्लाई का आश्वासन दिया है ।

मिजोरम प्रशासन और केन्द्रीय सरकार को स्थिति का पूरी जानकारी है । फरवरी 1978 के प्रथम सप्ताह में गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल और संयुक्त सचिव (उत्तर पूर्व) के साथ स्वयं स्थिति का अनुमान लगाने के लिये मिजोरम गये । भुखमरी या कुपोषण से मृत्यु की किसी घटना की उन्हें जानकारी नहीं मिली है । इसके साथ-साथ कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अतिरिक्त

सचिव तथा गृह मंत्रालय के योजना आयोग और आई० सी० ए० आर० के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने इस क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और उन्हें भी भुखमरी या कुपोषण की किसी घटना का पता नहीं चला । इस दल ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें से कई सिफारिशों पर अमल शुरू हो गया है और अन्यों के बारे में कार्यवाही आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ।

कृषि ऋण तथा बीज आदि के रूप में किसानों को सहायता दी जा रही है ताकि वे खरीफ की फसल उगा सकें । रोजगार पैदा करने की व्यापक योजनाओं को शुरू करके इस क्षेत्र में क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है कि मिजोरम के किसी भाग में कोई महामारी, भुखमरी अथवा कुपोषण हो रहा है । स्वस्थ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है तथा दुःखी लोगों को वहीं राहत पहुंचायी जा रही है और इसलिये गांवों से शहरों की ओर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार मिजोरम ही क्या देश के किसी भी भाग में भुखमरी की समस्या पैदा नहीं होने देगी ।

प्रश्नों के उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा : मानसून आरम्भ होने से पहले संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों का भंडार बनाने के लिये 82 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है । इसके अतिरिक्त प्रमुख विपणन सहकारिता समिति, मिजोरम को 30 लाख रुपये का ऋण भी दिया गया है ताकि वे अदरक को, जो कि उनका मुख्य उत्पादन है, 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद सकें। प्रमुख विपणन सोसाइटी को अदरक की वसूली के लिये 5 लाख रुपये की यातायात राज सहायता दी गई है । क्योंकि उस क्षेत्र में यातायात की वही समस्या है । बीजों के क्रम तथा दवाइयां देने हेतु 25 लाख रुपये का अल्पावधि ऋण दिया है ।

वहां भुखमरी की कोई बात नहीं है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां भुखमरी से कोई मृत्यु हुई है । ये केवल अधिक खाद्यान्न चाहते हैं जो कि वहां भेज दिया गया है । हमने दूरस्थ क्षेत्रों में अनाज भेजने का प्रबन्ध भी किया है ।

अब तक हमारे पास लगभग 119 गोदाम हैं, जिनमें 18,000 टन भरा जा सकता है । और गोदाम भी बनाये जा रहे हैं । 11 पक्के गोदाम बनाये जा रहे हैं, जिनमें 4,100 टन अनाज रखा जा सकता है । हम वहां अनाज रखना चाहते हैं ताकि इसे दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा सके।

हम चूहों द्वारा पैदा की गई परेशानी पर नियंत्रण करने के लिये हर सम्भव उपाय कर रहे हैं । हम एक चूहा मारने के लिये 20 पैसे देते हैं । अब तक 26 लाख चूहे मारे जा चुके हैं और हम इस परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु:** स्वयं मिजोरम में जाकर देखे बिना स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । मुझे जानकारी मिली है कि वहां के गांवों में लोग पौधों की जड़ें और फल-फूल खाकर गुजारा कर रहे हैं । लोगों की क्रय शक्ति अपर्याप्त है । भूखा आदमी कार्य भी नहीं कर सकता। मुझे सरकारी दस्तावेजों की प्रतियों से यह पता चला है । इंडियन एक्सप्रैस के संवाददाता ने लिखा है कि आंतरिक भागों में लोग भूख से तंग आकर एजावल और लुगलेई कस्बों की ओर भाग रहे हैं और जो भाग नहीं सकते वे जीवन के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप वे पत्र श्री बरनाला को दे दें ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** गृह राज्य मंत्री श्री मंडल एजावल कस्बे में गये होंगे । लेकिन मिजोरम ऐसी जगह है जहां आप थोड़े समय में नहीं घूम सकते । हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं और मिजोरम में लोग भूखे मर रहे हैं।

मैं इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं । एक तो वहां संसदीय दल जाये जो सरकार को सही स्थिति की जानकारी दे क्योंकि अभी तक संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है ।

मिजोरम के लिये केन्द्रीय सहायता केवल 62 लाख रुपये दी गई है जो बहुत कम है यदि वहां लोग भूख से मरते हैं तो देश के नाम पर कलंक का टीका लगेगा ।

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला :** संदस्य महोदय पत्रों के आधार पर ये बातें कह रहे हैं पहले मैं समझा था शायद वह स्वयं वहां गये होंगे । वास्तव में स्थिति इतनी भयानक नहीं है । गृह राज्य मंत्री स्वयं वहां गये थे वहां नुकसान अवश्य हुआ है । मैं मानता हूं कि और मेरे पास आंकड़े भी हैं ।

पहले वहां 28,000 मीट्रिक टन अनाज दिया जाता था । अब हम उनकी मांग के अनुसार 48,000 मीट्रिक टन की सप्लाई कर रहे हैं । वर्षा ऋतु के लिये अनाज जमा करने हेतु हम 82 लाख रुपया दे रहे हैं । एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिजोरम को 30 लाख रुपये दे रहे हैं ताकि वहां की मुख्य फसल अदरक को 90 रु० प्रति क्विंटल की दर से खरीद सकें । इस समिति को 5 लाख रुपये यातायात में राज सहायता के रूप में दिये गये हैं क्योंकि वहां यातायात एक समस्या है । 25 लाख रुपये बीजों की खरीद और दवाइयों के लिये दिये गये हैं । अब इन उपायों से वहां चूहों पर पूरा नियंत्रण पा लिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** संसदीय समिति के बारे में क्या विचार है ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला :** संसदीय शिष्ट मंडल के जाने से वहां कोई लाभ नहीं ।

**Shri Hari Ram Bagri** (Mathura) : Sir, the hon. Minister has not made it clear whether there are famine conditions or scarcity conditions. If famine conditions are there may I know if famine situation has been declared or not ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है । जिन्होंने सूचना दी है वही बोल सकते हैं ।

**The Prime Minister (Shri Morarji Desai) :** There are certain rules for calling attention motion and we should observe them.

**Shri Om Prakash Tyagi** (Bahraich) : The problem of rodents has not come up suddenly. May I know if Government have made any estimate of rodent population and what steps have been taken to eliminate them and what is the present population ? You give 20 paise for killing a rodent but suppose they may bring the same killed rodent again and again.

We must take care of the coming crop. We should try to find out a scientific method to deal with this problem. We should see whether the amount has been properly utilised or not ?

We have seen reports that people are migrating towards cities. People are not getting even minimum wages and only 3 kilogram rice is given for one week. A Parliamentary delegation must be sent there to study the situation.

**Shri Surjit Singh Barnala :** Perhaps the hon. Member does not know that the people in Mizoram eat rodents and they sell only the tail and the tail is kept with the office. The population of rodents increases because of bamboo flowering and it is a cycle.

वहां अकाल की स्थिति नहीं है । हम उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न दे रहे हैं । साथ-साथ अनाज को विभिन्न प्रकार से नष्ट होने से बचाने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं । चूहों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** आप वहां एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल भेजें ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** वे वहां संसदीय प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं भेजना चाहते ?

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

### बारहवां प्रतिवेदन

**Shri Chandra Deo Prasad Verma** (Arrah) : Mr. Speaker, I present the 12th Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions.

---

## विशेषाधिकार समिति
## COMMITTEE ON PRIVILEGES

### द्वितीय प्रतिवेदन

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : मैं विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## समिति के लिए निर्वाचन
## ELECTION TO COMMITTEE

### राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**Motion was adopted.**

# प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में

## Re. : ADMISSIBILITY OF A QUESTION

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** (अनन्तनाग) : मुझे यह जानकर बड़ी बेचैनी हुई है कि आपने उन प्रश्नों की अनुमति न देने के आदेश सचिवालय को दिए हैं जिनमें सरकारी विभागों में अल्पसंख्यकों की सेवा की स्थिति आदि के बारे में जानकारी मांगी गई हो। पिछले 13 वर्ष से जबसे मैं यहां सदस्य हूं, ऐसी बात कभी नहीं हुई। इसी आशय के मेरे प्रश्न संख्या 608 को अस्वीकृत कर दिया गया है। नियम 377 के अन्तर्गत दी गई एक अन्य सूचना को भी अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उसमें मैंने भूख हड़ताल कर रहे एक मुस्लिम संस्कृत विद्वान का मामला उठाने की बात कही थी। यदि आपने ऐसे ही आदेश सचिवालय को दिए हैं तो खेद है—ऐसी स्थिति में हम काम नहीं कर सकते। आप धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आपका व्यवहार सर्वथा साम्प्रदायिक है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सर्वथा अनुत्तरदायी रूप में बात कर रहे हैं।

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : हम चाहते हैं कि ऐसा आभास न हो कि हम अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि आप इस पर विचार करें। (**व्यवधान**) उत्तेजना में इन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।

**श्री समर गुह** : कुछ प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष पर आक्षेप नहीं किए जाने चाहिए। अतः मैं श्री कुरेशी से अपने शब्द वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : मुझे अपने शब्दों पर खेद है और मैं उन्हें वापिस लेता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुरेशी के प्रश्न के अनुसूचित जातियों और जनजातियों सम्बन्धी भाग को अनुमति दे दी गई थी। संविधान के अन्तर्गत मुसलमानों के लिए सेवाओं और क्षेत्र में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रश्न के उस भाग को अनुमति नहीं दी गई जिसमें इस आशय की जानकारी मांगी गई थी।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : (पलानी) : प्रश्न आरक्षण का न होकर न्याय का था।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न पूरे विभाग का होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु उसके सम्बन्ध कश्मीर से ही था।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में आंकड़े रखे जाने चाहिएं। पिछले 30 वर्ष के कांग्रेस शासन में ऐसा नहीं किया गया।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जानकारी नहीं दी जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सचिवालय ने बताया कि पहले भी ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दी गई। यदि आप चाहते हैं तो मुझे अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री जी० एम० बनतवाला** : पूर्व उदाहरण का प्रश्न नहीं है। यदि कोई प्रश्न धर्मनिरपेक्षता का देश में पालन करने पर पूछा गया है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके कथन को समझ गया हूं।

**श्री जी० एम० बनतवाला** : इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि..... (**व्यवधान**)**

---

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

**श्री बसन्त साठे** (अकोला) : यदि संविधान और नियम किसी विषय में प्रश्न पूछे जाने पर रोक नहीं लगाते तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार यदि कोई जानकारी देने से मना नहीं करती तो आपको उसके बीच नहीं आना चाहिए।

**श्री अरविन्द बाला पजनौर** (पांडिचेरी) : अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर कोई मनाही नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी पूर्वोदाहरण का पालन नहीं किया जाना चाहिए।

**श्री सी० एम० स्टीफन** (इर्दीकी) : हर वह प्रश्न पूछा जा सकता है जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

**श्री पी०जी० मावलंकर** (गांधी नगर) : जब प्रधान मंत्री का कहना है कि सरकार की जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर यह सरकार पर छोड़ दिया जाए। उसके पास जो जानकारी हो वह दे दे और जहां न हो वहां मना कर दे।

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक सदन अपना मन्तव्य न दे तब तक मुझे पूर्वोदाहरण को ही मानना होगा। अब मैं इस पर विचार करूंगा क्योंकि सदन अपने विचार प्रकट कर चुका है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : यह अच्छा है कि आप इस पर फिर से विचार करेंगे।

---

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.**

**(मध्याह्न भोजन क पश्चात् लोकसभा दो बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई)**

**(The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock)**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

# नियम 377 के अधीन मामले

## MATTERS UNDER RULE 377

### (एक) पटना-चुनार वाणिज्यिक स्टीमर सेवा के बन्द हो जाने की आशंका

**Dr. Ramji Singh** (Bhagalpur) : There is apprehension of the closure of Patna-Chunar Commercial Steamer Service. If this happens not only the workers will lose job but the public will also be deprived of the service. I will, therefore, urge upon the Government to ensure that this service is continued.

There is a deep rooted conspiracy behind the closure move as the Bhagwati Committee have pointed out in their report. There is a private steamer service running there along with the public steamer service and the people connected with the private steamer service want that the public steamer service is closed so that they could make more money by exploiting the people. The Chief Minister of Bihar has written to the Transport Ministry that this water transport service should not be closed. The Bihar Chamber of Commerce and the Inland Water Transport Employees Union has also sent similar requests. Government should see that this service is not closed.

### (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अहाते में हुई दुर्घटना का समाचार

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** (तिरुचेरापल्ली) : 18 फरवरी की रात्रि को भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अहाते में एक गंभीर दुर्घटना हुई है। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को

ले जाने वाली बस भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स के अहाते में लोको रनिंग से टकरा गई। जिसके परिणाम-स्वरूप दो कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा एक दूसरे कर्मचारी की मृत्यु अस्पताल में हो गई। 80 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वे अभी अस्पताल में ही हैं।

उस कारखाने में कार्य कर रहे कर्मचारी इस दुर्घटना से बहुत चिंतित हैं। उन्होंने प्रबन्धकों पर दबाव डाला है कि कारखाने से शहर तक कारखाना अपनी ही बस सेवा चालू करे ताकि वे कारखाने से अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें। किन्तु प्रबन्धकों ने उनकी मांग पर विचार करने से इन्कार कर दिया। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने 21 तारीख से हड़ताल कर दी और हड़ताल अभी भी चल रही है। यह बड़ी गंभीर स्थिति है। सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर बहुत ही सहानुभूतिपुर्वक विचार करना चाहिए ताकि हड़ताल समाप्त हो सके।

सरकार को इस दुर्घटना के कारणों की भी जांच करवानी चाहिए। उस अहाते में कई लेबल क्रासिंग हैं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कारणों की जांच की जाये। मंत्री जी को कल इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें वह हड़ताल के बारे में अद्यतन जानकारी दें।

**(तीन) किसानों को दिया गया प्याज का अलाभकर मूल्य**

**Shri Hari Shankar Mahale** (Malegaon) : Onion is grown on a large scale in Nasik district of Maharashtra. The purchase and sale of Onions have been entrusted to NAFED Cooperative Society. The society does not purchase the entire quantity of onions in the markets nor does it pay the price fixed by the Central Government. This has caused great hardship to the Onion growers. Government should see that the prices of first, second and third qualities of Onion are fixed at Rs. 70, Rs. 60 and Rs. 50 per quintal respectively. They should also see that if more quantity is produced in the country it is exported. A committee should be appointed to go into this matter. In that committee there should be three representatives of the farmers, two of the Members of Parliament and two representatives of the Department concerned. The concerned Minister should also be there in the committee.

**(चार) दक्षिण पूर्व रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों की कथित छंटनी**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : 19 फरवरी, 1978 को अकुशल, अर्द्ध कुशल तथा कुशल वर्गों के 111 कर्मचारियों की, जो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर (निर्माण) खड़गपुर दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन काम कर रहे थे, मनमाने ढंग से छंटनी कर दी गई। ये कर्मचारी वहां लगभग 10 वर्षों से काम कर रहे थे और छंटनी होने तक वे अनवरत रूप से काम कर रहे थे। आश्चर्य की बात है कि एक ओर पुराने कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और दूसरी ओर उसी डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने अक्तूबर, 1976 से 3 मई 1977 तक लगभग 99 नए व्यक्तियों की भर्ती की। स्वयं 1978 में ही 50 और नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती की गई। सरकार को तत्काल इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन नैमित्तिक छंटनी किए गए श्रमिकों को, जिन्हें काम का काफी अनुभव है, पुनः रोजगार दिया जाये ताकि उनके अनुभव तथा सेवाओं का समुचित ढंग से उपयोग किया जा सके।

सरकार ने प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाया है। उनका वेतन नहीं दिया गया है क्योंकि वे न्यायालय में गये थे। ये वहां 10 वर्ष से काम कर रहे थे और उन्हें इसलिए नौकरी से निकाला गया है क्योंकि वे नैमित्तिक कर्मचारी थे। इनकी छंटनी की जा रही है और नये व्यक्तियों को काम पर लगाया जा रहा है। अतः सरकार और रेल मंत्री को इस मामले पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

# राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—(जारी)

## MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—(Contd.)

**अध्यक्ष महोदय** : अब 24 फरवरी, 1978 को श्री गौरी शंकर राय द्वारा पेश किए गए तथा डा० सुशीला नायर द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी।

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

**Shri Nathu Ram Mirdha** (Nagaur) : In this Address it has been stated that there is necessity of clearer and efficient administration at all levels in the country. But viewing the performance of the Janata Government during the last year it can not be claimed that there has been improvement in the administration and execution of plans either at the Centre or in the States having Janata Party rule. There is an atmosphere of uncertainty every where and it is not clear which policy Government want to adopt for the benefit of the people. There is no coordination between Ministers and differences on petty affairs often come to notice. We can not hope that politics and administration would become clearer after the enactment of Lokpal Bill.

It has been stated that the rate of economic growth in the year has been 5 per cent. But alongwith it, concern has been expressed over the facts and threats of terrorism, acts of intimidation, sabotage and the prevailing law and order situation in the country. Peace in the country is very essential for economic growth and progress. There are no indications on the basis of which it could be said that Janta Government has been able to do in one year even one-tenth of what they have declared to do in ten years. According to the economic survey 11 million labour days have been lost this year as compared to 6 million labour days lost in the previous year. It indicates that labour strikes and lockouts have increased. An appropriate and clear labour policy should be adopted.

Student indiscipline is increasing so much that 24 Universities in the country are closed at present. Negligence and indiscipline has been noticed against Government employees also. There is uncertainty every where and feeling of insecurity among the people.

It has been stated that more funds have been provided for agriculture and Rs. 400-450 crores shall be spent on irrigation, fertilizers and seeds etc. But the last para of Economic Survey says that progress in Agriculture will be possible only if there is efficient administration and proper infrastructure is created. It is hoped that with the proper coordination between the people and the administration at the village level, gains of this improved technology will be derived. But what changes are being brought in the administrative set up ? Administrative set up should be over hauled for successful implementation of the scheme.

Large number of recommendations have been made by the Agricultural Commission for the development of cottage industries and agro-industries in villages for raising the economic standard of the rural people for increasing agricultural production etc. What is being done for their implementation ? How much amount has been utilised out of Rs. 6 crores provided for desert development ?

It has been stated that production of foodgrains this year is expected to be 121 million tonnes as against 118 million tonnes during the last year. This is all right. But the main thing is to improve the condition of the people living below the poverty line. Increase in the production alone will not serve the purpose. Proper arrangement for marketing the agricultural produce at a price beneficial to the agriculturists shall have to be ensured. The Agricultural Commission has made 2,333 recommendations in its report on various aspects which should be properly considered by the Government for their early implementation.

Stress has been laid that we have very sound economy, and satisfaction has been expressed over the existing stock of 20 million tonnes of foodgrains and foreign exchange reserves worth Rs. 4000 crores. But what is the contribution of Janata Government in it ? Abolition of zones and permission for free movement of foodgrains is not going to prove beneficial in case there is any natural calamity.

Policy of appeasement is beneficial neither for the country nor for the Government. There should be policies to ensure proper price to the producers and give relief to the consumers. Traders and middlemen are not paying adequate price to the producers; whereas on the other hand they are charging high prices from the consumers and thus they are looting both the producers and the consumers. There is no clear indication as to how the Government is going to deal with this situation.

National satellite project is a welcome step. National Commission on Agriculture has recommended this. With its help we shall be able to have a proper assessment of our underground water resources, mineral resources and other things.

The scheme of introducing prohibition in four years is also going to prove beneficial for the people.

I understand the Government is going to provide some funds to complete the second phase of Rajasthan Canal. In this connection it would be better if recommendation of National Commission on Agriculture in regard to Rajasthan Canal and desert development are given due consideration and implemented.

Nothing has been said about the programme for removing unemployment in the country. Fissiparious tendencies are being noticed in the country, particularly in Punjab. This is very alarming.

**Shri Nathu Singh** (Dausa) : I stand to support the motion of thanks on the President's Address. Opposition Members are talking of difference between the different units of Janata Party, but it has been seen that Janata Party has got unity while the Congress has been divided into two. Difference of opinion expressed by Janata Party members only meant freedom of expression which is essential for the true working of democracy.

Setting up of Inquiry Commission has been criticised by the opposition members. But setting up of such Commissions for those who want to crush democracy is an ordinary thing in a democratic country as could be seen from the case of England where even impeachment is permissible in such cases.

Press was not free during the reign of previous Government but we have granted full freedom to the press and a Press Commission is going to be set up. Complete freedom of working has been granted to the executive, judiciary and legislature by the Janata Government, while it does not exist during the Congress rule.

It has been noticed that the owners of big newspapers are not accepting the demands of their employees and the recommendations of Wage Board. Government should persuade them to accept and implement the recommendations made by the Wage Board.

Atrocities on Harijans is the talk of the day. But if the facts of the incident at Banaras were seen it would be known that it were the Indira supporter students of NSFI who put Babu Jagjivan Ram to humiliation and were spreading the feelings of untouchability. Percentage of atrocities on Harijans have reduced to 5 per cent as compared to 20 per cent in Congress regime. This percentage would be reduced further during the coming years Many things are being done by Janata Government for the welfare of Harijans.

It is incorrect to say that Janata Government is supporting the capitalists. Demonetisation of one thousand rupee notes is proof of this. Janata Government has paid more

priority to the development of villages and agriculture. More electricity, roads, schools and cottage industries are being provided in villages, besides the increase in irrigational facilities.

Payment of bonus to the labourers, reinstatement of those retrenched during the emergency and restoration of the rights of trade unions are indicative of the fact that the Janata Government is working for the welfare of labourers.

Police Commission has been set up to ensure improvement in the law and order situation in the country and to reduce the number of crimes, but I will request the Government to deal with strictly with the culprits. Right to vote on attaining the age of 18 years should be granted early by Government, as was declared in the menifesto. Big industries should be set up in Rajasthan, which has not been done hitherto. Jaipur should be linked with Ahmedabad and Delhi by broad gauge line. Small industries should be developed in Rajasthan. Crop insurance scheme should be introduced for the benefit of the farmers. Grant of unemployment allowance to the unemployed should also be started.

The foreign policy of the Janata Government has been on the right lines. Regarding the Centre-State relations also the policy adopted by Government has been correct, as a strong Centre was necessary for smooth functioning of democracy.

**Shri Padmacharan Samant Sinhera** (Puri) : Sir, I stand to welcome the address. Steps should be made to appoint interpretor in Oriya language.

During the emergency there was no independent judiciary in the country and those who supported it at that time are now pleading for democracy saying that the president has not mentioned anything in his address regarding the evolution of democratic machinery in the country. In fact, the previous Government had completely destroyed the democracy in this country and there was absolutely no freedom of the press. It is the Janta Government which has now re-established democracy in the country. Now the people, after showing a good deal of strength, have proved that rule of one family cannot continue for all times to come in this country. The Janta Government now propose to amend the Constitution in such a way that no one will be able to subvert democracy in future. The opposition parties should join hands with Government in making such amendments in the Constitution.

Nothing has been done by the previous government for poor people and Harijans, though they had been repeating the slogan of 'Garibi Hatao. One can easily find that the assets of the big business houses have increased considerably during the regime of the previous government. The net result of this economic policy has been that poor have become poorer and the rich richer. Now the Janta Government has reversed the process.

It is said that there has been no appreciable decline in prices, but the fact is that efforts are now being made to evolve an effective public distribution system.

As regards the law and order situation, the Opposition Members have only tried to exaggerate the situation and one can find from the reports that the incidence of crime has declined as compared to the period of emergency because during these days, people had no source of information to know about the growing number of crimes.

As regards the economic policies of the Janta Party Government it is proposed to invest Rs. 300 crores in big industries which will provide employment to 3 million unemployed people. Further, Government has also declared their policy to give maximum incentive to cottage and small scale industries.

The Janta Government has also re-established friendly relations with the neighbouring countries. The Prime Minister has rightly reiterated the policy of utilising nuclear energy for peaceful pruposes and this policy has been widely appreciated by all countries.

*श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत फीका तथा निर्जीव है राष्ट्रपति ने मात्र अपनी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को पढ़ा है और यह आंकड़े सही नहीं हैं । वर्ष 1977-78 के दौरान सरकार को कुछ ठोस उपलब्धि नहीं हुई है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में थोक मूल्यों में कमी के बारे में उल्लेख किया गया है यदि यह सच है तो सरकार ने कल ही क्यों अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की है। क्या यह इस बात का सूचक नहीं कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और सरकार को विवश होकर मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करनी पड़ी है यह स्वयं इस बात का उदाहरण है कि भारत के राष्ट्रपति को गलत जानकारी दी जाती है? सदन को यह बात समझनी चाहिए कि किस प्रकार जनता सरकार देश को गुमराह कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास और सामाजिक उद्धार के रूप में सरकार की क्या उपलब्धि रही है। इस बात से जनता पार्टी के सदस्य भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि जनता सरकार जब से सत्ता में आई है तब से वह आपातस्थिति की ज्यादतियों का ही रोना रो रही है। क्या जनता शासन में औद्योगिक उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। संसद् के गत सत्र के दौरान एक नया औद्योगिक नीति विवरण बताया गया था। जनता के सामने यह दावा किया गया कि छोटे उद्योगों की संख्या में विस्तार हुआ है। असलियत यह है कि पुरानी सूची में 'स्टील फर्नीचर' मद के अन्तर्गत नई सूची में स्टील की कुर्सियां, स्टील के मेज तथा स्टील, स्टूल इत्यादि फर्नीचर की गिनती बढ़ाकर दिखा दी गई है। अन्यथा पुरानी सूची और नई सूची में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक नई औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है इसमें कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती क्योंकि इसमें औद्योगिक नीति के आधारभूत सिद्धांतों का अभाव है।

पिछले सत्र में बार-बार यह कहा गया कि औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाया जा रहा है। हमें आशा थी कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में इसका कुछ उल्लेख करेंगे परन्तु उन्होंने अपने अभिभाषण में इस बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया है। श्रमिकों के विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी सुलह कराने वाला तंत्र नहीं है। इससे आरिहार्यतः औद्योगिक उत्पादन में 50 प्रतिशत कमी हुई है।

जनता सरकार इस बात का दम भरती है कि उसने भारत के लोगों की स्वतंत्रता को पुनः कायम किया है। इस आधारभूत स्वतंत्रता में वस्तुओं के मूल्य आकाश को छूने लगे हैं। यद्यपि 'आंसुका' का निरसन कर दिया गया है फिर भी 'आंसुका' के सभी उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्थायी रूप से निगमित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के न्यायोचित आंदोलन को दबाने हेतु एक छोटा 'आंसुका' पुरःस्थापित किया गया है।

सरकार एक ऐसे दल द्वारा चलाई जा रही है जोकि विभिन्न राजनीतिक दलों का समूह है उसमें भिन्न-भिन्न विचारधारा वाले लोग हैं और वे उसे भिन्न-भिन्न दशाओं में खींच रहे हैं । अभी तक सरकार को कुछ उपलब्धि नहीं हुई। अंग्रेजी दैनिक 'स्टेट्समैन', जोकि सरकार का प्रबल समर्थक है, ने भी लिखा है गत वर्ष एक बेकार वर्ष था।

यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो एक सुस्पष्ट आधारभूत आर्थिक नीति, श्रमिक नीति औद्योगिक नीति और सामाजिक नीति बनाई जानी चाहिए। सरकार को उस दिशा के बारे में निर्णय कर लेना चाहिए जिसमें वह देश को अग्रसर करना चाहती है। जनता पार्टी के मंत्रियों ने सत्ता में आते ही विदेशों के दौरे शुरू कर दिए और इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सभा में भी कई बार प्रश्न किया गया है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षित हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

यहां बार-बार यह कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के लोगों को राष्ट्रीय भाषा हिन्दी सीखनी चाहिए। उत्तर के राज्यों के लोगों को भी दक्षिण के राज्यों की कम से कम एक भाषा तो अवश्य सीखनी चाहिए। दक्षिण की एक भाषा को सिखाने के लिए उत्तरी राज्यों ने क्या व्यवस्था की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिन्दी को एक मात्र सरकारी भाषा बना दिया गया है। दूसरे शब्दों में, उत्तरी राज्यों में एक भाषायी नीति अपनाई जा रही है और दक्षिण के राज्यों को त्रिभाषा फार्मूला अपनाने के लिए कहा जा रहा है। यदि इस नीति को जारी रखा गया तो पृथकता का खतरा पैदा हो जाएगा और राष्ट्र को इससे नुकसान होगा।

जनता सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनेक आयोगों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये आयोग किनके लिए नियुक्त किए गए हैं और किन उद्देश्यों हेतु नियुक्त किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है यह आयोग सेवानिवृत न्यायाधीशों को नौकरी देने तथा राजनीति से अवकाश प्राप्त किए लोगों को असंतुष्ट करने हेतु बनाए गए हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में मात्र यह कोशिश की गई है कि जनता सरकार के काले कारनामों और असफलताओं की ओर जनता का ध्यान न जाए। राष्ट्रपति को गलत जानकारी और गलत आंकड़े दिए गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज की ज्वलंत समस्याओं जैसे बेरोजगारी, उद्योगों का विकास, भाषा, केन्द्र राज्य सम्बन्ध इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह अभिभाषण उन पर थोपा गया है। राष्ट्रपति को हिन्दी में बोलने के लिए कहा गया उन्हें अपना अभिभाषण तेलगु में देने की अनुमति तक नहीं दी गई।

कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार 10 वर्षों के भीतर बेरोजगारी दूर कर देगी उनको सत्ता में आए एक वर्ष होने को है न जाने बेरोजगारी दूर करने के संबन्ध में उन्होंने कोई कार्यक्रम भी बनाया है अथवा नहीं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 4 वर्षों के भीतर देश भर में नशाबन्दी लागू कर दी जाएगी। ऐसा लगता है कि वह समयबद्ध कार्यक्रम के बिना एक समय-सीमा निर्धारित करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है सरकार को उसे क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

राष्ट्रपति का अभिभाषण मात्र जनता सरकार की अयोग्यता तथा राष्ट्र को वस्तुएं प्रदान करने में हुई असफलता को छिपाने का प्रयास है। अभिभाषण में सरकार द्वारा दी गई गलत जानकारी पर आधारित पवित्र नीरसता व्यक्त की गई है।

**श्री जार्ज मैथ्यू** (मुवतुपुजा) : मुझे खेद है कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकता। इस सरकार को सत्ता में आए एक वर्ष होने को आया है पर इसने अब तक क्या काम किया है। राष्ट्रपति ने वचन दिया है कि सरकार 'आंसुका' का निरसन करेगी दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया जा रहा है और आंसुका के सभी उपबन्ध उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। जहां तक केन्द्र राज्यों का संबन्ध है यह बहुत दुख की बात है कि राज्यों के पास कोई शक्तियां नहीं हैं और जो शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं उनका उपयोग केवल केन्द्र की सहमति से किया जा सकता है।

**[श्री द्वारिकानाथ तिवारी पीठासीन हुए।**
**Shri D.N. Tiwari in the chair]**

केन्द्र सरकार ने केरल से निर्यात होने वाली कुछ वस्तुओं के बिक्री कर के बारे में संशोधन किया है। केरल को इस प्रकार 23 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केरल राज्य, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय तथा अन्य बातों में सबसे आगे था लेकिन आज प्रति व्यक्ति आय में उसका स्थान नवां है तथा हमारी सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय में 12वां है। इस राज्य के जो लोग विदेशों में बसे हुए है लगभग 450 करोड़ रुपया स्वदेश भेज रहे हैं, लेकिन उद्योगों की स्थापना के लिए हमें विदेशी मुद्रा बिलकुल नहीं मिलती। विदेशी मुद्रा से कुछ उद्योगों की स्थापना यहां की जा सकती है। हमारे यहां कोई उद्योग नहीं है। इस धन का उपयोग अन्यत्र लाभ हेतु किया जा रहा है और जो उद्योग हमें देय है वह दिए जाने चाहिए।

सरकार की कोई समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता की प्रतिशतता होने के बावजूद भी वहां के स्कूल बहुत तंग हैं और प्रत्येक कक्षा में 60 से लेकर 100 तक छात्र है । सरकार फिर भी अधिक स्कूल खोलने और अधिक अध्यापकों को नियुक्त करने पर आपत्ति करती रही है। केन्द्रीय सरकार को इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। केरल तथा अन्य राज्यों के लिए इस उद्देश्य हेतु अधिक धन जुटाना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो और छात्रों तथा अध्यापकों के बीच एक अनुपात हो।

यदि मद्यनिषेध की नीति व्यवहारिक सिद्ध होती है तो इसका स्वागत है। अनुभव से पता चला है कि मद्यनिषेध जबरन लागू नहीं किया जा सकता। यह तो स्वेच्छा से ही लागू हो सकता है।

शराब की बिक्री से राज्यों को काफी आय होती है। 1977 में हमारे राज्य को इससे 40 करोड़ रुपये की आय हुई। आप राज्यों की इस आय को कैसे पूरा करेंगे और किस प्रकार योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध व्यय पूरे होंगे। इस धन्धे को बन्द करने से काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्या सरकार के पास उन्हें पुनः रोजगार पर लगाने की कोई योजना है। पहले ही बेरोजगार लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

सरकार ने कहा कि वह 10 वर्ष के भीतर बेरोजगारी की समस्या को हल कर देगी। लेकिन उसे यह बताना चाहिए कि आगामी पांच वर्षों में उनका क्या करने का विचार है। उन्होंने गत वर्ष क्या किया है। मैंने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर हल की जानी चाहिए और यह सुझाव दिया है कि रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थापित किए जाने चाहिए। प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति से इन रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने के लिए कहा जाए और उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरीयता के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार दिया जाए। केरल में बहुत अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं और उनकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ जाती है। इस राज्य में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है और लोग रोजगार की तलाश में अपने घर-बार को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। खेद है सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है।

जहां तक भाषा के मामले का सम्बन्ध है, बड़े आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति ने खेद व्यक्त किया है कि वह हिन्दी में नहीं बोल सकते। समस्या यह है कि हम यह महसूस करते हैं कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है। अतः हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। सरकार को ऐसी प्रगतिशील दूरगामी नीति अपनानी चाहिए जो भारत की जनता के लिए लाभप्रद हो।

**डा० विजय मंडल** (बांकुर) : गत ग्यारह महीने की अल्पावधि में इस सरकार का कार्यकरण बहुत ही उत्साहजनक रहा है और सही दिशा में कार्यवाही की गई है। लोग चाहते हैं कि यह सरकार सफल हो। इस अल्पावधि में जनता को मौलिक अधिकार फिर से मिल गए हैं, आंसुका, भारतीय सुरक्षा नियम तथा अन्य अलोकतांत्रिक कानून समाप्त कर दिए गए हैं। सरकार संविधान में से उन अनियमितताओं को समाप्त करने पर विचार कर रही है जो आपातस्थिति में बनाई गई थी और इस सम्बन्ध में इसी सत्र के दौरान एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित करने जा रही है।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन स्वायत्तशासी निकाय बनाए जा रहे हैं और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। आकाशवाणी की सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधाएं अन्य राजनीतिक दलों को दी जा रही हैं जिनकी पिछले शासन में कोई व्यवस्था नहीं थी।

आर्थिक क्षेत्र में भी हम देखते है कि प्रगति दर में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 100 लाख टन खाद्यान्न का अधिक उत्पादन हुआ है। इस वर्ष कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष सिचाई के अन्तर्गत भी अधिक भूमि लाई गई है। संतोष का विषय तो यह है कि सरकार ग्रामीण लोगों की दशा सुधारने के लिए कदम उठा रही है। मैं पश्चिम बंगाल के एक सूखाग्रस्त शहर का रहने वाला हूं जहां लोगों को प्रत्येक 2 या 3 वर्ष के बाद अकाल का सामना करना पड़ता है। मुझे आशा है सरकार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए अधिक धन मंजूर करेगी। यह सरकार उचित दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सरकार को निर्धनता और बेरोजगारी विरासत में मिली है। इन्दिरा गांधी के राज्यकाल में धनवान अधिक धनवान हुए हैं और निर्धन अधिक निर्धन। गत 30 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार की यही उपलब्धि रही। मुझे विश्वास है सरकार जरूर सफल होगी। लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को झुटलाया नहीं जाएगा।

यदि यह सरकार असफल रहती है तो देश का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा और यह अत्यन्त हानिकारक होगा।

अब कार्मिक संघ स्वतंत्र हैं। परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहियें कि स्वस्थ कार्मिक संघों का विकास हो। यह भी देखना चाहिए कि वास्तविक श्रमिक संघों और वास्तविक श्रमिक प्रतिनिधियों से सलाह ली जाये और वास्तविक कार्मिक संघों को ही मान्यता मिले। कुछ कार्मिक संघ तानाशाही शासन का समर्थन कर रहे थे। परन्तु उन्हें श्रमिकों का समर्थन प्राप्त नहीं है। परन्तु नौकरशाहों ने उनका समर्थन किया और उनसे परामर्श किया। उन्हें उनसे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती रही हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये कि ऐसे कार्मिक संघों की मान्यता समाप्त कर दी जाये जिन्हें श्रमिकों का समर्थन प्राप्त नहीं है।

सरकार जनता की समस्याओं पर उचित ध्यान दे रही है। उसने वचन दिया है कि सरकार उन दूरस्थ गांवों में पेय जल सप्लाई करेगी जहां यह सुविधा नहीं है। सरकार ने एक ऐसी योजना भी तैयार की है जिसके द्वारा 1,000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवक होगा जिसे कुछ आवश्यक दवाइयां दी जाएंगी ताकि वह गांव वालों का इलाज कर सके। वह रोगों को फैलने से रोकने के लिये भी कार्यवाही करेगा। माताओं और बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये एक महिला सामुदायिक सेविका भी होगी। ये सभी सुविधाएं गत 30 वर्षों के शासन में नहीं थीं और पिछली सरकार ने ग्रामीण लोगों को न्यूनतम सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं की थी। परन्तु अब यह सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है।

विदेश नीत के बारे में हम वास्तव में निर्गुट हैं। पहले हम कुछ देशों का पक्षपात कर रहे थे जिसके फलस्वरूप कुछ अन्य देश हमारे विरुद्ध हो गये। अब उस कमी को पूर कर दिया गया है और सभी देश यह महसूस करते हैं कि भारत वास्तव में निर्गुट है। अब सभी देश भारत को अपना मित्र समझते हैं।

इन शब्दों के साथ में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा)** : राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ अंश बहुत ही निराशाजनक हैं। पहले तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि सरकार निवारक नजरबन्दी अधिनियम को स्थाई

कानून के रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संहिताबद्ध करना चाहती है । यह अत्यधिक आपत्तिजनक और खेदजनक है कि ऐसा कानून बनाया जा रहा है क्योंकि यह तो आंसुका से भी निकृष्ट है । जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह घोषणा की थी कि वह आंसुका को समाप्त कर देगी। लेकिन यह एक अन्य प्रकार का आंसुका है मानो पुरानी शराब नई बोतल में डाल दी हो।

दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक मामलों पर दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है। कृषि प्रधान ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के लिये कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है ।

वर्ष 1978-79 के लिये आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन बहुत घटा है । वर्ष 1977-78 में केवल 2.5 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हुआ जबकि 1975-76 में 73.5 प्रतिशत हुआ था और इसके फलस्वरूप समूचे देश में अधिकांश उद्योग बन्द होते जा रहे हैं। 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है । यह बिजली की कमी के करण ही है । इसीलिये बिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया है कि सरकार मुद्रास्फीति की स्थिति को कैसे रोकेगी और बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल करेगी। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार करने और ग्राम और कुटीर उद्योग का विकास करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है । उन्होंने यह भी उल्लेख नहीं किया कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये मंत्रिमंडल स्तर के एक मंत्री की नियुक्ति की जायेगी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। सेवाओं में उनके लिये आरक्षित कोटे को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिये, परन्तु जब तक इस प्रयोजनार्थ एक केबिनेट मंत्री नहीं होता, यह सब संभव नहीं है । हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देंगे। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि उन्हें औद्योगिक संबन्धों पर प्रसन्नता है, लेकिन उद्योगों में शान्तिपूर्वक हड़ताल चल रही है और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों में असंतोष है तथा समूचे देश में हिंसा की गतिविधियां फैल रही हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस अराजकता का कोई उल्लेख नहीं है ।

केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों के बारे में भले ही कोई बातचीत चल रही है लेकिन राज्यों के पास संसाधन नहीं हैं । अतः राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये । संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना चाहिये ।

शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों के निरन्तर आन्दोलन चल रहे हैं । इन आंदोलनों को समाप्त किया जाना चाहिये । राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और केन्द्र भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता ।

लोकतंत्रीय व्यवस्था में संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए । उनकी उपेक्षा की जा रही है । अन्डमान निकोबार द्विपसमूह में कुछ विदेशी आ गये हैं तथा वहां बस गये हैं । इसे रोका जाना चाहिये । इस बारे में कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं है ।

सार्वजनिक वितरण पद्धति का विस्तार करने के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये ताकि देश के सभी भागों में गांवों में वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें ।

फरक्का जल के बटवारे के मामले पर बंगलादेश से समझौता हो गया है । भारत सरकार ने बंगलादेश को फरक्का का अधिक जल देकर बंगलादेश सरकार की चापलूसी करने की चेष्टा की है जबकि पूर्वीय क्षेत्र के लिये केवल 2000 क्यूसेक जल मिला है जिसके कारण कलकत्ता और हल्दिया पत्तन सूख रहे हैं । यह पत्तन बच नहीं सकेंगे । अत. पूर्वीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकेगा । इसलिये इन सभी बातों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । कुछ बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये । ब्रिटेन तथा अमरीका में सामाजिक सुरक्षा भत्ता है । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बजट में ऐसे भत्तों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

भारत में बेरोजगारी की समस्या चिन्ताजनक है । अकेले पश्चिमी बंगाल में 20 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति हैं । और भी बेरोजगार व्यक्ति हैं जो कि पंजीकृत नहीं हैं । यदि उद्योगों का विकास न हो सका तो बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी । बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिए । फरक्का में सुपर थरमल विद्युत परियोजना बहुत समय से खटाई में पड़ी हुई है और अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई । इसलिए उसे शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

**Chaudhury Braham Perkash** (Outer Delhi : Janta Party leaders have saved democracy and freed the country from authoritarian rule. We have to realise that people have voted Janata Party to power not because they love the Party but because they have come to hate the Congress Party under the domination of Indira Gandhi. We have to develop love for our party in the hearts of the people.

Respect for Janata Party Government in the hearts of the people is going down day by day. We have to think why it is happening in spite of the fact that the Government have done very good things. Janata Party is not ruling the country but is carrying on somehow or the other. It is having no impact on the people. The Prime Minister should set right the tone and tenor of the Government and also of some Cabinet Ministers. When M.Ps are told that Members have no time to meet them, what will be the position of the common man.

The Minorities are losing faith in the Government. It is our duty to take care of the minorities. Non-Hindi speaking people are angry because some responsible persons are saying certain things.

The question of Congress flag has been raised. It is difficult to understand why such controversies are raised. It has to be remembered that people love their flag more than their mother. Threfore, this issue should be dropped.

Our Party has accepted defectors. We should not have taken them in the party. This has also adversely affected the prestige of the Janata Party.

Prices of certain commodities have gone down. But still the people are feeling the pinch of high prices. This thing should be given due thought.

The Government should help the farmers, because prices of agricultural products are falling down. The Government have not taken proper steps to tackle the problem of cane growers.

The Government should learn a lesson from the Victroy of Congress (I) in Karnataka. This party won there becasue Urs Government has done a lot for backward classes and minorities. The condition of backward classes, minorities, Adivasis and Harijans is very bad. Unless the Government follow the policy which the Urs Government had followed with regard to these people, they will not tolerate our Government for a long time.

The Government have set up a number of Commissions. These Commissions have no value. These should be wound up.

The country is passing through a crisis. The need of the hour is to unite various elements in the country and take the country forward.

**Shri R.L.P. Verma** (Koderma) : I rise to support the Motion of Thanks on President's Address. The Janata Government is embarking on programmes which are in the interest of Common people. Previous Government had over looked the intersts of Common Masses. This year's budget gives enough indication of the bold and revolutionary steps which the Government are taking to ameliorate the lot of the people in the rural areas who constitute 75 per cent of our population. Our Government have allocated 40 per cent of the budget for development of rural areas. This is indeed a revolutionary step.

During emergency, fundamental rights of the people had been crushed. It goes to the credit of the Janata Government that it has restored freedom of expression, independence of judiciary and other fundamental rights.

It has been said tha Hindi is being imposed. It has to be realised that we can express ourselves properly in our own languages. It is essential that we should use our own languages for expressing ourselves properly. At the same time, it is also necessary and in the interest of national unity to have one language, which can bind us together. We should have a link language. A language which can be easily learnt and used by people can be the link language. Hindi is a very simple langage which can be learnt and understood easily. We can have national unity on the basis of our own language and we should get rid of domination of English language.

Bureaucracy is very powerful Government offices are full of people appointed by former Government. There are instances where some of these officers have misled our Ministers. Bureaucracy should be kept under control and quick decisions should be taken on different matters before the Government.

There are certain officers who got quick promotions during the emergency. These officers should either be compulsorily retired or they should be put on non-sensitive jobs.

Even after 30 years of Independence we still depend on Monsoons in the matter of irrigation. This is due to misdeeds of previous Government.

I welcome your porposal to enhance irrigation facilities. I suggest that all the unemployed engineers should be engaged on some specified jobs. Each Engineer should be entrusted with the work of development of 2.3 villages. The Government and the Bank may advance loans for the purpose. They can undertake irrigation in these villages and can charge fee per acre. This would prove beneficial for the villages. People will get employment and agricultural production will increase by this.

I want that small industries be established in every Block both by the Government and by the people and there should be competition beteen the two. This can provide work for both educated and uneducated un employed.

Seventy five per cent jobs should be reserved for local people of the area and 25 per cent posts should be reserved for the local people.

I feel that if one person from the families living below the poverty line is provided employment guarantee that would help in eradicating poverty.

In Chhota Nagpur area there are mines of coal, gold, silver and mica. Still 32 per cent people of the area are poors and unemployed. If that area continues to be ignored the demand for separation would be strengthened. If 80-82 per cent population of areas which are rich in minerals remain poor it is not at all justified.

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain) : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय: गणपूर्ति को घन्टी बजाई जाये ।

**[श्री एन०के० शेजवलकर पीठासीन हुए]**

**[Shri N. K. Shejwalker in the Chair]**

**श्री आर० वेंकटारमन** (मद्रास-दक्षिण): मैं यहां भाषा विवाद को उठाना नहीं चाहता । मेरे से पूर्व वक्ता ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग अभी भी लार्ड मैकाले के गुलाम हैं । मैं उन्हें उस अश्लील भाषा में उत्तर नहीं देना चाहता ।

हम इस राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता देते हैं तथा उसे चुनौती देने वाले भाषा आदि के विषयों को गौण मानते हैं । श्री जवाहर लाल नेहरू के समय से सभी प्रधान मंत्री आश्वासन देते रहे हैं कि जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे अंग्रेजी संसद तथा सरकारी कार्यों में चलती रहेगी । यदि जनता पार्टी के सदस्य इस आश्वासन को तोड़ना चाहते हैं तो इससे भेदभाव के बीज पैदा होंगे । शासक दल को कुछ संयम से कार्य लेना चाहिए । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर भाषा समस्या का सर्व-सम्मत समाधान निकालें, क्योंकि ऐसा भय है कि नया शासक दल हिन्दी लाएगा । इस प्रकार के भय को दूर किया जाना चाहिए ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** There is no quorum in the House.

**सभापति महोदय :** गणपूर्ति की घन्टी बजाई जाये ।

**श्री आर० वेंकटारमन :** दूसरे हमें विदेशी मामलों में मतैक्य बनाये रखना चाहिए । विदेश मंत्री ने कई बार कहा है कि पूर्व सरकार की गुट-निरपेक्षता की नीति को जारी रखा जायेगा । यह नीति पण्डित नेहरू की विश्व को देन थी । पांचवें दशक से इसी नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ती रही है । मैं अन्य देशों की मैत्री यात्राओं का स्वागत करता हूं । भारत अब मात्र विकासशील देश नहीं है । आज भारत आसपास के विकासशील देशों को तकनीकी सहायता दे सकता है । आने वाले वर्षों में ऐसी सहायता को और व्यापक बनाया जाना चाहिए । आर्थिक सहयोग से ही हम मैत्री बढ़ा सकते हैं ।

रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्री ने शिकायत की है कि बहुत से राज्य घाटे में चल रहे हैं । हमें राज्यों के घाटे में चलने के कारणों का अध्ययन करना चाहिए । मैं राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां देने के पक्ष में हूं । संविधान में सम्मिलित सूचियों को देखने से पता चलता है कि बढ़ती हुई सामाजिक सेवाओं के सभी विषय राज्य सूची में हैं । जो राजस्व राज्यों के लिए छोड़े गये हैं, जैसे भू-राजस्व, वे निरन्तर घटते जा रहे हैं । विक्रीकर से भी केन्द्र राज्यों को वंचित करता चाहता है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** There is no quorum in the House.

**सभापति महोदय :** गणपूर्ति की घन्टी बजाई जाये ।

**श्री आर० वेंकटारमन :** जो भी सरकार केन्द्र में सत्ता में रही है, शक्तियों का केन्द्रीयकरण करती रही है ।

1959 तक कम्पनियों से प्राप्त आयकर राज्यों के साथ बांटा जाता था । परन्तु 1959 में शब्दावलि में परिवर्तन करके उसे कारपोरेशन टेक्स की संज्ञा दे दी गई तथा राज्य सरकारें उससे वंचित कर दी गई । आयकर पर अधिभार भी राज्यों में वितरित नहीं किया जाता ।

फिर राज्यों को कुछ मदों पर बिक्रीकर छोड़ने को कहा गया है ताकि उन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा सके जिसे राज्यों में बांटा जायेगा । परन्तु चतुर वित्त मंत्रियों ने मूल उत्पाद शुल्क बढ़ा दिये जिससे राज्यों को कुछ नहीं मिला ।

योजना आयोग द्वारा बहुत सी राशि वितरित की जाती है । ऐसा संविधान के अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत किया जाता है । गाडगिल फारमूले के अनुसार राज्य को सहायता के लिए 60 प्रतिशत महत्व जनसंख्या का 10 प्रतिशत पिछड़ेपन तथा 10 प्रतिशत योजनाओं आदि को दिया जाता है । इस बारे में निर्णय केन्द्रीय सरकार के स्वविवेक पर किये जाते थे । आज राज्य पूरी तरह निर्भर तथा ऋण ग्रस्त हैं ।

योजना आयोग संसाधन नहीं जुटा सकता । यह अधिक राशि की मांग कर सकता है परन्तु निर्णय नहीं कर सकता ।

जिन करों में राज्यों की रुचि है, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत कर सकती है । उन्हें राज्यों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है । राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल की सलाह पर कार्य करना होता है । आज केन्द्र तथा राज्यों में एक ही दल की सरकार नहीं है । राज्य हर स्तर पर विरोध करेंगे । मेरा सुझाव है कि तुरन्त अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर राज्यीय परिषद् की स्थापना की जाये । राष्ट्रीय विकास परिषद् कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करती । इसने केन्द्र राज्य सम्बन्धों में कुछ भी सुधार नहीं किया । 1925-26 में संविधान के निर्माण के लिए मोती लाल नेहरू समिति बनी थी । उसके अनुसार शक्तियां राज्यों में निहित हैं तथा अवशेष शक्तियां भी राज्यों को दी गई थीं । 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इसे अस्वीकार कर दिया गया ।

1942 के अगस्त आन्दोलन में भाषाई इकाइयों का संघ बनाने की मांग की गई थी । वित्तीय सम्बन्ध इतने गलत हैं कि यदि उन्हें समय पर न सुधारा गया तो देश में विस्फोट हो जायेगा । राज्यों के साथ न केवल वित्तीय अपितु राजनीतिक सम्बन्ध भी महत्वपूर्ण हैं ।

राज्यों के जल विवाद भी बहुत समय से केन्द्र के विचाराधीन हैं । संविधान के अनुच्छेद 131 के अधीन राज्यों के जल विवाद उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं । संसद ने 1956 में अन्तर राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्यों के ऐसे जल विवाद, जिनका निपटारा पारस्परिक बातचीत से नहीं किया जा सकता, उन्हें केन्द्र एक प्राधिकरण को सौंप सकता है । कई वर्ष बीतने के बाद भी भारत सरकार न तो इन्हें हल कर पाई है और न यह ही मानते हैं कि यह बातचीत द्वारा हल नहीं हो सकते हैं । भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन गवर्नर जनरल किसी भी विवाद को किसी आयोग को सौंप सकता था । आयोग का प्रतिवेदन मिलने पर सरकार निर्णय दे सकती है ।

इसलिए यह आवश्यक है कि यह विवाद अति शीघ्र निपटाये जायें, चाहे इन्हें उच्चतम न्यायालय को ही सौंपा जाये ।

**डा० बी० एन० सिंह** (हजारीबाग) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । सरकार के कटु आलोचक भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जनता पार्टी ने बिना विलम्ब के जनता के अधिकार पुनः कायम कर दिये हैं । संविधान बहाल कर दिया गया है । लोगों को मौलिक अधिकार वापस मिल गये हैं । समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता भी बहाल कर दी गई है । जनता सरकार की यह उपलब्धियां बहुत कम समय में प्राप्त हुई हैं ।

प्रारम्भ में हमारा स्पष्ट मत था कि आंशुका की कोई आवश्यकता नहीं है । चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बारे में उल्लेख किया गया था । अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है । ऐसी हालत में उसके लिए ऐसे तर्क देने चाहिएं जो जनता को मान्य हों ।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

## कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### 12वां प्रतिवेदन

**श्री दिग्विजय नारायण सिंह** (बेंशाली) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

**इसके पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 2 मार्च, 1978/11 फाल्गुन, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

**Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday the 2nd March, 1978/ Phalguna 11, 1899 (Saka)**



MGIPRRND—2 LSS/78—Sec. IV (NS)—20-5-78—210

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]